ANNUAL GOVERNOR'S REPORT ON THE ADMINISTRATION OF SCHEDULED AREAS

MADHYA PRADESH
(2012-13)

THIS REPORT HAS BEEN OBTAINED FROM THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA IN RESPONSE TO AN RTI REQUEST (APPLICATION NUMBER - MOTLA/R/2016/80065) FILED BY CPR LAND RIGHTS INITIATIVE.

CPR LAND RIGHTS INITIATIVE | www.landrightsinitiative.cprindia.org

CENTRE FOR POLICY RESEARCH, DHARAM MARG, CHANKYAPURI, NEW DELHI - 110021

केवल शासकीय उपयोग के लिए

मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2014

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय--1	प्रारंभिक	1-3
2.	अध्याय--2	प्रशासनिक संरचना	4-16
3.	अध्याय--3	आदिम जाति मंत्रणा परिषद्	17-0
4.	अध्याय--4	संरक्षणात्मक उपाय एवं विशेष व्यवस्थायें	18-34
	4.1	अत्याचार निवारण	18-20
	4.2	राहत एवं सहायता	21-22
	4.3	आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण पर लगाई गई रोक	22-23
	4.4	आबकारी नीति	23-25
	4.5	लघु वनोपज	25-26
	4.6	मध्यप्रदेश विधिक सहायता के अंतर्गत उपाय	26-31
	47	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	31-32
	4.8	मध्यप्रदेश नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 अंतर्गत मत्स्याखेट में छूट	32-0
	4.9	अनुसूचित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था तथा गतिविधियां	32-34
5.	अध्याय--5	विकास कार्यक्रमों की समीक्षा	35-105
(अ)		आर्थिक विकास कार्यक्रम	35-74
	5.1	अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा	35-41
	5.2	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	41-46
	5.3	उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	47-50
	5.4	पशुपालन	50-52
	5.5	मत्स्यपालन	52-54
	5.6	सहकारिता	55-56
	5.7	वन	56-57
	5.8	ग्रामीण विकास	57-62
	5.9	जल संसाधन	63-0
	5.10	नर्मदा घाटी विकास	63-66
	5.11	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल	66-68
	5.12	ऊर्जा विकास निगम	68-0
	5.13	उद्योग	68-0
	5.14	हाथकरघा	69-70
	5.15	हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	70-71

	5.16	खादी एवं ग्रामोद्योग	72-73
	5.17	रेशम विकास	73-74
(ब)		मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	75-98
	5.18	राज्य शिक्षा केन्द्र	75-76
	5.19	आदिवासी विकास	76-84
	5.20	आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था	84-87
	5.21	तकनीकी शिक्षा	87
	5.22	उच्चशिक्षा	87-89
	5.23	प्रशिक्षण	89-90
	5.24	पंचायत राज एवं सामाजिक न्याय	90-93
	5.25	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	93-95
	5.26	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	95
	5.27	चिकित्सा शिक्षा	95
	5.28	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	95-96
	5.29	महिला एवं बाल विकास	96-97
	5.30	खेल एवं युवा कल्याण	97-98
(स)		अन्य कार्यक्रम	96-105
	5.31	लोक निर्माण विभाग	98-99
	5.32	नगरीय प्रशासन एवं विकास	99-0
	5.33	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल	99-100
	5.34	विधि एवं विधायी कार्य	100
	5.35	मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	101
	5.36	संस्कृति एवं स्वराज संस्थान	102-105
6.	अध्याय–6 मध्यप्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास		106-107
7.	अध्याय–7 निष्कर्ष एवं सुझाव		108-113
8.	अध्याय– 8 परिशिष्ट		
	परिशिष्ट–एक, मध्यप्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र		114-117
	परिशिष्ट–दो, प्रशासनिक संरचना		118-0
	परिशिष्ट–तीन, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र		119-120
	परिशिष्ट–चार, अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधायें		121-126
	परिशिष्ट–पांच, अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति पदस्थापना, पदोन्नति, स्थानांतरण की नई नीति		127-136
	परिशिष्ट–छः, मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्यों की सूची		137
	परिशिष्ट–सात, आदिवासी उपयोजना–परियोजनावार विशेष केन्द्रीय सहायता एवं अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपब्धियों की जानकारी वर्ष 2011–12 एवं 2012–13		139-143
	परिशिष्ट–आठ, अनुसूचित जनजाति साक्षरता प्रतिशत (2001)		144-145

अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन
वर्ष 2012–13

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची की कंडिका 1–3 में निहित प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2012–13

अध्याय–1
प्रारम्भिक

मध्यप्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग कि.मी. है। जिसमें 0.68 लाख वर्ग कि.मी. (22.07 प्रतिशत) अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जो राज्य के 20 जिलों (06 पूर्ण तथा 14 आंशिक) में फैला हुआ है। प्रदेश के घोषित अनुसूचित क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर दर्शित है।राज्य की कुल जनसंख्या 726.27 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.17 लाख (21.09 प्रतिशत) है।

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 129.08 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 76.62 लाख (59.28 प्रतिशत) है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के 43 समूह निवास करते हैं।

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की अवधारणा लागू है। अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त 0.25 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के रूप में चिन्हाकिंत है। इस प्रकार प्रदेश का कुल आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (जिसमें अनुसूचित क्षेत्र शामिल है) 0.93 लाख वर्ग कि.मी. है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.19 प्रतिशत है। इस सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को प्रशासकीय दृष्टि से 26 वृहद, 05 मध्यम एकीकृत आदिवासी विकास उपयोजना, 30 माडा पाकेट और 06 लघु अंचल में विभाजित किया गया है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 37 जिलों (06 पूर्ण एवं 31 आंशिक) के 181 विकास खण्ड (92 पूर्ण एवं 89 आंशिक) शामिल हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित शैक्षणिक योजनाओं के फलस्वरूप इनकी साक्षरता की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।–

	कुल	पुरूष	महिला
कुल साक्षर संख्या/साक्षरता प्रतिशत			
कुल	42851169 (69.30)	25174328(78.70)	17676841(59.20)
ग्रामीण	28281986(63.90)	17054982(74.70)	11227004(52.40)

10.	अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 1. अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2. प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से प्रतिशत 3. उपयोजना क्षेत्र की कुल अनु.ज.जा. जनसंख्या से प्रतिशत (2001)	 59.28 प्रतिशत 45.92 प्रतिशत 67.11 प्रतिशत

नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या शामिल है।

अध्याय–2

प्रशासनिक संरचना

मध्यप्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत, आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के तहत विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित विभिन्न विकास विभागों का हैं, जिसके लिये पृथक से अमला पदस्थ नहीं किया गया है, वरन् विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजना के साथ–साथ आदिवासी उपयोजना की आयोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य संचालित किया जाता है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की प्रशासनिक संरचना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मंत्रालय, जिसके अन्तर्गत मंत्री एवं राज्यमंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रभार में, सचिवालयीन स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर आयुक्त आदिवासी विकास तथा संभाग/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विकास विभागों से समन्वयन कर योजनाओं/कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

2.1 राज्य स्तर (मंत्रालय/सचिवालय)

राज्य स्तर पर मंत्रालय, मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधीन कार्य करता है, जिनके सहयोग के लिये प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं। विभाग के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं :–

1. संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधिकारों और आदिवासियों के हितों के संरक्षण व संवर्धन के लिये प्रहरी (वाचडाग) के रूप में कार्य करना।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
3. आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
4. आदिवासी बाहुल्य 20 जिलों के 89 आदिवासी विकास खण्डों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन।
5. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति से संबंधित अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन करना।

6. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों के द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों को पुनर्ध्ययन प्रशिक्षण।
7. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास हेतु योजनाओं की प्लानिंग एवं क्रियान्वयन करना।
8. आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का नियोजन एवं अनुश्रवण।
9. फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की शिकायतों की जांच करना।

मंत्रालय स्तर पर अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिये विभाग द्वारा विभिन्न विकास विभागों के प्रशासकीय अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम/योजनायें तैयार की जाती हैं, जिनका क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों के माध्यम से किया जाता है, जिसकी त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक समीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये संचालित योजनायें एवं कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाता है।

2.2 विभागाध्यक्ष स्तर

आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नांकित विभागाध्यक्ष कार्यालय स्थापित हैं :–

2.2.1 आयुक्त, आदिवासी विकास

आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आयुक्त, आदिवासी विकास के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:–

1. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के अमले से संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं नियंत्रण कार्य।
2. मांग संख्या 33, 41, एवं 52 के अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन।
3. 89 आदिवासी विकास खण्डों में शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन एवं शिक्षा की अन्य प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन।

विभागीय कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिये शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजनायें भी संचालित की जा रही हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के अलावा अनुसूचित जाति

विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना से संबंधित प्रशासकीय व्यवस्था का निर्वहन भी किया जाता है। साथ ही संभाग/जिला एवं परियोजना स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण आयुक्त, आदिवासी विकास के अधीन रखा गया है।

2.2.2 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं

आदिवासी उपयोजना की अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिये संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं का एक-संचालनालय पृथक से संचालित है, जिसके मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं :–

1. आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना तैयार करना।
2. आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों को प्रदत्त बजट आवंटन एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
3. आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं की प्लानिंग एवं अनुश्रवण।
4. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त राशि से किये गये कार्यों का अनुश्रवण।

2.2.3 वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ

केन्द्र सरकार के अनुरूप प्रदेश में आदिवासी उपयोजना हेतु आंतरिक वित्तीय प्रणाली व्यवस्था [redacted]

2 विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्र क्षेत्र योजना अतंर्गत अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्राप्त राशि अभिकरणों को आवंटित करना।

2.2.5 संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था

संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:–

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन।
2. अनुसूचित जनजाति/जातियों के रीति–रिवाजों एवं रहन–सहन के तरीकों का अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण।
3. आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों एवं कार्यपालिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
5. राज्य आदिवासी संग्रहालय, छिंदवाड़ा का संचालन।

2.3 संभाग स्तर

2.3.1 संभागीय उपायुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4–249/2005/1/25, दिनांक 10.8.2006 द्वारा दस संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यालय क्रमशः भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चम्बल, सागर, रीवा, शहडोल तथा जबलपुर की स्थापना की गई है।

संभागीय उपायुक्तों के दायित्व

1. प्रशासनिक नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का उत्तरदायित्व।
2. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, के कार्यालयों तथा विशिष्ट

2.4 जिला स्तर

2.4.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अपर आयुक्त

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत को आदिम जाति कल्याण विभाग का पदेन अपर आयुक्त घोषित कर प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय

विभागीय प्रशासकीय नियंत्रण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में सहायक आयुक्त तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में जिला संयोजक कार्यरत हैं।

2.4.2 सहायक आयुक्त

मध्य प्रदेश के 26 जिला कार्यालयों (जबलपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, झाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, बैतूल, बुरहानपुर, उमरिया, श्योपुर, सिंगरौली, अलिराजपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं सागर) में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पदस्थ हैं।

2.4.3 जिला संयोजक

प्रदेश के 24 जिला कार्यालयों (नरसिंहपुर, कटनी, रीवा, सतना, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, देवास, नीमच, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, एवं हरदा) में जिला संयोजक कार्यरत हैं।

2.5 परियोजना स्तर

परियोजना प्रशासक/अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत योजनाओं के बजट प्रबंधन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा संबंधित विभिन्न विकास विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए 26 वृहद् एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में परियोजना प्रशासक एवं 05 मध्यम एकीकृत आदिवासी

परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल का पुर्नगठन आलोच्य वर्ष में किया गया। परियोजना स्तर पर प्रस्तावित योजनाओं का अनुमोदन एवं रूपये 20.00 लाख तक के स्थानीय विकास कार्यों की स्वीकृति के अधिकार परियोजना सलाहकार मण्डल को प्रदत्त हैं। परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा उनके क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन व अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। परियोजना सलाहकार मण्डल में आदिवासी जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

विभागीय प्रशासकीय संरचना परिशिष्ट–दो पर दर्शित है।

2.6 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण

भारत सरकार द्वारा घोषित तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां यथा – बैगा,भारिया एवं सहरिया प्रदेश में निवास करती हैं। इन जनजातियों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु योजनायें बनाने व क्रियान्वयन करने हेतु 11 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण गठित किये गये हैं। सहरिया एवं बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों में ही नहीं वरन् एक से अधिक राजस्व संभागों में फैला हुआ है। संचालित अभिकरण मुख्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र में शामिल जिलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र (जिले)
सहरिया विकास अभिकरण		
1	श्योपुरकलां	श्योपुरकलां / मुरैना / भिण्ड जिला
2	शिवपुरी	शिवपुरी जिला
3	गुना	गुना / अशोकनगर जिला
4	ग्वालियर	ग्वालियर / दतिया जिला
बैगा विकास अभिकरण		
1	मण्डला	मण्डला जिला
2	शहडोल	शहडोल जिला
3	बैहर	बालाघाट जिला
4	उमरिया	उमरिया जिला
5	डिण्डोरी	डिण्डौरी जिला
6	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर जिला

तारिया विकास अभिकरण		
1	तामिया	तामिया(पातालकोट)जिला छिंदवाड़ा

2.7 विकास खण्ड स्तर

2.7.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)

मध्यप्रदेश में 89 अनुसूचित क्षेत्र /आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पद स्वीकृत हैं। ये अधिकारी जनपद पंचायतों के कार्यपालन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करते हैं तथा इन पर विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण है।

2.7.2 विकास खण्ड अधिकारी

मध्यप्रदेश में 89 आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं, जिनमें विभागीय विकास खण्ड अधिकारी पदस्थ हैं, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण विभागाधीन है। विकास खण्ड स्तर पर विभाग की योजनाओं के साथ–साथ अन्य विकास विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत इन विकास खण्डों को जनपद पंचायतों के अधीन कर दिया गया है।

2.7.3 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी

मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल 74 विकास खण्डों में

डेरी फार्मिंग मालवाहक, वाहन टाटा मैजिक सवारी कृषि उत्पादकता बढ़ाओं, ट्रेक्टर–ट्रॉली, आटो रिक्शा लघु व्यवसाय आदि स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 70 हितग्राहियों को कुल रुपये 83.255 लाख व्यय किया जाकर लाभान्वित किया गय। इसी प्रकार आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत राशि रुपये 12.00 लाख व्यय किया गया।

2.8.2 मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट)

मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मूलतः आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्डल) भोपाल में स्थापित है जो कि वर्ष 1981 से आदिम जाति वर्ग के अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु स्थापित है ।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों के रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से सभी

क्रमांक	संस्था का नाम	अनुसूचित जनजातियों का विवरण	
		प्रशिक्षणार्थी संख्या	रोजगारित संख्या
1	IGTR AURANGABAD	23	19
2	IDEMI MUMBAI	09	06
3	TRIDENT BUDHNI	11	11
4	TATA INTERNATION DEWAS	07	07
5	IGTR INDORE	40	13
6	STI INDORE	11	11
7	ATDC INDORE	128	115
	TOTAL	279	182

प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 आदिवासी विकासखण्डों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु परिषद् द्वारा विज्ञापन प्रसारण पश्चात् व्ही.टी.पी. संस्थाओं एवं एन.एस.डी.सी. से प्रस्ताव प्राप्त किये गये। तत्पश्चात् गठित चयन समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन पश्चात् व्यवसायवार दरों के निर्धारण की कार्यवाही की गई जो कि समस्त जिलों के सहायक आयुक्त कार्यालय के माध्यम से अनुबंध संपादित होने के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये गये, जिसमें परिषद द्वारा पूर्ण रूप से

2.8.4 वन्या प्रकाशन

वन्या प्रकाशन द्वारा अनुसूचित जनजातीय जीवन परम्परा पद्धति, सांस्कृतिक वैभव और आदिवासी समुदाय की विकास प्रक्रिया में संचालित विभिन्न योजनाओं के बहुआयामी प्रचार-- प्रसार, गतिविधियां और महत्वपूर्ण प्रकाशनों की श्रृंखला का कार्य किया गया।

जनजातीय जीवन परंपरा और संस्कृति की अनुपम संपदा से देश एवं दुनिया को लोक समाज से सुपरिचित कराना तथा जनजातीय कला संस्कृति के संरक्षण के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग के उपक्रम वन्या प्रकाशन द्वारा बहुआयामी पहल की गई है। जनजातीय जीवन परम्परा पर केन्द्रित रेडियो धारावाहिक बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी तथा विविध भारती के सभी चैनल्स पर सप्ताह में दो बार प्रसारित हो रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से आदिवासी परम्परा और आदिवासी समुदाय की उपलब्धि पर केन्द्रित वन्या संदर्भ आलेख श्रृंखला नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। जनजातीय बिम्बों को छायाचित्र के माध्यम से उजागर करने के लिये वन्या प्रकाशन द्वारा छायाचित्र प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। इसी प्रकार लोक आदिवासी और समकालीन कला पर एकाग्र चित्रांकन कार्यशाला का आयोजन अमरकंटक में किया गया। बच्चों के लिये शिक्षा सहित समाज विज्ञान और विभिन्न विषयों पर केन्द्रित मासिक बाल पत्रिका 'समझ झरोखा' का भी पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। यह पत्रिका राज्य के विविध आदिवासी अंचलों में छात्रों के लाभार्थ उपलब्ध कराई जा रही है।

2.9 मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत म. प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।

धारा--9(1) के अन्तर्गत आयोग का यह कृत्य होगा कि यह –

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।

(2) आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

10. आयोग की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय अतिविशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी अर्थात् :–

क. राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'सम्मन' करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

ख. किसी दस्तावेज को प्रगट करने और पेश करने की अपेक्षा करना,

ग. शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना,

ङ. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

2.10 अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियो को दी जाने वाली सुविधायें

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के उन्नयन तथा योग्य शासकीय सेवकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा सुविधायें प्रदान की गई है :–

अ. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ/बी–11/3/83/नि–2/4 भोपाल दिनांक 25.01.86 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधायें एवं क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट–चार पर दर्शित है।

ब. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के दो बच्चों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर आदिवासी छात्रावासों/आश्रमों में रहने तथा आदिवासी विद्यार्थियों के समान शिष्यवृत्ति प्रदान करने की सुविधा दी गई है।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानांतरण के संबंध में लागू की गई नीति परिशिष्ट – पांच पर संलग्न है।

अध्याय–3

मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद्

संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग–ख कंडिका–4 में निहित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश आदिमजाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियमावली–1957 के अनुसार कार्यशील है। राज्य शासन को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतिगत मामलों में सलाह देने तथा प्रदेश के सभी विभागों में संचालित कल्याण कार्यक्रमों में आदिवासियों के हित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् में आदिम जाति कल्याण विभाग के

अध्याय–4

संरक्षणात्मक उपाय एवं विशेष व्यवस्थायें

संरक्षणात्मक उपाय

4.1 अत्याचार निवारण

अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा एवं शोषण को रोकने के लिये लागू किये संरक्षात्मक उपायों का विवरण तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिये प्रतिवेदन अवधि में उठाये गये कदम तथा अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 व नियम 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

4.1.1 विशेष न्यायालय :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की धारा–14 के प्रावधान के अनुसार राज्य शासन द्वारा 43 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। शेष 07 जिलों न्यायालयों को इन अधिनियमों के तहत सुनवाई हेतु अधिसूचित किये गये हैं।

4.1.2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–8 के प्रावधान अनुसार राज्य स्तर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के भारसाधन में संरक्षण कक्ष स्थापित है तथा सभी 50 जिला मुख्यालयों पर संरक्षण कक्ष के रूप में विशेष अनुसूचित जाति कल्याण थाने भी स्थापित किये गये हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में एक विशेष थाने की स्थापना अधिनियम में की गई है।

4.1.3 परिलक्षित क्षेत्रों का निर्धारण:–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम 3(1) में प्रावधान के अनुसार, वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश के 8 जिलों के 17 थानों के 18 क्षेत्रों के अन्तर्गत परिलक्षित क्षेत्रों के रूप में चिन्हांकित किया गया है जिसमें ऐसे ग्राम कस्बे, मोहल्लों को चिन्हित किया गया है, जहां अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अपराधों की संख्या 10 या उससे अधिक हो।

4.1.4 विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं का पैनलः–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (1) में प्रावधान के अनुसार विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 40 जिलों में ज्येष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल घोषित किया गया है।

4.1.5 लोक अभियोजकों का पैनल

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (1) के पालन में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 46 विशेष लोक अभियोजकों का पैनल घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के तहत अधिक प्रकरण दर्ज किये हैं, 10 उप संचालक, लोक अभियोजन के पद स्वीकृत कर पदस्थापना की गई है।

4.1.6 विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (2) के प्रावधान अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक द्वारा एक केलेण्डर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई माह में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।

4.1.7 अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (7) के अधीन अपराधों के अन्वेषण हेतु प्रदेश के जिलों में एक उप पुलिस अधीक्षक प्रथम एवं एक उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय अपराधों के अन्वेषण के लिये नियुक्त किये गये हैं।

4.1.8 नोडल अधिकारी की नियुक्ति

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 9 के अधीन आदेश क्रमांक

4.2 राहत एवं सहायता

4.2.1 अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं आश्रितों को दी गई राहत :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम –1995 के नियम–11 में पीड़ित व्यक्ति, उनके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

5	सजा	674
6	बरी	1948
7	खात्मा	277
8	वर्ष के अन्त में लंबित	8890
9	सजा का प्रतिशत	24.59

4.3 आदिवासियों की भूमि के हस्तान्तरण पर रोक

आदिवासियों की भूमि के हित संरक्षण को विशेष प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत कतिपय अंतरणों को अपास्त किये जाने का प्रावधान एवं 170 (ख) के अन्तर्गत आदिम जनजातियों की भूमि के कपटपूर्वक अंतरण होने पर वापस किया जाना तथा धारा 147 के अंतर्गत आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा सहित 165–6(एक) के प्रावधानों को आलोच्य वर्ष में प्रभावी रूप से अमल में लाए जाने हेतु जिला अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों की भूमि के अवैध हस्तान्तरण पर रोक लगी है।

वर्ष 2012–13 में प्रदेश के समस्त जिलों की अनुसूचित जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अन्तरित की गई थी, के प्रत्यावर्तन की स्थिति निम्नानुसार है :–

(1) न्यायालयो में दर्ज कुल प्रकरणों की संख्या – 13,669 रकबा 9296.303 एकड़

(2) न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की संख्या – 11,971 रकबा 8825.875 एकड़

(3) निरस्त (खारिज) प्रकरणों की संख्या – 3875 रकबा 2246.876 एकड़

(4) आदिवासियों के पक्ष में निर्णित प्रकरणों की संख्या – 8096 रकबा 6638.669 एकड़

(5) न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्या – 1698 रकबा 470.428 एकड़

(6) आदिवासियों को कब्जा वापस दिलाये गये प्रकरणों की संख्या – 8009 रकबा 6811.004 एकड़

4.3.1 प्रदेश में कृषक आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिये मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) (1) में प्रावधान है, कि किसी ऐसी जनजाति के जिसे राज्य सरकार में आदिम जनजाति होना घोषित किया गया है, विकय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणाम स्वरुप न तो अंतरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।

4.3.3 प्रदेश में भूमिहीन अनुसूचित जनजातियों व्यक्तियों को शासन द्वारा समय–समय पर भूमि आवंटित की जाती रही है। आवंटित भूमि के विकास के लिये हितग्राहियों पर कोई संसाधन उपलब्ध [redacted]

समाज के दिशा निर्देशों के अधीन रखा गया था । वस्तुतः शोषण मुक्त आदिवासी समाज की परिकल्पना के अधीन आबकारी नीति में समय –समय पर महत्वपूर्ण संसोधन किये गये हैं। तदानुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61 के अन्तर्गत किये गये संसोधन अनुसार :–

1 इस अधिनियम के उपबंध आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण , उसके कब्जे तथा उपयोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगें।

2 अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात –

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपयोग के प्रायोजनों के लिये ही किया जायेगा।

(दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विकय नही किया जायेगा।

(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा के कब्जे की अधिकतकम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर, प्रति गृहस्थी 15 लीटर तथा विशेष परिस्थिति में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर प्रति गृहस्थी 45 लीटर होगी।

आदिवासी परिवारों को स्वयं के उपयोग के लिये स्वंय निर्मित मदिरा के धारण एवं उपयोग की अनुमति दी गई है जब तक इस प्रकार निर्मित मदिरा के विकय की स्थिति परिलक्षित नहीं होती है, तब तक आदिवासियों विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा शराब ठेकेदारों द्वारा आदिवासी परिवारों के साथ अभद्रतापूर्वक अथवा अपमानजनक व्यवहार किये जाने की संभावना नहीं रहे, इस दृष्टि से प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर, विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक बी–

की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही शासन द्वारा मदिरा विक्रय की दुकानें खोली गई हैं। इसी दृष्टि से मदिरा विक्रय की दुकानों का निष्पादन किया जाता है साथ ही इनकी संख्या पर भी नियंत्रण रखा जाता है।

इसी अनुक्रम में शासन आदेशानुसार दिनांक 31.03.2009 की स्थिति में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत सामान्य प्रकति के पंजीबद्ध 63 प्रकरणों को वापिस लिया गया है। साथ ही न्यायालय में लंबित 227 प्रकरणों को वापिस लिये जाने की कार्यवाही संबंधित जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाना प्रकियाधीन है।

4.6 लघु वनोपज

4.6.1 लघु वनोपज का संग्रहण

लघु वनोपज के आदिवासी संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना वर्ष 1984 में की गयी। वर्ष 1984 से 1988 तक संघ द्वारा चयनित जिलों में तेन्दुपत्ता, सालबीज एवं हर्रा का संग्रहण एवं व्यापार किया गया। जून 1988 में राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार के सहकारीकरण का निर्णय लिये जाने के उपरान्त संघ द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 1989 से राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। लघु वनोपज संग्रहण के लिये प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा जिला स्तर पर जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियनों का गठन किया गया। राज्य लघु वनोपज संघ इस त्रिस्तरीय ढांचे की शीर्ष सहकारी संस्था है। मध्यप्रदेश में 61 जिला यूनियन एवं 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं।

सहकारीकरण के पूर्व वर्ष 1988 संग्रहण काल में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रुपये 85/– प्रति मानक बोरा थी। वर्ष 1989 संग्रहण कार्य में इसे बढ़ा कर रूपये 150/– प्रति मानक बोरा किया गया। इस दर में समय–समय पर वृद्धि की जाती रही है। संग्रहण वर्ष 2012 के लिये यह दर रूपये 950/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपज व्यापार का शुद्ध लाभ राज्य शासन को रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता रहा है। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व

ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिये अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं।

4.6.2 सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना

संघ द्वारा वर्ष 1991–92 से तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये निःशुल्क सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को रूपये 3500/– की

विरूद्ध कोई मामला चल रहा है तो उसे मामलों में लगने वाली न्यायालय फीस, तलवाना, मुद्रण खर्च, गवाह खर्च, अनुवाद में लगने वाला खर्च,सुसंगत दस्तावेजों की नकल (प्रतिलिपि) प्राप्त करने हेतु पूरा खर्च, एवं वकील फीस निःशुल्क है।

उक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/ अधिकरणों/उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है। वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जनजातियों के 11100 व्यक्तियों को योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

4.6.2 लोक अदालत योजना

लोगों को शीध्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इन लोक अदालतों में ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है या जो न्यायालय में संस्थित नहीं हुए है (प्रीलिटिगेशन)उनका भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया जाता है, जिसमें अन्य वर्गो के सदस्यों के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के प्रकरण सम्मिलित रहते हैं।

वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के निम्न 1,06,265 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

1. स्थाई एवं निरंतर कुल 1475 लोक अदालतें की जाकर 2814571 प्रकरणों का निराकरण कराया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 558904 प्रकरण सम्मिलित हैं।
2. लोको उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत 114 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 598 प्रकरणों का निराकरण कराया गया ।
3. राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना अन्तर्गत 64 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 41 प्रकरणों का निराकरण कराया गया ।
4. जेल लोक अदालत में 39 अदालतें आयोजित कर 31 प्रकरणों पर निराकरण कराया गया।

4.7.3 विधिक साक्षरता शिविर योजना

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम 1999 तैयार की गई है, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर,जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें,

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग निःशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि छात्र उपस्थित रहते हैं। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गों के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के शोषित पीड़ित

द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुचती है। वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 22 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

4.7.6 जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

प्रत्येक जिले में जिला न्यायलय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते है या जिन्हें जिला विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है

[redacted]

में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए

[redacted]

लेए[redacted] सभी योजनाओं हेतु (आदिवासी उपयोजना) रुपये 7050 आवेदकों को अनुदान प्राप्त हुये हैं,
के[redacted] अन्तर्गत 6,37,5000 अनुदान शासन से प्राप्त कर जिला विधिक सेवाप्राधिकरणों एवं

) राजीव गांधी खाद्यान्न सरक्षा मिशन की स्थापना 20 अगस्त 1998 से की गई है। मि न द्वारा अधिनि म 1989

साक्षियों को राशि वितरित की जा रही है साथ ही अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक [redacted]

अध्याय–5

[redacted]

भारत सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता के निर्मुक्त एवं उपयोग

[redacted]

[redacted]

13. वनग्रामों के विकास के समय वन विभाग के कार्यक्रम जैसे संयुक्त वन प्रबंधन के साथ तालमेल बैठाते हुए आदिवासियों की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जावे। इसी प्रकार खेती करने वाले आदिवासियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए उपयुक्त/अतिरिक्त रोजगार मूलक व स्व–रोजगार के कार्यक्रम लिये जाने चाहिये।

14. आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत कार्यक्रम की प्रगति पर सतत् निगरानी [redacted]

से अधिक लागत वाले कार्य परियोजना सलाहकार मण्डल की अनुशंसा पर उचित माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित किये जायेगें।

5. परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए एजेन्सी नियुक्त करने का अधिकार भी परियोजना सलाहकार मण्डल को होगा। पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही मण्डल अन्य

पीढ़ियों से निवासरत अन्य परम्परागत वर्ग के वन निवासियों को वन भूमि पर अधिकार देने हेतु पूरे प्रदेश में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, माह मार्च 2013 तक 162851 दावों पर वन निवासियों के

[redacted]

प्रदेश के विकलांग आदिवासियों के कल्याणार्थ विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गत वर्षों की उपलब्ध राशि से वर्ष 2012–13 में 74 विकलांग अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को रू. 66.00 लाख के ऋण प्रकरण स्वीकृत हेतु विचाराधीन है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 70 हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत राशि रू. 83.255 लाख उपलब्ध कराये जाकर लाभांवित किया गया।

5.2 किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

प्रदेश में कृषि संगणना 2001 के अनुसार कुल कृषक जोतों की संख्या 73.60 लाख है, जिसमें 47.89 लाख (61 प्रतिशत) लघु एवं सीमान्त वर्ग के कृषक हैं। अनुसूचित जनजाति की जोत संख्या 15.04 लाख है, जो कुल जोतों का 20.44 प्रतिशत है। इस वर्ग के कृषक अधिकतम लघु एवं सीमान्त वर्ग में आते हैं। कृषकों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं में अनुदान देय है।

कृषि विभाग के अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों गतिविधियों का प्रमुख दायित्व प्रदेश में फसलों के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना है। रासायनिक उर्वरक, प्रमाणित तथा उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ाने, पौध संरक्षण कार्यक्रम, कृषि उपकरण आदि आदान कृषकों को उपलब्ध कराने, लघु सिंचाई संसाधनों का विस्तार, छोटे तालाब, स्टाप डेम का निर्माण, भूमि एवं जल प्रबन्धन, विस्तार तथा अनुसंधान के द्वारा कृषि की नई तकनीक कृषकों तक पहुँचाना सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर कृषि गतिविधियों को संचालित करना, कृषि उत्पादन वर्षा एवं मौसम के अनुसार उतार/चढ़ाव से शासन को अवगत कराना विभाग का दायित्व है। कृषि विभाग की गतिविधियों के समुचित क्रियान्वयन विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को पांच समूह में विभाजित किया है। 1. कृषि उत्पादन, 2. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 3. लघु सिंचाई योजना, 4. भूमि संरक्षण।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत राशि रुपये 14496.98 लाख बजट प्रावधान तथा आवंटित राशि रूपये 14445.07 लाख के विरूद्ध रुपये 12875.57 लाख व्यय किया गया, जिससे 297717 कृषकों को लाभान्वित किया गया। कृषि से संबंधित गतिविधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया गया:–

राज्य पोषित योजनाऐं

1. सूरजधारा योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लघु सीमांत कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत प्रमाणित/आधार बीज साधारण बीज के बदले या 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं। बीज अदला बदली घटक के अंतर्गत प्रमाणित बीज अधिकतम एक हेक्टेयर हेतु, बीज उत्पादन स्वालंबन के अंतर्गत आधार बीज कृषकों की धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र हेतु एवं बीज उत्पादन घटक के अंतर्गत आधार बीज (शासकीय प्रक्षेत्रों की 10 कि.मी. की परिधि के अंदर के कृषकों को) कृषक की धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये उपलब्ध कराया जाता है। राशि रुपये 567.05 लाख का आवंटन के विरुद्ध 565.12 व्यय कर 59191 कृषक लाभांवित हुये।

2. अन्नपूर्णा योजना

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लघु सीमांत कृषकों को खाद्यान्न पर उपलब्ध कराये जाते हैं। बीज अदला बदली घटक के अंतर्गत प्रमाणित बीज अधिकतम एक हेक्टेयर हेतु बीज स्वालंबन के अंतर्गत आधार बीज (शासकीय प्रक्षेत्रों की 10 किमी की परिधि के अंदर के कृषकों को) कृषक की धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये उपलब्ध कराया जाता है। राशि रुपये 552.62 लाख का आवंटन के विरुद्ध 552.09 व्यय कर 79369 कृषक लाभांवित हुये।

3. नलकूप खनन योजना

योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को नलकूप खनन के लिये लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम जो भी कम हो एवं सबमर्सीबल पम्प एवं सहायक सामग्री के लिये कीमत का 75 प्रतिशत या रुपये 9000/– जो भी कम हो अनुदान देय है। राशि रुपये 431.90 लाख आवंटन के विरुद्ध 424.45 व्यय कर 1636 कृषक लाभांवित हुये।

4. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत सभी श्रेणी कृषकों को फसल बीमा प्रीमियम का 10 प्रतिशत अंश लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान देय है। खरीफ की अधिसूचित फसल सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन एवं तुअर, मक्का एवं बाजरा के लिए निर्धारण पटवारी हल्का है एवं कुटकी, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास एवं केला के लिए निर्धारण इकाई तहसील है। इसी प्रकार फसलों में गेहूँ सिंचित असिंचित, चना एवं राई सरसों के लिए निर्धारण इकाई पटवारी हल्का

ए अलसी, प्याज, आलू के लिए निर्धारण इकाई तहसील है। राशि रुपये 1265.63 लाख का आवंटन के

[redacted]

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

यह योजना केन्द्र संचालित समन्वित तथा बहुउद्देशीय योजना है वर्ष 2007–08 से प्रदेश लागू की गई है। योजना में कृषि तथा संबंधित विभागों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी बी निजी संस्थाओं के सहयोग से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर घरे

योग्य, अकृषि योग्य भूमि एवं जल निकासी प्रणाली का उपचार वानस्पतिक उपायों द्वारा स्थानीय कृषकों को एवं हितग्राहियों की सहभागिता से किया जाता है।

4. नदी घाटी योजना:– देश की बड़ी नदियों पर बनाये गये अर्न्तराज्जीय बहुउद्देशीय सिंचाई जलाशयों में बहकर आने वाली मिट्टी (साद) को रोककर जलधारण क्षमता को बढ़ाना, इसके साथ ही जल ग्रहण क्षेत्रों की कृषि एवं अकृषि भूमि को उपचारित कर उसकी उत्पादकता बढ़ाना। यह कार्यक्रम प्रदेश के 5 जलग्रहण क्षेत्रों में चम्बल, माताटीला, तवा, माही तथा सोन जलग्रहण क्षेत्र में वर्तमान में कियान्वित किया जाता है। वर्ष 2001–02 में योजना मैक्रोमैनेजमेंट में शामिल है प्रदेश के प्रमुख नदियों चम्बल,माही,तवा,बेतवा नदी एवं सोन नदियों पर वर्तमान में वन विभाग एवं कृषि विभाग की सहायता से यह योजना क्रियान्वित है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना :–

4. तिलहन उत्पादन कार्यकम

योजना में भारत सरकार 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार 25 प्रतिशत वित्तीय अनुपात में व्यय होता है। योजना का कार्य क्षेत्र प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में है। उद्देश्य प्रदेश में तिलहन–दलहन तथा मक्का का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है। योजना सभी श्रेणी के कृषकों के लिये कियान्वित है। योजना के प्रमुख घटक प्रमाणित बीज वितरण औषधि पौध संरक्षण यंत्र, उन्नत कृषि यंत्र ब्लाक प्रदर्शन पोषण प्रबंधन, जिप्सम पायराईट स्प्रिकलर सेट वितरण आदि घटकों पर अनुदान देय है। राशि रुपये 297.85 लाख का आवंटन के विरुद्ध 288.48 व्यय कर 70748 कृषक लाभांवित हुये।

5. **सघन कपास विकास कार्यकम:–** इस योजनान्तर्गत राशि रुपये 105.00 लाख बजट प्रावधान रुपये 4.76 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें राशि रुपये 4.76 लाख व्यय कर 813 कृषकों को लाभांवित किया गया ।

अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिये कृषि से संबंधित योजनाऐं प्रमुख रूप से तिलहन की एकीकृत योजना (आईसोपाम) दलहन की एकीकृत योजना (आईसोपाम) मक्का विकास की एकीकृत योजना (आईसोपाम) ,सघन विकास कार्यक्रम माइक्रो मैनेजमेंट योजना एकीकृत अनाज विकास योजना – मोटा अनाज सतत गन्ना विकास योजना, राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र

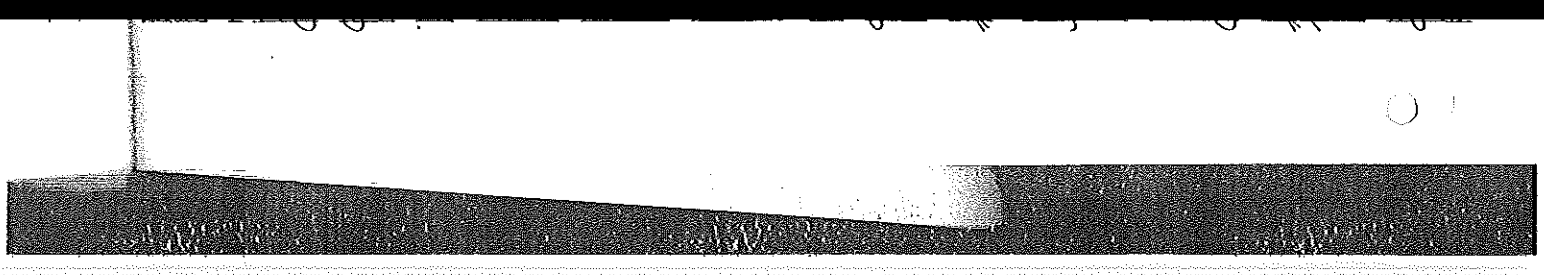

5.3 वानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं आवंटन रुपये 3360.64 लाख के विरुद्ध रुपये 2870.59 लाख व्यय किये गये। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

<u>विकास कार्य</u>

5.3.1 फल विकास कार्यकम

योजना के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार प्रति हैक्टर निर्धारित लागत मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । बैंक ऋण पर आम, सन्तरा, नीबू, केला पपीता, अंगूर को सम्मिलित किया गया है तथा जो कृषक ऋण नहीं लेना चाहते , उन्हे विभागीय योजना के तहत आम, अमरूद, अनार, ऑवला, सन्तरा, नीबू का बगीचा लगाने पर अनुदान देय है । इस योजना अन्तर्गत रुपये 116.87 लाख के विरुद्ध 88.37 लाख व्यय कर 2348 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

5.3.2 टॉप वर्किंग योजना

आम, ऑवला एवं बेर के देशी पौधों को टॉप वर्किंग विधि द्वारा उन्नतशील किस्मों में बदला जाता है । यह कार्य विभागीय अमले एवं ग्रामीण बेरोजगार युवकों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण देकर कराया जाता है । ग्रामीण बेरोजगार युवकों द्वारा कराये गये कार्य पर 10 रूपये प्रति सफल ग्राफ्ट (पौधा) पर पारिश्रमिक दिया जाता है । प्रशिक्षित अमले द्वारा 23520 पौधों में टॉप वर्किंग कर 7803 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

5.3.3 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12500 रूपयें प्रति हैक्टर तथा सब्जी के कंदवाली फसल जैसे–आलू, अरबी के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपयें 25000/– अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हैक्टर से लेकर 2 हैक्टर तक का लाभ दिया जाना प्रावधानित है। इस योजना से 1700 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

5.3.4 बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम

राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों

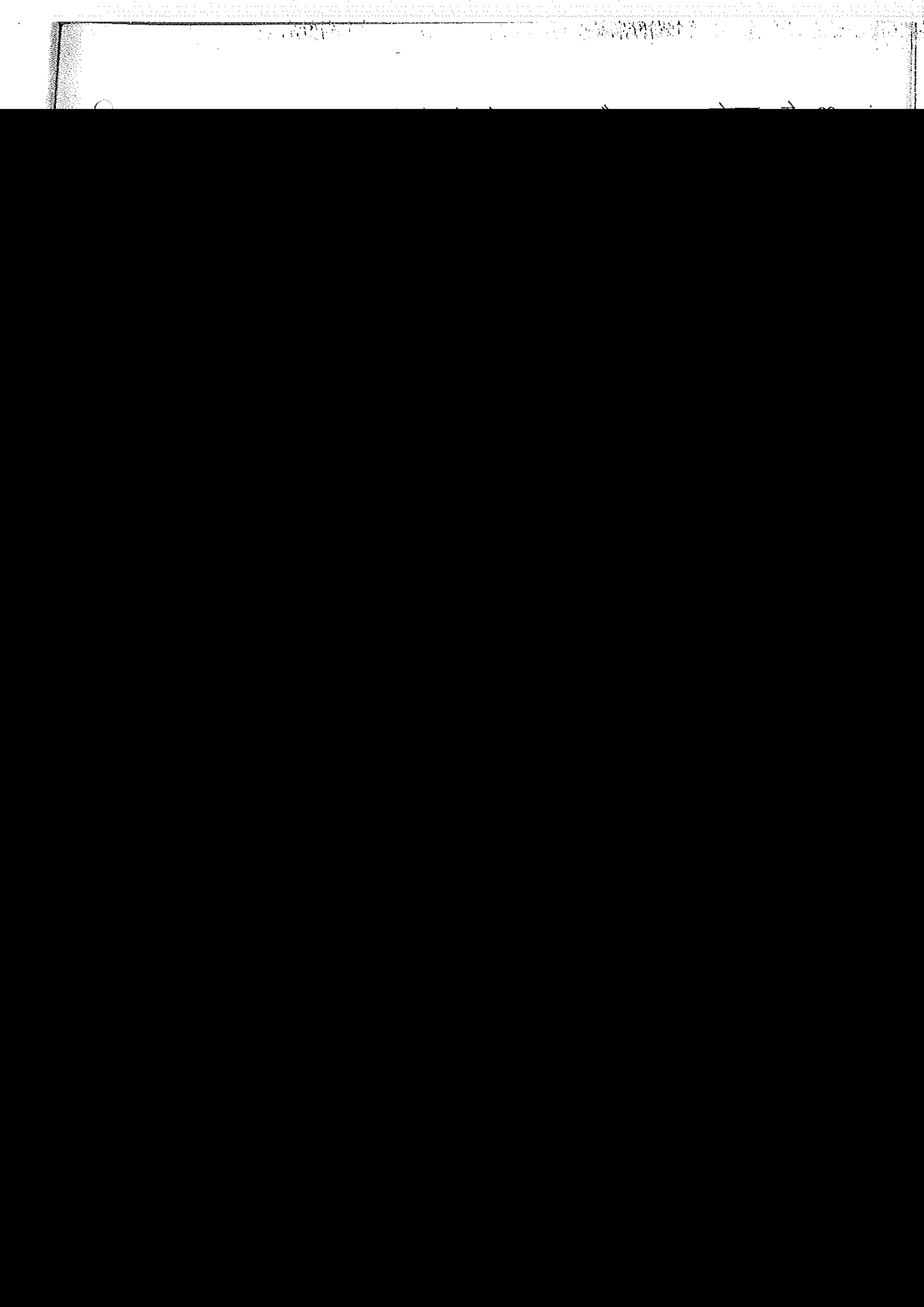

- ❖ योजना का उद्देश्य सिंचाई जल का कुशल उपयोग।
- ❖ योजना के तहत लघु एवं सीमात कृषकों को निर्धारित इकाई लागत मूल्य का 80 प्रतिशत तक अनुदान देय है । जिसमें केन्द्रांश का 50 एवं राज्यांश 30 प्रतिशत भाग है। शेष 20 प्रतिशत राशि का व्यय कृषक को स्वयं वहन करना होगा ।
- ❖ बडे कृषको को निर्धारित इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान देय है। जिसमें केन्द्राश का 40 प्रतिशत एवं राज्यांश राशि का 30 प्रतिशत भाग है। शेष 30 प्रतिशत भाग का व्यय कृषक का स्वयं वहन करना होगा।
- ❖ यह योजना प्रदेश की सभी जिलों में लागू होगी। उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ❖ योजनांतर्गत वर्ष 12–13 में ड्रिप/स्प्रिंकलर संयंत्रों से रुपये 1335.17 लाख का व्यय किया गया।

(3) **नये उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना** :– योजनान्तर्गत रोपड़ियों में उन्नत किस्म के फल पौध एवं वानिकी पौध उत्पादन कर कृषकों को उचित दर पर उपलब्ध कराने उन्नतशील किस्म के

३. विभिन्न व्यक्ति मूलक कार्यक्रम के तहत् 4093 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया।

४. डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजनायें अन्तर्गत 123 सुधारु गाय महिला पशुपालकों को अनुदान पर प्रदाय की गई।

५. 2250 हितग्राहियों का बीमा का लाभ पशुधन बीमा योजना से लाभान्वित किया गया।

2 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना योजना अन्तर्गत आदिवासी पशुपालकों को निकटतम दूरी पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 08 नवीन पशु औषधालय खोले गयें हैं।

3 अनुबंध के आधार पर चल रहे पशु चिकित्सा इकाई का संचालक – प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों को घर पहुंच चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से 62 आदिवासी विकास खण्डों में अनुबन्ध के आधार पर चल पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अन्तर्गत 698000 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, [redacted] कार्य किये जाते हैं।

अन्तर्गत रूपये 22.29 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध रुपये 22.29 लाख व्यय कर 860 अनुसूचित जनजाति के मत्स्यपालकों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है तथा विभागीय कार्यक्रम अन्तर्गत 21.46 लाख प्रावधान कर 20.10 लाख व्यय किया गया।

5.5.2 मत्स्य बीज उत्पादन

[redacted]

आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत प्रावधानित राशि रूपये 14.82 लाख के विरूद्ध रूपये 13.74 लाख व्यय कर 439 हेक्टेयर जलक्षेत्र पट्टे पर अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को उपलब्ध कराया गया।

5.5.7 मत्स्य जीवियों का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

राष्ट्रीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ मर्यादित, नई दिल्ली के माध्यम से राज्य के सक्रिय मछुओं को निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत प्रति मछुआ दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि रुपये 29/– निर्धारित हैं। बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की दशा में क्रमशः मृतक के मनोनीत को रुपये 1,00,000/– तथा बीमित व्यक्ति को रुपये 50000/– का भुगतान कराया जाता है।

राज्यांश अंतर्गत उपलब्ध बजट प्रावधान रूपये 6.00 लाख के विरूद्ध रूपये 5.83 लाख व्यय किया जाकर 40213 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का बीमा किया गया।

5.5.8 विस्तार और प्रशिक्षण (अध्ययन भ्रमण)

[redacted]

5.6 सहकारिता

अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने एवं शोषण को रोकने के लिये विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। आदिवासियों का जीवन यापन मुख्यतः वनोपज एवं कृषि उपज पर आधारित है। उनके वनोपज एवं कृषि उपज की क्रय–विक्रय व्यवस्था हेतु 851 लेम्पस् एवं 1089 लघु वनोपज सहकारी समितियों का गठन किया गया है। आदिवासी वर्ग को शासकीय अनुदान देकर लेम्पस का सदस्य बनाया जाकर लेम्पस से उपलब्ध होने वाले समस्त लाभों को अर्जित कर सकें।

लेम्पस के द्वारा आदिवासियों को सुविधा देने एवं शोषण से मुक्ति के लिए निम्नानुसार कार्य किये जा रहे हैं :–

1. लेम्पस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकता उपभोक्ता सामग्री शकर, गेहूँ, चावल, केरोसिन का वितरण भी किया जा रहा है।
2. आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा जो भी कार्यक्रम/योजना क्रियान्वित होते हैं, वे सम्पूर्ण रूप से लेम्पस के माध्यम से चलाई जाती हैं। संस्था से उपलब्ध होने वाले लाभ तभी संभव हैं, जबकि वे संस्था के सदस्य बने रहें। विभाग द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में लेम्पस का सदस्य बनाया जावे।
3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश के आदेश कमांक /साख/एपी/12/245 दिनांक 8.2.2012 द्वारा वनग्रामों में आवंटित पट्टाधारी कृषकों को सहकारी संस्थाओं के द्वारा ऋण प्रदाय करने के संबंध में समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंक म.प्र. को आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है कि वनग्रामों के पट्टेधारियों को सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से अल्प एवं मध्यकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाये । जहां आवश्यक हो संबंधित संस्था के कार्यकम में वनग्रामों को सम्मिलित करने हेतु उनके उपनियमों में विलंब संशोधन की कार्यवाही की जावे तथा पट्टाधारियों को सदस्य बनाया जाये ।

   उपरोक्त निर्देश वनग्राम के पट्टाधारियों को अल्प एवं मध्यम अवधि के ऋण प्राप्त करने में लाभकारी सिद्व होगें ।
4. अनुसूचित जनजातियों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विशेष कर लैम्प समितियों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु लैम्प समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं

प्रबंधन व्यवस्था की प्रभावकारी भूमिका को स्वीकार करते हुये इन समितियों को आर्थिक सहायता के लिये कृषि मंत्री परिषद द्वारा प्रबंधकीय अनुदान की राशि को 4 गुना करने पर सहमति दी गई है । वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रत्येक लैम्प समितियों को रू. 12000/– के स्थान पर रू. 48000/– वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान के रूप में शासन से प्राप्त होगें । इस अनुदान से लैम्प समितियों की प्रबंधकीय व्यवस्था का आधार सुदृण होगा ।

आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों, उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:–

(रू. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	प्राथमिक सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	संस्था	408.00	408.00	850	850
2	सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को ब्याज अनुदान	सदस्य	5372.50	5036.62	5.30	5.30
	योग		5780.00	5444.62	-	-

5.7 वन

प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध संकल्प अनुसार वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की वन सुरक्षा एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिय सयुक्त वन प्रबन्ध की वन समितियाँ गठित की गई हैं, जिसमें सभी मतदाताओं को सदस्य रखा गया है। विभाग की सभी गतिविधियों के सम्पादन में वन समितियों के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी हैं। वन समिति की कार्यकारणी में अनुसूचित जनजाति के सदस्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखे जाते हैं। कार्यकारणी में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है तथा वन समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष में से कम से कम एक महिला होना आवश्यक है।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत बजट आवंटन रुपये 14884.78 लाख के विरूद्ध रूपये 14872.35 लाख व्यय किया गया। विभाग द्वारा सेटेलाईट इमेजरी हेतु फसल मुआवजा पर राशि रूपये 330.00 लाख व्यय की गई । कार्ययोजना के कियान्वयन में प्रथम वर्ष 170564

हेक्टेयर क्षेत्र में वन प्रबंधन एवं 525177 हेक्टेयर क्षेत्र में रख रखाव कार्य किया गया। वनो के विकास हेतु वृक्षारोपण एवं रखरखाव का कार्य 66745 हेक्टेयर में किये गये हैं।

5.8 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं समग्र स्वच्छता अभियान आदि संचालित है। वर्ष 2012–13 में संचालित योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:–

5.8.1 इंदिरा आवास योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण आवासहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में कुल निधि का कम से कम 60 प्रतिशत राशि का उपयोग अनुसूचित जाति/जनजाति पर करने का प्रावधान किया गया है।

योजना हेतु वर्ष 2012–13 में कुल प्रावधानित राशि रूपये 36168.17 लाख के विरूद्ध रूपये 34642.11 लाख का व्यय किया गया, जिसमें से अनुसूचित जनजाति पर राशि रूपये 22418.02 लाख व्यय किया गया, जो कुल व्यय का 65 प्रतिशत है। कुल 84358 आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध 67695 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, जिसमें 43743 आवास, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शामिल है, जो कुल पूर्ण आवास का 65 प्रतिशत है।

5.8.2 मुख्यमंत्री आवास योजना (अपना घर)

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति के आवासहीन परिवारों को नवीन आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना (अपना घर) का क्रियान्वयन इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका अनुसार किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में कुल उपलब्ध राशि रूपये 39.57 करोड के विरूद्ध रूपये 27.68 लाख व्यय कर कुल 5846 नवीन आवासों का निर्माण पूर्ण कराया गया है तथा 4529 नवीन आवास निर्माण कार्य प्रगति पर रहा है।

5.8.3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 34159 अनुसूचित जनजाति परिवारों/हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुये रूपये 13394.73 लाख की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुये विभिन्न आय मूलक गतिविधियां –जैसे घरों की साज–सज्जा

की वस्तुएं, मोतियों की माला, गुड़िया निर्माण, ईंट भट्टा, भैंस पालन, मुर्गी पालन आदिं से जोड़ा गया है ।

5.8.4 राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

वित्तीय वर्ष 2012–13 में मिशन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के अन्तर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एवं एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत राशि रूपये 160.16 करोड़ का व्यय किया जाकर जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य किये गये।

5.8.5 म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना

भागः– 1 परियोजना संरक्षणात्मक उपायों के कियान्वयन से सीधे नहीं जुड़ी है। परियोजना संरक्षणात्क उपायों के कियान्वयन से परोक्ष रूप से आजीविका संबंधी गतिविधियों और प्रयासों के माध्यम से जुड़ी है।

परियोजना के अंतर्गत करीब 2.85 लाख गरीब परिवारों को संवहनीय आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है और ग्राम सभा में सकिय भागीदारी करते हुये अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

अनुसूचित बाहुल्य वाले क्षेत्रों में साक्षरता और जागरूकता की कमी से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसके लिये परियोजना अमले द्वारा क्षमता वर्धन की गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैं। परियोजना द्वारा परिवारों को कानूनी रूप से साक्षर बनाने और उनके सामाजिक – आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों से परिचित कराया जा रहा है।

स्वरोजगारी 57953 में से 17396 अनुसूचित जनजाति के इनमें से 35079 महिला स्वरोजगारी है।

5.8.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्य प्रदेश का शुभारंभ दिनांक 2.2.2006 हुआ था । योजना अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है । योजना प्रदेश में 3 चरणों में लागू की गयी है । प्रथम चरण में 18 जिले, द्वितीय चरण में 13 जिले एवं तृतीय चरण में शेष 17 जिलों में योजना का विस्तार किया गया है । वित्तीय वर्ष 2010–11 से तृतीय चरण में दो जिले अलीराजपुर एवं सिंगरौली की प्रगति पृथक से अंकित करते हुए प्रदेश के समस्त 50 जिलों में योजना चल रही है ।

2. 31 मार्च 12 तक प्रदेश में 1.18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिये गये है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह मार्च 13 तक 33.01 लाख परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम कार्य निर्धारित समय –सीमा में उपलब्ध करा दिया गया है।

2. प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2012–13 का कुल प्रारंभिक शेष रू. 1660.59 करोड़ है । वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू. 3571.2 करोड़ के विरुद्ध रुपये 2796.17 करोड़ व्यय किया गया है।

3. प्रदेश में कुल 4.86 लाख कार्य प्रगति पर हैं। 1.99 लाख से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। योजनान्तर्गत इस अवधी में 1255.41 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जिसमें 348.49 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 532.06 लाख महिला मानव दिवस सृजित हुये हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

2.1	अनुसूचित जनजाति जाब कार्ड संख्या (करोड़ में)	1.20
2.3	कार्य पर उपस्थित परिवार संख्या (लाख में)	33.01
2.4	कुल सृजित मानव दिवस की संख्या (लाख में)	1255.41
2.5	अनुसूचित जनजाति मानव दिवस (लाख में)	348.49
2.6	महिलाएं – मानव दिवस (लाख में)	532.06
2.7	100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवार संख्या	156.704
2.8	कुल व्यय (करोड़ में)	2796.17
2.9	पूर्ण कार्य संख्या	199846
2.11	अकुशल श्रम हेतु मजदूरी (करोड़ में)	1614.61
2.12	प्रगतिरत कार्य संख्या	486749

5.8.7 समग्र स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान)

प्रदेश के समस्त जिलों में समग्र स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु तकनीकी एंव वित्तीय सहयोग, शालाओं में स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, महिलाओं के लिये स्वच्छता परिसरों का निर्माण सुनिश्चित कराने के साथ समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता एंव स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने हेतु जागरूकता लाने के सतत् प्रयास किया जा रहा हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में रुपये 39665.00 लाख के विरुद्ध रुपये 11120.80 लाख व्यय कर 7448 कुल स्वीकृत कार्यों में से 647 पूर्ण कार्य, 4032 प्रगतिरत कार्य एवं 2769 अप्रारंभ कार्य कराये गये हैं।

5.8.9 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.)

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक विश्व बैंक पोषित योजना है। समान आवश्यकता, समान आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर बने स्वसहायता समूहों के माध्यम से गरीबी तक पहुँच कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना, परियोजना का उद्देश्य है। परियोजना द्वितीय चरण में प्रारंभ की तिथि 13 अक्टूबर 2009 है। यह चरण म.प्र. के चयनित 14 [redacted]

भाग दो

1 कुल 29670 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया, जिसमें 8376 स्वसहायता समूह अनुसूचित जनजाति समूह हैं एवं इसके माध्यम से 94284 अनुसूचित जनजाति परिवार की महिलायें समूह के रुप में संगठित हैं।

2 2401 ग्रामों में प्रथम स्वसहायता समूह अनुसूचित जनजाति का गठन किया गया है।

3 25 प्रतिशत स्वसहायता समूहों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं अध्यक्ष एवं 60 प्रतिशत से

5.9 जल संसाधन

जल संसाधान विभाग की योजनाओं का लाभ सामुदायिक स्वरूप का है। सिचांई योजनाओं से लाभान्वित होने के कारण संबंधित कृषकों की कृषि उत्पादन में वृद्वि होती है एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले आदिवासियों का पुनर्वास भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप किया जाता है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत केवल वे ही योजनाएं हाथ में ली जाती है, जिनमें लाभान्वित परिवारों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होने के साथ ही लाभान्वित क्षेत्रफल भी 50 प्रतिशत से अधिक हो।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 01 वृहद 01 मध्यम एवं 383 लघुसिंचाई योजनाएं विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रुपये 31957.17 लाख बजट प्रावधान एवं प्राप्त आबंटन रुपये 42636.30 लाख के विरूद्ध राशि रुपये 41807.15 लाख व्यय कर 19366 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई।

5.10 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा मान परियोजना जिला धार एवं जोबट परियोजना जिला धार एवं झाबुआ निर्माणाधीन हैं इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विस्थापित परिवारों को सहायता राशि, पूर्ण बसाहट कार्य किया गया है।

(1) मान परियोजना

परियोजना के पूर्ण जल स्तर (एफ.आर.एल.) 297.65 मीटर पर 17 ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित होंगे, इन प्रभावित ग्रामों की कुल 1111.30 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होती है, जिसमें 725.50 हेक्टेयर निजी भूमि, 381.407 हेक्टेयर राजस्व भूमि एवं 4.393 हेक्टेयर वन भूमि है। संबंधितों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। विस्थापितों हेतु 12 करोड़ का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया था।

विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए तीन पुनर्वास स्थल ग्राम आमखेड़ा, जूनापानी एवं कैसुर का विकास किया गया है। कुल 993 विस्थापित परिवारों में से अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या 952 है। पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट का कार्य प्राधिकरण के पुनर्वास प्रकोष्ठ द्वारा संपादित किया गया है। डूब से प्रभावित सभी 993 परिवारों को पुनर्वास नीति के अनुसार बसाया जा चुका है।

परियोजना के बांध एवं नहरों के कार्य लगभग पूर्ण है। परियोजना से 15000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है, जिसमें 53 ग्राम लाभान्वित होंगें। लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या निम्नानुसार है :–

कमाण्ड क्षेत्र	लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या			कुल
	अ.जा	अ.ज.जा.	सामान्य	
15000 हेक्टेयर	167	6878	806	7851

वर्ष 2012–13 में जल की उपलब्धता अनुसार 17439 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है।

(2) जोबट परियोजना

परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर 13 ग्रामों की कुल 1310 हेक्टेयर भूमि डूब में आवेगी, जिसमें 123 हेक्टेयर वन भूमि, 388 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं 799 हेक्टेयर निजी भूमि है। 799 हेक्टेयर निजी भूमि हेतु संबंधितों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट कार्य प्राधिकरण के पुनर्वास प्रकोष्ठ द्वारा संपादित किया गया है। डूब से प्रभावित पुर्नबसाहट हेतु पात्र सभी 402 परिवारों को पुनर्वास नीति के अनुसार फिर से बसाया जा चुका है। प्रभावित 402 परिवारों में अनुसूचित जनजाति के 402 परिवार हैं।

परियोजना के बॉध एवं नहरों के कार्य लगभग पूर्ण है। परियोजना से कुक्षी तहसील के 9848 हेक्टेयर क्षेत्र में 24 ग्रामों में सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। 2450 परिवार लाभांवित होंगे, जिसमें 49 प्रतिशत आदिवासी परिवार सम्मिलित हैं। वर्ष 2012–13 में 11808 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है।

(3) ओंकारेश्वर परियोजना (नहर)

इस परियोजना के अन्तर्गत ओंकारेश्वर परियोजना की नहरों के निर्माण कार्य निम्नानुसार प्रगति पर है :–

फेज–I निर्माण कार्यों में कामन वाटर केरियर, (960 हेक्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवक्र सहित), बांई तट मुख्य नहर (20580 हेक्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवक्र सहित), एवं (नर्मदा एक्वाडक्ट को छोडकर) 9.775 कि. मी., दांयी तट मुख्य नहर (2460 हे. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवक्र सहित) के निर्माण कार्य लागत रू. 17800.00 लाख के टर्न की निविदा के अन्तर्गत प्रगति पर है। फेस–1 के शेष कार्य प्रगति पर होकर मार्च 2014 तक पूर्ण किये जाना प्रस्तावित हैं। फेज–I के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर खण्डवा, बड़वाह एवं कसरावद तहसीलों की 24000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रणाली से आदिवासी जिला मण्डला की 13040 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। परियोजना की स्वीकृत लागत रुपये 414.21 करोड़ रुपये है। कार्य प्रगति पर है।

परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय का जानकारी निम्नानुसार है :–

(रू. लाख में)

परियोजना	वर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय
मान परियोजना	2012-13	1266.34	1257.98
जोबट परियोजना	2012-13	1496.38	1492.16
औंकारेश्वर परियोजना (नहर)	2012-13	25306.80	25267.20
अपर नर्मदा परियोजना	2012-13	74.43	74.43
हॉलोन सिंचाई परियोजना	2012-13	20.00	15.18

5.11 उर्जा – म.प्र. विद्युत मण्डल

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु रूपये 4813.24 लाख राशि जिला कलेक्टर्स को निम्नलिखित योजनाओं हेतु पुनर्रावंटित की गईः–

1. अनुसूचित जनजाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तारः–योजना अंतर्गत कपिलधारा एवं अन्य मदों से निर्मित आदिवासी कृषकों के कुओं तक उदवहन के लिये मोटर संचालित करने हेतु विद्युत लाईन का विस्तार किया जाता है । वर्ष 2012–13 में राशि रू. 2887.94 लाख के प्रावधान के विरूद्व 1508 आदिवासी कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विस्तार किया गया ।

2. अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में एकल बत्ती कनेक्शन/स्ट्रीट लाईट की व्यवस्थाः– योजना अंतर्गत विद्युत विहीन आदिवासी घरों में प्रकाश व्यवस्था हेतु एकल बत्ती कनेक्शन प्रदाय किया जाता है । वर्ष 2012–13 में राशि रू. 481.33 लाख के प्रावधान के विरूद्व 8741 आदिवासी घरों में विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया ।

3. मजरे/टोलों का विद्युतीकरणः– योजना अंतर्गत विद्युत विहीन आदिवासी मजरे/टोलों में प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत लाईन का विस्तार किया जाता है । वर्ष 2012–13 में राशि रू.1443.97 लाख के प्रावधान के विरूद्व 385 आदिवासी मजरे/टोलों तकं विद्युत लाइन का विस्तार किया गया ।

5.11.1 मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड–भोपाल

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर आवंटित राशि के विरूद्ध रुपये 4485.30 लाख व्यय कर निम्नानुसार क्षेत्र अन्तर्गत कार्य किये गये। यह राशि मध्यप्रदेश शासन एवं आर.ई.सी. द्वारा राशि आवंटित की गई।

1.	33 के.व्ही. लाइनें (कि.मी.)	–	189
2.	11 के.व्ही. लाइनें (कि.मी.)	–	179
3.	33/11 के.व्ही. नवीन उपकेन्द्र संख्या	–	8
4.	पावर ट्रांसफार्मर (संख्या)	–	24
5.	वितरण लाइनें (कि.मी.)	–	9
6.	वितरण ट्रांस्फार्मर (संख्या)	–	402
7.	अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना(संख्या)–		33
8.	नवीन वितरण ट्रांसफार्मर (संख्या)	–	152

आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 33 विद्युतीकरण एवं 61 बी.पी.एल. कलेक्शन के कार्य लागत राशि रुपये 50.26 लाख से पूर्ण किये गये हैं। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 28 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, 918 ग्रामों का सघन विद्युतीकरण एवं 39033 बी.पी.एल. कनेक्शनों के कार्य पूर्ण किये गये हैं।

5.11.2 मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड–जबलपुर

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु रूपये 3188.00 लाख के प्राप्त आवंटन के विरूद्ध रूपये 3096.00 लाख व्यय कर एक नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, 7 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर, 16 नग पॉवर ट्रांसफार्मर, की क्षमता वृद्धि कर 48.5 किलोमीटर, 33 के.व्ही. लाईन तथा 27.10 किलोमीटर, 11 के.व्ही. लाईन के कार्य किये गये।

5.11.3 मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड–जबलपुर

पारेषण कम्पनी द्वारा पारेषण लाईनों एवं अति उच्च दाब उपकेन्द्रों का निर्माण किया जाता है, जिससे काफी बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 67 मजरे/टोलों का विद्युतीकरण एवं 7147 अनुसूचित जनजाति के उपभोक्ताओं को एक बत्ती कनेक्शन को प्रदाय कर उक्त योजना के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 36 आदिवासी ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर विद्युतीकृत किया गया है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणियों के 188598 उपभोक्ताओं को निःशुल्क एक बत्ती कनेक्शन प्रदाय किया गया है।

5.11.4 मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड–इंदौर

वित्तीय वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिये पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 हेतु क्रमशः प्राप्त राशि रुपये 2537.00 लाख के विरूद्ध व्यय रुपये 2549.00 लाख की राशि व्यय की गई।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजनांतर्गत 67 मजरे टोलों का विद्युतीकरण एवं विद्यमान लाइनों से 40998 पंपों का उर्जीकरण, 11066 पंपों के लाइन विस्तार के कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक बत्ती कनेक्शन हेतु 34024 आदिवासियों को विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया।

5.12 म.प्र. ऊर्जा विकास निगम

(अ) ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर ऊर्जा विकास निगम द्वारा गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों यथा सौर फोटो वोल्टिक सिस्टम, बायोमास, बायोगेस, पवन ऊर्जा आदि विद्युतीकृत किया जाता है। ऊर्जा विकास निगम द्वारा वर्ष 2012–13 में 110 ग्रामों के अविद्युतीकरण किया गया।

(ब) सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत ग्रामों/मजरों/टोलों में स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट से प्रकाश व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2012–13 के दौरान 7871 नये सोलर स्ट्रीट लाईट एवं 5761 नग सोलर होम लाईट संयंत्रों की स्थापना की गई ।

5.13 उद्योग

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना

अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बेरोजगार हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता प्रदान कर उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2012–13 में रूपये 1429.80 लाख के विरूद्ध रूपये 1410.55 लाख व्यय कर 1093 अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मार्जिन मनी राजसहायता उपलब्ध कराई गई।

5.14 हाथकरघा

अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को त्वरित लाभ मिले, इस हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही है:–

- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम,
- हाथकरघा विकास योजना,
- कुटीर उद्योग
- स्वास्थ्य बीमा योजना

वर्ष 2012–13 में संचालित योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के 1829 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत बजट प्रावधान, आवंटन, व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:–

(रूपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	प्रावधान	आवंटन	व्यय	भौतिक उपलब्धि

3. ग्राम गोहपानी एवं पंथावाड़ी विकास खण्ड बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर.सी.सी. रोड निर्माण, बोर वेल एवं बुनकरों के लिये वर्कशेड निर्माण हेतु कुल राशि रुपये 15.98 लाख स्वीकृत की गई ।

5.15 संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

हाथकरघा विकास की जिम्मेदारी "मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम" को दी गयी है। निगम का मूल उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में फैले हुए परम्परागत हस्तशिल्पों व हाथकरघा का विकास कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। परम्परागत शिल्पियों/बुनकरों को बाजार की बदलती मांग से अवगत करवाने के लिये निगम द्वारा रूपांकन व तकनीकी सहायता दी जाती है जिससे उनके उत्पाद बाजार की मांग के अनुरूप बने। निगम द्वारा शिल्पियों को विपणन सहायता भी दी जाती है।

वर्ष 2012–13 में राशि रुपये 53.32 लाख का बजट प्रावधान कर रू. 53.32 लाख राशि व्यय से 370 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

निगम द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विभिन्न विकास योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। जो निम्नांकित है:–

5.15.1 राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरुस्कार योजना –

इस योजना में प्रथम पुरस्कार 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000/– तृतीय पुरस्कार 25,000/– का है, इसके अतिरिक्त रुपये 10,000/– के तीन प्रोस्साहन पुरस्कार भी दिये जा सकते हैं।

5.15.2. शिल्प/बुनकर कल्याण योजना

शिल्प/बुनकर कल्याण योजनान्तर्गत स्वास्थ्य केम्प का आयोजन अनुदान पर स्वास्थ्य बीमा विकलांग शिल्पियों के लिये पॉवर्ड ट्रायसिकिल व्यवस्था व महिला शिल्पियों/शिल्प बुनकर की बेटियों के लिये प्रोफेशनल स्टडीज की व्यवस्था की जा रही है।

5.15.3 एकीकृत क्लस्टर्स विकास कार्यकम योजना –

क्लस्टर्स अन्तर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य सुविधायें अद्योसंरचना प्री–लूम, पोस्ट लूम की स्थापना करना है।

5.15.4 प्रीमोशन एवं अभीलेखीकरण योजना –

प्रीमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना का अच्छादन कियान्वयन एजेन्सी सहित वित्तीय सहायता की मदों में राशि दी जाती है।

5.15.5 उद्यमियों/स्वसहायता एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग योजना अन्तर्गत सहकारी समितियां इकाईयों उद्यमी अथवा स्वसहायता समूह, अशासकीय संगठन कियान्वयन एजेन्सी है

5.15.6 स्पेशल प्रोजेक्ट हेतु अनुदान, अनुसंधान एवं विकास हेतु अनुदान, सूचना एवं प्रोद्योगिकीय हेतु सहायता अनुदान एवं प्रदर्शनीय प्रचार–प्रसार हेतु अनुदान योजना संचालित है।

आदिवासी क्षेत्रों में संचालित उत्पादन इकाईयों के माध्यम से कच्चे माल का संग्रहण कर

उपयोजना के अंतर्गत 500 कत्तिन/बुनकरों को रूपये 134.18 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई।

5.17 रेशम विकास

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजनांतर्गत राशि रुपये 1066.27 लाख बजट आवंटन के विरूद्ध रूपये 1061.44 लाख व्यय की जाकर रेशम उद्योग का विकास कार्य में लाभन्वित अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लक्ष्य विरूद्ध 19073 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। अनुसूचित क्षेत्र में हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की गई : –

5.17.1 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

मलबरी स्वावलंबन योजनाः– इस योजना अंतर्गत रेशम कृमिपालकों को मलबरी रेशम केन्द्रों/इकाईयों के शहतूती पौधरोपित भूमि का भौगाधिकार हितग्राहियों को दिया जाकर पौधारोपण एवं कृमिपालन हेतु हितग्राही समूह को रूपये 6200/– प्रति एकड़ के मान से उन्हें चक्रीय राशि भी

3 इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

भूजल के लगातार गिरते स्तर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विकल्प के सन्दर्भ में इरी रेशम की नवीन गतिविधि प्रारंभ की गई। अरण्डी रेशम के कृमि मुख्य रूप से अरण्डी के पौधों की पत्तियों का सेवन करते हैं। इससे प्राप्त होने वाला रेशम, अरण्डी रेशम कहलाता है। अरण्डी हर प्रकार की ढालू जमीन में बोया जा सकता है, जिसमें किसान बहुत कम निवेश से अपनी आय में वृध्दि कर सकता है।

वर्ष 2012–13 में उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अरण्डी बीज रोपण एवं कृमि पालन कार्यक्रम अंतर्गत 350 एकड़ क्षेत्र में इरी पौधरोपण किया गया तथा 278 हितग्राहियों द्वारा कृमिपालन कर 2056 किलोग्राम इरी शैल का उत्पादन किया गया है।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना (राज्य आयोजना) अंतर्गत संचालित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

क	एकीकृत रेशम विकास एवं विस्तार कार्यकम	आवंटन	व्यय	इकाईयां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रेशम उद्योग का विकास	365.36	362.72	1.मलबरी काकून उत्पादन (कि.ग्रा.) 2.निजी क्षेत्र में हितग्राहियों का सहायता	1.24 126	1.477 164	2000
2	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्य	658.68	656.49	1 नैसर्गिक केम्पों का आयोजन (संख्या) 2 टसर स्वसमूह उत्पादन (लाख संख्या) 1 बी.एस.एम.टी.सी. से प्राप्त स्व समूह 2 टसर काकून उत्पादन फलित नैसर्गिग	112 6.63 15.06 143.50 164.00	112 8.51 6.66 282.01 165.74	12929
3	उत्प्रेरक विकास कार्यकम	7.23	7.23				
4	उद्यमियों/स्वसहायता एवं आशासकीय संस्थाओं को सहयोग	30.00	30.00	–	–	–	2231
5	क्लस्टर कार्य	5.00	5.00	ब्रेसर, रेपेकजिन, नवीन उत्पादकों की श्रृखला का प्रदर्शन सह विकय, अभिलेखाकार			1913

(ब) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

5.18 (अ) राज्य शिक्षा केन्द्र

1. प्रदेश के समस्त जिलों मे सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
2. प्रदेश के 280 विकासखण्डों में बालिकाओं हेतु विशेष कार्यक्रम (NPEGEL) संचालित है।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु बालिकाओं के लिये आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 47 जिलों में 207 विद्यालय संचालित हैं। प्रतिवर्ष 28000 बालिकायें लाभान्वित हो रही हैं। इसके अलावा 324 बालिका छात्रावासों में 21000 बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है।

प्रारम्भिक–सामान्य शिक्षा के लिये संचालित गतिविधियां निम्नांकित हैः–

1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 –01.4.2010 से लागू हो चुका है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने भी मध्यप्रदेश की कार्यवाही की सराहना की है।

2 प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार का कियान्वयन के लिये निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में रुपये 4196.88 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत हुई।

3 वर्ष 2012–13 में 1.38 लाख प्राईवेट स्कूल की प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाकर लाभान्वित किया गया है।

4 सर्वशिक्षा अभियान के तहत 16867 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शाालाओं में उन्नयन किया गया ।

5 सर्वशिक्षा अभियान के तहत 27265 ई.जी.एस./सेटेलाईट शालाओं का प्राथमिक शालाओं में उन्नयनय तथा प्राथमिक शालाएं खोली गई।

6 सर्वशिक्षा अभियान के तहत 127309 अतिरिक्त कक्ष, 26355 प्राथमिक शाला भवन 18828 माध्यमिक शाला भवन 12460 हेडमास्टर/स्टोर/ऑफिस कक्ष/82204 शौचालय, 18381 पेयजल सुविधा आदि का निर्माण एवं 322 बी.आर.सी.भवनों में शैक्षणिक सुविधा के विकास संबंधी निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

7 प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययन बच्चों को (1 करोड़ से अधिक) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित एवं दो जोड़ी गणवेश हेतु रुपये 400/– के मान से चैक वितरण रु.3.40 लाख से अधिक बालक बालिकाओं को साईकिलें वितरित की गई।

8 शासकीय शालाओं में कक्षा 6 से 8 तक के 1.93 लाख छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया ।

9 विकलांग बच्चों के लिये 58 छात्रावास संचालित किये जा रहें हैं ।

10 इसके अतिरिक्त गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 16005 प्राथमिक शालाओं के गतिविधि आधारित शिक्षण (ए.पी.एल.) तथा 14280 माध्यमिक शालाओं में संक्रिया अधि गम प्रविधि (ए. एल.एम.) कार्यकम चलाया गया।

5.18 (ब) लोक शिक्षण

वर्ष 2012–13 में प्रदेश के शासकीय हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9 वी से 12 वी तक अध्ययनरत 2172614 छात्र छात्राओं में से अनुसूचित जनजाति के 450154 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरित किये गये। प्रदेश के आदिवासी अंचलों में संचालित 20 मॉडल स्कूलों में 2177 छात्र छात्राओं का अध्यापन किया गया। केन्द्रीय आई.ई.डी.एस.एस. योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के 2651 विकलांग बालक तथा 1914 विकलांग बालिकाओं को कक्षा 9 वी से 12 वी तक शिक्षा उपलब्ध कराई गई। अनुसूचित जनजाति के 126458 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की गई।

5.19 आदिवासी विकास

आदिम जाति कल्याण विभाग का मुख्य दायित्व संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आनेवाले आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में निवासरत आदिवासी सामुदाय का सर्वांगीण विकास करना है। इस उददेश्य से विभाग द्वारा शिक्षा, आर्थिक विकास तथा संवै धानिक प्रावधानों के अंतर्गत जनजातीय समूह को संरक्षण प्रदान करना है।

आदिवासी सामुदाय में शिक्षा विशेषकर अन्य शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्चत्तर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने का दायित्व लिया गया है। विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में वर्तमान में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल तथा हायरसेकेण्डरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है।

1. शैक्षणिक संस्थायें

प्रदेश में 88 आदिवासी विकासखंडों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही है। इन शालाओं के अतिरिक्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के

लिए विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

इन वर्गों के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है । इस प्रकार विभाग द्वारा जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनायें कियान्वित की जा रही है ।

वर्ष 2012–13 में संचालित विभागीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है ।

क.	संस्था का नाम	संख्या
1.	कनिष्ठ प्राथमिक शाला/प्राथमिक शाला	12643
2.	माध्यमिक शाला	4369
3.	हाईस्कूल	920
4.	उ.मा.विद्यालय	583
5.	आदर्श उ.मा.विद्यालय	8
6.	शिक्षा कन्या परिसर	2
7.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	20
8.	न्यू साक्षरता वाले कन्या शिक्षा परिसर	13
9.	विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय	03

2. आवासीय संस्थायें :–

अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजातीय समूह के परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये शिक्षा का भार अभिभावको पर कम करने के उददेश्य से विभाग द्वारा आवासीय संस्थाए संचालित की जा रही है । घर से दूर रहकर विद्या अध्ययन करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को जो अनुसूति क्षेत्र में निवारसरत है, को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा छात्रावास/आश्रम जैसी आवासीय संस्थाऐं संचालित की जा रही है । वर्ष 2012–13 में 13011 प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं उसमें 68507 सीटे, 110 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 6065 सीटे, तथा 1025 आश्रम शालाये जिनमें 61270 सीटे संचालित है ।

क्र.	संस्था का नाम	संख्या	सीट संख्या
1.	आश्रम शालाएं	990	59520
2.	प्री–मेट्रिक छात्रावास	1303	59024
3.	प्रोस्ट मेट्रिक छात्रावास	106	5865

वर्ष 2012–13 में छात्रावासों में 55574 विद्यार्थियों एवं आश्रमों में 59520 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया

3. क्रीड़ा परिसर

प्रदेश में 100 सीटर 17 विभागीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं, इनमें से 12 बालकों के लिए तथा 05 बालिकाओं के लिए हैं। इन क्रीड़ा परिसरों का उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र/छात्राओं की खोज करना एवं उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में शामिल कराकर उनकी प्रतिभा का विकास करना है तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्पर्द्धाओं में शामिल कराकर उत्कृष्ट स्तर के खिलाड़ी तैयार करना हैं। इसके लिए विभागीय कीड़ा परिसर की व्यवस्था है। वर्ष 2012–13 में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विभाग के आदिवासी 167 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता प्राप्त की है एवं विभिन्न खेलों में 18 पदक प्राप्त किये है । इसी कम में आदिवासी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर 120 स्वर्ण पदक प्राप्त किये है ।

राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता है :–

	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर
प्रथम स्थान	21000/–	7000/–
द्वितीय स्थान	15000/–	5000/–
तृतीय स्थान	11000/–	3000/–
सहभागिता	4000/–	––

4. छात्रवृत्ति

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी कर रखने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

5. राज्य छात्रवृत्ति –

राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को तथा कक्षा 1 से 5 तक के विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को एवं कक्षा 6 से 10 तक के बालक–बालिकाओं को , दस माह हेतु निम्न दरों पर प्रदान की जा रही हैं :–

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5	150/– (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	150/–
6 से 8	200/–	300/–
9 से 10	600/–	800/–

वर्ष 2012–13 के लिये इस योजनांतर्गत 6576.94 लाख का व्यय कर 2806650 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासीय विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति :–

छात्रावासों में निवासरत कक्षा 11 वी एवं 12वी के सभी पात्र विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जा रही है । योजनांतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रवर्तित योजना में देय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त छात्रों को 265 रूपये एवं छात्राओं को 290 रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त छात्रवृत्ति देय है । वर्ष 2012–2013 के लिये 8500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

7. राज्य शासन के स्त्रोत से पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति :–

पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से वार्षिक आय सीमा रूपये 1,00,000/– के स्थान पर 1,08,000/–निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2002–03 मे इस आय सीमा के अतिरिक्त 1,00,000/– रूपये से 1,80,000/– रूपये तक की वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को राज्य शासन के स्त्रोत से पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है । वर्ष 2008–09 से राज्य शासन द्वारा वार्षिक आय सीमा रूपये 1,80,000/– के स्थान पर 3.00 लाख निर्धारित की गई है । योजना अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय रूपये 1,08,000/–से अधिक परन्तु 1,20,000/– से अधिक नहीं हैं, उन्हें पूरी फीस का भुगतान तथा ऐसे विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 1,20,000/–से अधिक किन्तु 3.00 लाख रूपये से कम है उन्हें आधी फीस का भुगतान राज्य शासन द्वारा अपने स्त्रोत से किया जा रहा है । वर्ष 2012–13 में 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया जिसके विरूद्ध राशि 9000 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रूपये 4927.24 लाख का का व्यय किया गया।

8. भारत शासन के स्त्रोत पोस्ट मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :–

यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वी, 12वीं एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरे एवं शर्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 2012–13 में राशि रूपये 6295.47 लाख रूपये व्यय कर 194823 विद्यार्थियों को लाभन्वित किया गया।

9. छात्रगृह योजना

यह योजना मेट्रिकोत्तर स्तर के उन छात्रों के लिए है, जिन्हें पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है, उन छात्रों को योजना का लाभ दिया जाता है। योजना में किराये के मकान का किराया, पानी तथा बिजली का शुल्क तथा छात्रावासी दर पर मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2012–13 में राशि स्पये 108.06 लाख का व्यय कर 4077 छात्रों को लाभान्वित किया गया है ।

9. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनाः–

- कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को रूपये 500/–,
- कक्षा 8 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को रूपये 1000/–
- कक्षा 10 वी उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को रूपये 3000/– प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।
- वर्ष 2012–13 में कक्षा 6वीं में 172293 छात्राओं को लाभान्वित कर रूपये 1013.84 लाख की राशि व्यय की गई तथा कक्षा 9वीं एवं 11वीं में 86904 छात्रों को लाभान्वित कर राशि रूपये 1801. 02 लाख की राशि व्यय की गई ।

10. अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान

प्रदेश के अत्यंत पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से शाला/छात्रावास/आश्रम/औषधालय/बालवाड़ी आदि गतिविधियों के संचालन हेतु विभाग द्वारा संस्थाओं को शत् प्रतिशत अनुदान सहायता दी जा रही हैं। अनुदान स्वीकृति हेतु रू. 3.00 लाख तक जिला कलेक्टर/रू. 05.00 लाख तक विभागाध्यक्ष एवं रू. 5.00 लाख से अधिक की स्वीकृतियों के अधिकार राज्य शासन को हैं। वर्ष 2012–13 हेतु रूपये 992.45 लाख की राशि व्यय कर 35 संस्थाओं को आवटित की गई।

11. विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति :–

अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के भविष्य निर्माण हेतु उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 10 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित किया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए 10 विर्धाथियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 07 नवीनीकरण भुगतान कर विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रूपये 64.41 लाख की राशि व्यय की गई।

12. शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार –

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राथमिक शाला में प्रवेश योग्य बालक/बालिकाओं को शत प्रतिशत प्रवेश करवाने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करने वाली 89 आदिवासी विकासखण्डों की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार स्वरूप रूपये 25000/– के मान से राशि प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2012–13 में 89 पंचायतों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया था ,जिसके विरूद्ध 89 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाकर राशि रूपये 22.25 लाख व्यय की गई ।

13. रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना

1 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है :–

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	20,000	15,000	10,000
12 वीं	30,000	20,000	10,000

2 आदिवासी छात्रों के लिए मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने संवर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभावान आदिवासी छात्राओं को क्रमशः निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है :–

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	20,000	15,000	10,000
12 वीं	30,000	20,000	10,000

वर्ष 2012–13 में इस योजनांतर्गत 3 पुरस्कार वितरित कर राशि रूपये 15.00 लाख राशि व्यय की गई ।

14. आदिवासी छात्र–छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन

प्रति वर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक भोपाल में यह शिविर आयोजित किया जाता है, इसमें प्रत्येक जिले में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक बालक तथा एक बालिका को आमंत्रित किया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति के 15 जिलों से विशेष पिछड़ी जनजाति के 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक–एक विद्यार्थी को भी इस शिविर में सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2012–2013 में 86 अनुसूचित जनजाति के एवं 16 विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र–छात्राओं ने शिविर में भाग लिया। इन चयनित विद्यार्थियों को केरियर काउंसिलिंग तथा नैतिक शिक्षा के प्रशिक्षण के साथ–साथ भोपाल तथा समीप के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय विभागीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी भेंट कराई जाती है।

<u>केन्द्रीय प्रवर्तित योजना</u>

15. प्रावीण्य मे उन्न्यन योजना

भारत सरकार से प्राप्त राशि से प्रावीण्य उन्न्यन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 172 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2012–13 में राशि रूपये 28.66 लाख का व्यय कर 155 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

16. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र :–

कम पढ़े लिखे अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए 09 विभागीय प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में कुल 420 स्थान स्वीकृत हैं जिनमें लोहारी सुतारी, सिलाई, बुनाई, राजगिरी, गुड़िया बनाना, ब्रश बनाना, शीट मेटल, रेशम उद्योग, चटाई उद्योग, बेंत–बांस तथा कढ़ाई आदि कुल 12 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

वर्ष 2012–13 में 314 विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडो में प्रशिक्षण दिया गया तथा राशि रूपये 141.65 व्यय किया गया।

17. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

अनुसूचित जनजाति युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु 10 प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा हैं, जिनमें प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दो ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। वर्ष 2012–13 में रूपये 249.82 लाख का व्यय कर 919 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

18. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढांचा निर्मित कर विभागीय अमला पदस्थ किया गया है। प्रदेश के कुल 21 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में संचालित हैं । उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदानों से संचालित योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रशासनिक ईकाइयां कमशः एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, मध्यम परियोजना, माडा एवं क्लस्टर के रूप में संचालित हैं। वर्तमान में उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत 31 आदिवासी विकास परियोजना, 30 मध्यम परियोजनाएं एवं 6 क्लस्टर संचालित हैं, जिनमें कमशः परियोजना प्रशासक एवं परियोजना अधिकारी पदस्थ हैं। रिक्त पदों को भरे जाने की प्रकिया सतत रूप से की जाती है।

इसक अतिरिक्त विभागीय योजनाओं के कियान्वयन हेतु अनुसूचित क्षेत्र आने वाले सभी आदिवासी बाहुल्य जिलों में विभाग के जिलाधिकारियों के रूप में सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की गई है। संभाग स्तर पर भी उपायुक्त स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की गई है। वर्तमान में उपरोक्त दोनों पदों पर जिला एवं संभाग स्तर पर विभागीय अधिकारी पदस्थ हैं।

<u>अद्योसंरचना विकास कार्यकम</u>

19.वित्तीय वर्ष 2012–13 में निर्माण कार्यो का विवरण :–

क.	मद	भौतिक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	उ.मा.विद्यालय	40	40	2221.20	2221.20
2.	आश्रम शाला	40	35	4500.00	4500.00
3.	छात्रावास	50	55	3730.00	4891.00
4.	कीड़ा परिसर	01	01	280.00	280.00

20. अनसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रमों/बस्तियों में मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराना यथा– समुचित पेयजल,विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़के नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति बस्ती/ग्राम तक सड़क पुलिया रपटा निर्माण सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि के लिए) आदि ।

इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विकास गंदी बस्ति में पर्यावरण सुधार स्थानीय निकायों के माध्यम से कराया जाना । वर्ष 2012–13 में राशि रूपये 3437.97 लाख के विरूद्ध राशि व्यय कर 794 कार्य किये गये।

21. छात्रगृह योजना – यह योजना मैट्रिकोत्तर स्तर के उन छात्रों के लिए है, जिन्हें पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। योजना में मकान का किराया, पानी तथा बिजली का शुल्क तथा छात्रावासी दर पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2012–13 में 4077 विद्यार्थियों को रूपये 108.06 लाख की राशि इस योजना अंतर्गत व्यय की गई।

5.20 आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था

मध्यप्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था की स्थापना दिनांक 20.04.1954 को जिला छिन्दवाड़ा मुख्यालय में की गयी थी। वर्ष 1965 में इस संस्था को भोपाल स्थानांतरित किया गया।

संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे है :–

जनजातीय संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास।

5.20.1. मूल्यांकन–अध्ययन

विगत वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ किये गए निम्नांकित अध्ययन–मूल्यांकन कार्यो में से 12 अध्ययन पूर्ण किये जा चुके है तथा 07 अध्ययन प्रगति पर है।

5.20.2. बेसलाईन सर्वेक्षण

अचिन्हांकित क्षेत्रों में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति का 23 जिलों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरांत भारिया का सर्वेक्षण प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत तथा बैगा एवं सहरिया के प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

5.20.3 प्रकाशन

वर्ष 2012 –13 में निम्नलिखित प्रकाशन कार्य किया गया :–

1. बुलेटिन अंक 52 एवं 53 का प्रकाशन।
2. 13 अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित।
3. 01 छायाचित्र ब्रोशर प्रकाशित।
4. 06 प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न पुस्तिकाओं का पुनर्मुद्रण।
5. 01 "जनजातीय गोदना : श्रृंगार और उपचार" पुस्तक प्रकाशित।

5.20.4 भाषा–संस्कृति

1. भाषा

(1) कोरकू व्याकरण प्रकाशित एवं भीली व्याकरण मुद्रणाधीन।

(2) मौखिक साहित्य के संकलन के अन्तर्गत 150 गोंडी, भीली एवं कोरकू गीतों का हिन्दी अनुवाद सहित सम्पादन।

2. संस्कृति

2.1 कार्य शाला

वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार कार्यशालाऐं आयोजित की गई :–

(1) भोपाल में पारम्परिक जनजातीय गाथा–गायन प्रशिक्षण कार्यशाला में 38 जनजातीय छात्र–छात्राओं की भागीदारी।

(2) उमरिया जिले के ग्राम ताला (बाँधवगढ़) में तीन दिवसीय नृत्य संगीत प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। 59 प्रशिक्षित छात्र–छात्राओं द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति।

2.2 राष्ट्रीय संगोष्ठी

(1) जनजातीय भाषाओं पर केन्द्रित निम्नांकित तीन राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ सम्पन्नः–

(क) जनजातीय भाषाएँ : स्थिति एवं संभावनाएँ

(ख) जनजातीय भाषाएँ और विकास

(ग) जनजातीय भाषाएँ और शिक्षा

(2) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ संयुक्त रूप से "जनजाति समाज एवं संचार माध्यम" विषय पर केन्द्रित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित।

(3) संस्था एवं राजीव गांधी चेयर बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22–23 मार्च 2013 को "आदिवासी महिलायें : स्थिति, चुनौतियाँ एवं संभावनायें" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया गया। सेमीनार में 32 विशेषज्ञ विद्वानों ने उक्त विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये एवं महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न क्षेत्रों में क्या–क्या संभावनायें हो सकती है, से अवगत कराया गया।

2.3 उत्सव

(1) आदिराग

जनजातीय गाथा–गायन परम्परा पर केन्द्रित तीन दिवसीय 'आदिराग' भारत–भवन, भोपाल में सम्पन्न। कुल 108 जनजातीय कलाकारों की भागीदारी।

(2) आदिरंग

उमरिया जिले के ग्राम ताला (बाँधवगढ़) में तीन दिवसीय जनजातीय उत्सव 'आदिरंग' आयोजित। परम्परागत नृत्य–संगीत एवं शिल्प–कलाओं पर केन्द्रित उक्त उत्सव में 12 जिलों के 308 जनजातीय कलाकारों की भागीदारी।

5.20.5. संदर्भ अन्वेषण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जाति परीक्षण संबंधी 296 प्रकरणों में परीक्षण कर अभिमत राज्य शासन तथा संबंधितों को भेजा गया।

5.20.6. छायांकन

(1) विगत वर्ष 2012–13 में शहड़ोल, पुणे, (महाराष्ट्र), सागर, खण्डवा, धार, भारत भवन, भोपाल, गुना, और ताला जिला उमरिया में कुल 08 जनजातीय छायाचित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई।

(2) झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में भील और भिलाला जनजातियों के प्रतीक चिन्ह तथा उनकी संस्कृति के विभिन्न आयामों का छायांकन।

5.20.7. पुस्तकालय

संस्था में जनजातीय जीवन–संस्कृति में रूचि रखने वाले अध्येताओं, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के उपयोग हेतु एक पुस्तकालय है। वर्ष 2012–13 में कुल 179 नवीन पुस्तके क्रय की गयी। पुस्तकालय में 185 शोधार्थियों द्वारा अध्ययन किया गया।

5.20.8. प्रशिक्षण

विगत वर्ष 2012–13 में पुनरध्ययन प्रशिक्षण में 07 सत्र आयोजित करके 141 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जाति प्रमाण–पत्र से संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के क्रमशः 3–3 सत्र आयोजित कर 68 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित तथा संस्था द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण के 02 सत्र आयोजित किये जाकर कुल 36 जिला पंचायत सदस्य, जनपद

पंचायत अध्यक्ष,–उपाध्यक्ष, सदस्यों एवं सरपंचों को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार पंचायत राज अधिनियम संबंधी कुल 03 सत्रों में 38 पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

छात्रावास अधीक्षकों के प्रशिक्षण के अंतर्गत आदिवासी विकास तथा अनुसूचित जाति विकास के 08 सत्र आयोजित करके कुल 260 अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

5.21 तकनीकी शिक्षा

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रुपये 1091.35 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध 1191.85 लाख आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें रुपये 1102.03 लाख व्यय किया गया। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित नहीं है।

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 08 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय यथा बैतूल,झाबुआ,मण्डला, धार एवं बड़वानी डिण्डौरी, अनूपपुर, अलीराजपुर, उमरिया संचालित है, जिसमें से मण्डला एवं झाबुआ पूर्णतः आवासीय संस्था है। विभाग द्वारा संचालित एकलव्य योजना, उच्च शिक्षा एवं उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री, स्टेशनरी आदि का प्रदाय एवं बुक–बैंक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित क्षत्रों में भवन व्यवस्था अन्तर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झाबुआ का छात्रावास भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य हेतु रुपये 100.00 लाख राशि व्यय की गई है। इसी प्रकार बड़वानी के मुख्य भवन एवं छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5.22 <u>उच्च शिक्षा (महाविद्यालयीन शिक्षा)</u>

- प्रदेश में 352 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं जिसमें 60 आदिवासी क्षेत्र के महाविद्यालय शामिल हैं।
- वर्ष 2012–13 मे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत निम्न योजनायें संचालित की जा रही है जो निम्नानुसार है :–

1. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें एवं स्टेशनरी का निःशुल्क प्रदाय

विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 600/– प्रति विधार्थी तथा स्नातकोत्तर पर रूपये 800/– प्रति विधार्थी की दर से निःशुल्क पुस्तकों तथा रूपये 50/– प्रति विधार्थी को स्टेशनरी का प्रदाय किया जाता है।

वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राशि रुपये 225.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

2. खेलकूद प्रोत्साहन योजना

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को खेल कूद के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आदिवासी क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 15.00 लाख का प्रावाधान किया गया है।

3. पुस्तकालय विकास योजना

पुस्तकालय विकास योजनांतर्गत पुस्तकालयों के विकास हेतु आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों को वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजनांतर्गत 40.00 लाख की राशि का प्रावाधान किया गया है।

4. आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था

आधुनिक तकनीकी से शिक्षण व्यवस्था अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों को वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजनांतर्गत रुपये 15.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु गांव की बेटी योजना को लाभ दिया गया है। विकास के लिये छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न योजनायें जैसे गांव की बेटी योजना अन्तर्गत रुपये 140.00 लाख की राशि आबंटित की गई है। प्रतिभा किरण आवागमन सुविधा आदि वर्ष 2011–12 के लिये राशि 10.00 व्यय की गई जिससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें और विकास के नये आयाम स्थापित हो सके।

5. पी.एच.डी. अध्ययनरत् विद्यार्थियों को सहायता

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रू. 25.00 लाख का प्रावाधान किया गया है। आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत रुपये 15.00 लाख प्रावधान किया गया।

6 गांव की बेटी :–

प्रदेश में गांव की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये 2005–06 से यह योजना संचालित की गई । गांव में रहकर पाठशाला से 12वीं की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। वर्ष 2012–13 मे आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रुपये 195.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

7 छात्राओं हेतु आवागमन सुविधाः—

आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत शासकीय महाविधालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु 200 शैक्षणिक दिवसों के लिये प्रतिदिन की रुपये 5/— की दर से रुपये 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

5.23 प्रशिक्षण (कौशल विकास)

प्रदेश में 335 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित है नियमित प्रवेश की जानकारी निम्नांकित है :—

क्र	विवरण	संचालित		
		संस्थाएं	सीट	प्रवेशित
1	शासकीय आई.टी.आई.	175	35619	32802
2	पुलिस आई.टी.आई.	04	376	376
3	प्रायवेट आई.टी.आई	156	20614	11403
	योग	335	56609	44581

5.23.1 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य

1. उद्योगों के लिए कुशल कारीगरों की लगातार पूर्ति किया जाना।
2. शिक्षित बेरोजगारों को योग्य प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना तथा औद्यौगिक रोजगार को उपयुक्त बनाना।
3. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/ जनजाति, अपंग एवं महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, जिससे वे रोजगार के अवसर पा सकें एवं स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सकें।

विभाग द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनायें:—

5.23.2 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना — अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे युवा जो आर्थिक परिस्थितियों या अन्य कारणों से हायर सेकण्डरी के पश्चात् शिक्षा लेने के अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा इस कारण उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, के लिये छः माह की अवधि के कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना संचालित हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को रूपये 500/— की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश के औद्यौगिक

प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 2874 प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों में से 1450 अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

5.23.3 ग्रामीण इंजीनियर योजना – ग्रामीण इलाकों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रत्येक गांव में कम एसे कम एक बहुकौशल दक्ष तकनीशियन उपलब्ध कराने की दृष्टि से औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ग्रामीण इंजीनियर योजना प्रारम्भ की गई है। 110 कार्य दिवस की अवधि में क्रमशः इलेक्ट्रिशियन, मेसन एवं प्लंबर व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को रू. 500/– प्रति 30 कार्य दिवस की दर से छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। प्रदेश के 73 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 2522 प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों में से 530 अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

5.23.4 रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना –

ऐसे युवा, जो आर्थिक परिस्थितियों या अन्य कारणों से आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं के पश्चात शिक्षा लेने के अवसर प्राप्त नही कर पाते है तथा इस कारण रोजगार के पर्याप्त अवसर नही होते हैं, के लिये छःमाह की अवधि रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना संचालित है। प्रदेश के औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 1035 प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षणार्थियों में से 217 अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत राशि रूपये 2971.81 लाख के विरूद्व रूपये 2662.47 लाख व्यय किया गया ।

5.24 पंचायत राज एवं सामाजिक न्याय

(अ) पंचायत राज

राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियों एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायतों के मूलभूत विकास हेतु अनुदान ग्रामसभा, प्रशिक्षण केन्द्र का उन्नयन, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण तथा ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सोशल आडिट कार्य किया गया।

ग्रामसभाओं की मूलभूत आवश्यकताओं एवं जल पूर्ति के कार्यों हेतु बारहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि सीधे ग्रामसभाओं को आवंटित की जाती है एवं अब तेरहवें वित्त आयोग की राशि दी जायेगी।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 में निहित प्रावधानों अनुसार ग्राम पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग–9 के उपबंधों–क–ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुये जिनका उपबंध धारा–4 में किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार किया जाता है।

(ब) सामाजिक न्याय विभाग

5.24.1 निःशक्त कल्याण

भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 दिनांक 07.02.1996 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित, कुष्ठ विकलांग तथा मानसिक विकलांगों को संरक्षण समान अवसर, शिक्षण प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्ण सहभागिता के अवसर व सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नवम्बर 2007 में कराये गये सर्वेक्षण अनुसार भोपाल संभाग में 25075, इन्दौर संभाग में 14207, उज्जैन संभाग में 28031, सागर संभाग में 21669, रीवा संभाग में 15071, ग्वालियर संभाग में 23714 तथा जबलपुर संभाग में 18472 निःशक्त व्यक्ति आदिवासी उपयोजनांतर्गत हैं।

निःशक्त छात्रवृति

प्रदेश में कक्षा पहली से आगे अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राओं को नियमित छात्रवृति विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पात्रतानुार छात्रवृतियॉ प्रदान की जाती है आदिवासी उपयोजनांतर्गत वर्ष 2012–13 में रूपये 230.00 लाख के विरूद्ध 118.38 लाख का व्यय हुआ तथा 11655 बच्चे लाभान्वित हुये।

विकलांग कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता

विकलांग कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक/अशासकीय संस्थाओं को अनुदान योजना अन्तर्गत संस्थाओं की सहभागिता अर्जित नहीं की गई है। प्रदेश के निःशक्त व्यक्तियों को रू. 500/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है । वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत कुल 366.64 लाख का बजट प्रावधान के विरूद्ध रू. 363.14 लाख का व्यय हुआ एवं 7770 हितग्राही लाभांवित हुये हैं।

5.24.2 सामाजिक सहायता योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रूपये 9915.90 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके तहत 9895.39 लाख व्यय कर 426079 हितग्राही लाभान्वित हुये।
2. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत रूपये 1000.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके तहत 989.00 लाख व्यय कर 9890 हितग्राही लाभान्वित हुये।
3. इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजनातर्गत रुपये 1700.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें आदिवासी उपयोजनांतर्गत 1624.53 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध व्यय से 119175 हितग्राही लाभान्वित हुये।
4. इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजनातर्गत रुपये 1300.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें आदिवासी उपयोजनांतर्गत 1216.98 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध व्यय से 46418 हितग्राही लाभान्वित हुये।
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनातर्गत रुपये 6802.38 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसमें आदिवासी उपयोजनांतर्गत रुपये 6570.18 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध व्यय से 251328 हितग्राही लाभान्वित हुये।
6. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनातर्गत रुपये 1231.53 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें आदिवासी उपयोजनांतर्गत कुल 1231.52 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध व्यय से 15132 हितग्राही लाभान्वित हुये।
7. कृत्रिम अंग वितरण योजना अन्तर्गत राशि रुपये 200.00 लाख के विरुद्ध 174.95 लाख व्यय कर 1700 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।
8. आम आदमी – जीवन बीमा योजनान्तर्गत 360.00 लाख के विरुद्ध 147.27 व्यय कर 2808 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।
9. जनश्री बीमा योजनान्तर्गत राशि रुपये 571.40 लाख के विरुद्ध 456.76 व्यय कर 1357 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।
10. छात्रवृत्ति योजना (निः शक्तजन) योजनान्तर्गत राशि रुपये 230.00 लाख के विरुद्ध 118.38 लाख व्यय कर 11655 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

5.24.3 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/परित्याक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता हेतु राशि रू. 10.000/–(रू. 9,000/– प्रति आवेदक के मान से कन्या की गृहस्थी की स्थापना तथा राशि रूपये 1000/–प्रति आवेदक के मान से सामूहिक विवाह के आयोजन की पूर्ति हेतु) उपलब्ध किये जाने का प्रावधान था ।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सहायता राशि में दिनांक 1.4.2012 से बढ़ोत्तरी की जाकर राशि रूपये 13,500/– प्रति आवेदक के मान से कन्या की गृहस्थी की स्थापना व्यवस्था हेतु तथा इसके अतिरिक्त प्रति आवेदक राशि रूपये 15,00/– सामूहिक विवाह आयोजन के खर्चो की प्रतिपूर्ति हेतु प्रायोजक अर्थात नगरीय निकाय/ग्रामीण निकाय को ही उपलब्ध कराई जायेगी ।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजनांतर्गत रुपये 1469.96 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्व 1469.96 लाख व्यय कर 9800 कन्याओं का विवाह सम्पन्न किया गया ।

5.25 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3,000 की जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, 20,000 की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 80,000 की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मापदण्ड निर्धारित है।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 02 शहरी संस्थायें, 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्टमार्टम भवन 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 उपस्वास्थ्य केन्द्रों, तथा 89 आवासीय भवनो तथा 12 स्थानो पर पोषण पुर्नवास केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 1502.33 लाख का व्यय किया गया।

प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग का बाहुल्य है। जहां सामान्यतः गुणवत्तापूर्ण सुविधायें उनके पास तक पहुंचकर परिवार कल्याण कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उद्देश्य से संचालित है। इसके अंतर्गत नसबंदी एवं जन्म के बीच अंतर रखने के लिये अंतराल विधियों की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें वर्ष 2012–13 में 5.95 लाख नसबंदी आपरेशन 2.74 लाख कापर–टी 2.34 लाख और नसबंधी एवं 2.68 लाख निरोध की सेवायें हितग्राहियों को दी गई है ।

शिशु मृत्यु दर कम करने में टीकाकरण कार्यकम का कियान्वयन अति महत्वपूर्ण है । जन्म से एक वर्ष की आयु में सात जानलेवा बीमारियों क्षय, पोलियों, हेपेटाईटिस डिफथेरिया कालीखांसी

टिटनिस एवं खसरा की रोकथाम हेतु वर्ष 2012–13 में 13.24 लाख बच्चों का टीके लगाये गये है एवं गर्भवती महिलाओं को 14.68 लाख टिटनिस के टीके लगाये है ।

आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत मांग संख्या 41 के अन्तर्गत राशि रुपये 81047.76 लाख बजट प्रावधान कर राशि रुपये 23858.02 लाख व्यय किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्व मद में निम्नांकित योजनायें संचालित की गई हैं।

क.	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	43298.41	15636.49
2	चिकित्सालयों का उन्नयन	7113.72	1843.53
3	ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	3458.64	1004.51
4	शीत ज्वर	1165.00	364.67
5	सिकल सेल एनीमिया/थैलेसीमिया रोकथाम योजना	200.00	87.70
6	राष्ट्रीय वृद्धजन हेल्थ केयर कार्यकम	114.20	100.00
7	राष्ट्रीय दृष्टिहीन, अनपढ़/नियत्रण कार्यकम	12.00	8.00

5.25.1 दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने पर एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार रू. 20,000/– की सीमा तक निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2012–13 तक 61.58 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया।

5.25.2 जननी सुरक्षा योजना

योजना अन्तर्गत संस्थागत प्रसवों में वृद्धि के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा प्रेरक को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत हितग्राही को ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1400/– तथा शहरी क्षेत्र में रू. 1000/– प्रति हितग्राही सहायता दी जाती है। इसी प्रकार प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में रू. 600/– तथा शहरी क्षेत्र में रू. 200/– प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। वर्ष 2012–13 तक योजनान्तर्गत महिला हितग्राहियों को लाभ दिया गया।

5.25.3 दीनदयाल चलित अस्पताल योजना

योजना 26 मई 2006 से लागू की गई है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य एवं स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में लागू है। वर्तमान में कुल 123 आदिवासी व पिछड़े विकास खण्डों में योजना संचालित है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिदिन रोगियों का उपचार किया जा रहा है तथा प्रतिमाह 300 गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है।

5.26 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहनें वाले विभिन्न वर्गो के विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों के लिये 18 चिकित्सालयों (11 आयुर्वेद तथा 2 होम्योपैथी) तथा 368 औषधालयों के माध्यम से आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में संचालित 18 आयुष औषधालय का निर्माण, (प्रति औषधालय रू.11.09 लाख) के मान से निर्माण कराया जा रहा है।

5.27 चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत रूपये 716.34 लाख का बजट प्रावधान/आवंटन के विरूद्ध रूपये 708.00 लाख व्यय कर 06 चिकित्सा महाविद्यालयों के 214 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

विभाग अन्तर्गत नवीन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को लेपटॉप हेतु राशि रुपये 55000/– तथा बुक बैंक योजना अन्तर्गत रु. 5000/– के मान से उपलब्ध कराये गये। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा में प्रस्ताव अनुसार विचाराधीन है।

5.28 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय

प्रदेश में वर्ष 2003 में पेयजल व्यवस्था की दृष्टि से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी ग्रामीण बसाहटों का सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण में पेयजल व्यवस्था की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा गतिवर्धित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में 127197 स्वतंत्र बसाहटें मान्य की गई हैं।

वर्तमान स्थिति में उपरोक्त सभी बसाहटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है।

भारत शासन द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के लिए दिनांक 01.04.2011 से नई मार्गदर्शिका जारी की गई है एवं इसके अनुसार बसाहटों में पेयजल प्रदाय के मानदण्ड राज्यों द्वारा निर्धारित किये

जाना है। प्रदेश में इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय का मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

पेयजल व्यवस्था हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2012–13 में कुल 504315 हैण्डपंप स्थापित हैं, जिसमें से 463418 हैण्डपंप चालू तथा शेष 40897 हैण्डपंप विभिन्न कारणों से बंद हैं, जिनमें से 27931 हैण्डपंप पानी की कमी के कारण, 9466 असुधार योग्य (भरे–पटे होने), 1215 गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण एवं शेष 2285 हैण्डपंप संधारण की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। हैण्डपंपों के अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 10570 नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाऐं भी क्रियान्वित की गई हैं।

वर्ष 2012–13 में प्रदेश की कुल 17843 बसाहटों में एवं 5167 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई हैं। आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 4950 बसाहटों का लक्ष्य निर्धारित कर 5169 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, तथा 1290 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था के लक्ष्य के विरूद्ध 1382 शालाओं में पेयजल व्यवस्था की गई। वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 10927.94 लाख आवंटन के विरूद्ध रूपये 10845.16 लाख व्यय किया गया।

5.29 महिला एवं बाल विकास :–

1.महिला सशक्तिकरणः–

(अ) लाड़ली लक्ष्मी योजनाः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रुपये 128.69 करोड़ का आवंटन आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रदेश में 61927 नवीन प्रकरण तैयार किये गये तथा विगत वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की आगामी एन.एस.सी. (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम) तैयार की गई है।

(ब) उषा किरण :– घरेलू हिंसा अन्तर्गत 9536 शिकायतों में से 6056 काउंसलिंग से निराकृत 632 अतःवासी की आश्रय सुविधा प्रदान, 1450 मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत कर, 1398 शिकायतें प्रकियाधीन है।

5.29.1 समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.)

महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में 80160 आंगलवाड़ी केन्द्र तथा 12070 मिनीआंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसके माध्यम 0–6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलायें, जिसमें

अनुसूचित जनजाति के हितग्राही सम्मिलित हैं को स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधायें प्रदाय की जा रहीं है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्ड के अनुसार नये आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आंगनवाड़ी भवन निर्माण स्वीकृत किये गये हैं, जिसके लिये विभाग द्वारा अन्य शासकीय निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जा रहें हैं । वित्तीय वर्ष 2012–13 में नाबार्ड से प्राप्त सहायता से 685 आंगनवाड़ी भवन (सीहोर एवं विदिशा जिलों में) स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें राशि जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर किया जा रहा है।

5.30 खेल एवं युवा कल्याण

1. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत दिनांक 01 मई से 30 जून 2011 तक जिलों एवं संचालनालय में 01 अप्रेल से 30 जून 2012 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न खेलों के शिविरों में 28160 आदिवासी खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस शिविर के आयोजन के लिए जिलों को आदिवासी उपयोजना मद से रू. 14.62 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई।

2. म.प्र. के शिखर खेल अलंकार समारोह खेल दिवस दिनांक 29.8.2012 को मान. मुख्यमंत्री जी एवं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी श्री ओमकार सिंह के मुख्य आतिथ्य में खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ियों को विकम पुरूस्कार, एकलव्य पुरूस्कार एवं प्रशिक्षकों को विश्व मित्र पुरूस्कार से सम्मानित किया गया है।

3. खिलाड़ियों को खेलों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलों में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आदिवासी उपयोजना मद से राशि रूपये 23.19 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

4. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को खेल वृत्ति संघ संस्थाओं को अनुदान साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत अभियान प्रतियोगिता आदि योजनायें संचालित की जाती है इस योजना के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना मद में रुपये 292.70 लाख की राशि व्यय की जाकर अनुसूचित जनजाति के लगभग 20180 खिलाड़ी लाभान्वित हुए।

5. विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों के अंतर्गत प्रतियोगिता में 0.1 रजत भागीदारी तथा 03 खिलाड़ियों द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 42 स्वर्ण, 11 रजत एवं 09 कांस्य पदक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति के कुल 63 पदक खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किये गये हैं।

6. वर्ष 2012–13 में जिलों के विभिन्न खेल मैदानों के निर्माण कार्य एवं खेल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना मद से जिलों को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत रूपये 3. 95 लाख आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

7. ग्रामीण युवाओं को सही मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 2012–13 ग्रामीण युवा केन्द्रों के संचालन हेतु आदिवासी उपयोजना अंतर्गत मद से रूपये 162.20 लाख की राशि स्वीकृत की गई ।

स– अन्य कार्यकम

5.31 लोक निर्माण विभाग

आदिवासी क्षेत्रों क्षेत्रों के लिए नयी–नयी सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़को का अनुरक्षण, भवनों का निर्माण तथा अनुरक्षण इत्यादि कार्य कराये जाते हैं। इससे रोजगार का सृजन व अन्य ढ़ॉचागत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

विकास कार्य

- वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन एवं पुल निर्माण हेतु कुल रु 778.97 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसके विरुद्व 895 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन एवं 16 पुलों का निर्माण गया ।
- वृहद/मध्यम पुलों के निर्माण के लिये रु. 46.58 करोड़ का व्यय कर 16 नग पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया ।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रु 182.46 करोड़ का व्यय कर 685 कि.मी. सड़कों का सड़क निर्माण/उन्नयन किया गया ।
- मुख्य जिला मार्ग अन्तर्गत मार्गों के निर्माण के कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 4.09 करोड़ का व्यय कर 10 कि.मी. सड़कों का सड़क निर्माण/उन्नयन किया गया ।

- केन्द्रीय सड़क निधि योजना अन्तर्गत मार्गों के निर्माण के कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 42.82 करोड़ का व्यय कर 75 कि.मी. सड़कों का सड़क निर्माण/उन्नयन किया गया ।

- अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2012–13 में सड़क निर्माण / उन्नयन एवं पुल निर्माण हेतु रु. 313.69 करोड़ व्यय कर 396 कि.मी. सड़कों का सड़क निर्माण/उन्नयन एवं 4 नग वृहद/मध्यम पुलों/आर.ओ.बी. का निर्माण किया गया ।

5.32.(1) <u>नगरीय प्रशासन एवं विकास</u>

विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों को उनके क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें जैसे–सड़क, नाली, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, आदि के निर्माण और पेयजल सफाई और सड़कों की विद्युत व्यवस्था के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ ही केन्द्र प्रवर्तित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई.एच.एस.डी. तथा जे.एन.यू.आर.एम.योजनाएं भी संचालित की जाती है।

वर्ष 2012–13 में आदिवासी उपयोजना में कुल रूपये 3215.32 लाख बजट प्रावधान/आवंटन के विरूद्ध रूपये 2698.99 लाख व्यय किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत स्वारोजगार कार्यक्रम में 218 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को रुपये 80.25 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

5.32.(2) –1. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रमा के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के 13 नगरीय निकायों में राशि रुपये 2341.89 लाख जनप्रदाय योजना के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

2 यू.आइ.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 09 नगरीय निकायों में राशि रुपये 2949.12 लाख जनप्रदाय एवं सड़क नाली की योजना कियान्वित की जा रही है।

3 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की 68 नगरीय निकायों में रुपये 26959.59 लाख की योजना स्वीकृत की गई।

<u>5.33 म0 प्र0 गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल</u>

प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय समस्याओं के निराकरण के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के भवन, भूखण्ड एवं आंशिक रूप से व्यवसायिक सम्पत्ति का निर्माण व केन्द्र शासन/प्रदेश शासन के विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों व उपक्रमों हेतु निक्षेप कार्यो का निष्पादन

किया जाता है। इसी कड़ी में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों हेतु निर्माण कार्य संपादित किये गये हैं।

मण्डल की स्थापना से मार्च 2013 में मण्डल द्वारा विभिन्न आय वर्ग की श्रेणीयों के लिये 164559 आवासगृहों तथा 151159 भूखण्ड हितग्राहियों के लिये निर्मित एवं विकसित किये गये हैं। भूखण्ड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति, जैसे आफिस काम्पलेक्श, शापिंग सेन्टर वाणिज्यिक क्षेत्र तथा लोकोपयोगी भवन आदि के लिये निर्माण कराया गया । वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि में 1837 भूखंड विकसित किये गये एवं 2154 भवन निर्मित किये गये हैं, जिस पर लगभग रुपये 568.82 करोड़ की राशि व्यय की गई है। मांग संख्या–41 मण्डल में लागू नहीं है । मण्डल की योजनाओं में अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को भूखण्ड/भवनों के आवंटन में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ।

5.34 विधि एवं विधायी कार्य

वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विधिक सहायता/सलाह, लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, जिला विधिक परामर्श केन्द्र, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता, अधिवक्ता आदि कार्यक्रमों/योजनाओं से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

मुख्य योजनायें निम्नाकिंत है:–

क.	योजना	इकाई	संख्या	उपलब्धि हितग्राही
1	2	3	4	5
1	विधिक सहायता	सलाह के माध्यम से	74703	11100
2	लोक अदालत	अदालतें	1475	558904
3	विधिक साक्षरता शिविर	शिविर	3344	625607
4	जिला विधिक परामर्श केन्द्र	केन्द	4103	1025
5	परिवार विवाद समाधान केन्द्र	केन्द	375	22
6	मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधिक सहायता अधिवक्ता आदि	संख्या	506	83

5.35 म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गो तथा किसानों/मजदूरों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेश की सहायता से उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास हेतु परिषद् द्वारा योजना प्रारम्भ है।

1 मण्डला जिले में सीसल, फाईबर, हेण्डी क्राफ्ट भोपाल में 60 आदिवासी छात्राओं को रोजगारउन्मुखी, खण्डवा –जूट प्रशिक्षण, झाबुआ – गुड़िया एवं खिलौने के विभिन्न डिजाईन निर्माण पर महिलायों के लिये जैविक कृषि विषय, जिला छिन्दवाड़ा में बांस शिल्प, छिन्दवाड़ा में टेराकोटा द्वारा एवं ग्लेण्ड रेल पटरी, बांस हस्तशिल्प, मण्डला में अनाज भण्डारन, बड़वानी में 40 महिलाओं में सेनेटरी नेपकिन निर्माण पर प्रशिक्षण दिलाया गया।

2 विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों में " बौद्धिक संपदा अधिकार" विषय पर कार्यशालाओं, कार्यकमों के आयोजन किये गये।

3 आगामी रणनीति के तहत आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रदेश के कई स्थानों में विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां विद्यार्थियों/महिलाओं –जनजातियों को स्थितियों से अवगत कराया गया।

4 वर्तमान रोजगार तथा उससे संबंधित कार्य क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक हितग्राही के लिये उपयोग नवीनतम प्रौद्योगिकी को सुधारने एवं विकसित करने के प्रयास करना।

5 स्थानीय एवं स्वदेशी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर नवीन प्रौद्योगिकी का सुधार एवं विकास कर प्राथमिक हितग्राही के लिए रोजगार की अतिरिक्त सम्भावनाएं बढाना।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 निम्नलिखित योजनाऐं संचालित की गई हैं

(रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	साइन्स फार सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट	40.00	40.00
2.	पेटेंट रिसर्च एण्ड एनोवेशन फेसेलिटीज	08.00	08.00
3	विज्ञान को लोकप्रिय करना विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता	145.00	145.00
4	एडवांस रिसर्च एण्ड इंस्टूमेटल फैसेलिटीज	21.00	21.00
5	मिशन एक्सीलेंस ऑफ एमपी ह्यूमन रिसोर्स	20.00	20.00
	योग	234.00	234.00

5.36 (अ) संस्कृति विभाग

वित्तीय वर्ष 2012–13 आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत कला एवं संस्कृति, संग्रहालयों का उन्नयन एवं विकास तथा अन्य विभागीय योजनाओं का कियान्वय निम्नानुसार किया गया ।

1. **आदिवर्त – संग्रहालय खजुराहो** – खजुराहो में आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय का संचालन किया जा रहा है। संग्रहालय में विविध माध्यमों के जनजातीय शिल्प, चित्र, मूर्ति, मुखौटे, जनजातीय आभूषण, वाद्य आदि प्रदर्शित किये गये हैं। संग्रहालय द्वारा प्रतिवर्ष शिविर एवं कार्यशाला के माध्यम से सृजित चित्रों, शिल्पों का संकलन कार्य भी किया जाता है।

2. **संकलित सामग्री का रखरखाव** – संचालित आदिवर्त संग्रहालय– खजुराहो के साथ शिल्पों, चित्रों आदि के संकलन का कार्य किया जाता है। संकलित सामग्रियों को उचित ढ़ंग से संधारित करने के लिये आवश्यक उपकरणों/ सामग्रियों की खरीद की जाकर संकलन को संरक्षित किया जाता है।

3. **जनजातीय वाचिक परम्परा का संकलन** – जनजातीय समाजों के मौखिक विविध साहित्य रुपों यथा – संस्कार गीतों, फाग गीत, ऋतु गीत, विभिन्न पर्व– त्यौहार, अनुष्ठान अवसरों पर गाये जाने वाले गीत, कथा, गाथा, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरा आदि के संकलन एवं प्रकाशन का कार्य किया जाता है। इस वर्ष भोजपुरी–उड़िया एवं लोकोक्तियां परम्परागत वाचक के गीतों का संकलन किया गया।

4. **अनुषंग पुस्तक का प्रकाशन** – स्वतंत्र पुस्तिका प्रकाशन करने की श्रृंखला के अंतर्गत संस्कार गीतों, फाग, ऋतु गीत, पर्व–त्योहार, अनुष्ठान–अवसरों पर गाये जाने वाले गीत, कथा, गाथा, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे प्रकाशित किये जाते रहे हैं। इसी क्रम में भोजपुरी–उड़िया, लोकोक्तियां, पँवारी गीत, कोरोआना पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

5. **जनजातीय चित्र शिविर** – जनजातीय पारम्परिक चित्र कर्म को प्रोत्सहन एवं प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय – खजुराहो में जनजातीय चित्र शिविर का आयोजन किया गया। चित्र शिविर में तैयार चित्रों को संग्रहालय की कला दीर्घाओं तथा देश विदेश में आयोजित विभिन्न प्रदशर्नियों के माध्यम से समय–समय पर प्रदर्शित किया जाता है।

6 **जनपदीय लोकाख्यान** :– जनपदीय लोक परंपरा में कथा, कथा वार्ता, सुधीर्घ प्रगीतात्मक आख्यान गाथाओं के रुप में रचे गये हैं और उनका कथन अथवा गायन जीवन्त लोक परंपरा में आज भी किया जा रहा है। कथा प्रचीन काल से ही कहने की शैली में रची गई है और लंबी गाथायें विशेष छन्द में गायन की विशिष्ठ संगीत शैलियों के साथ लोक परंपरा में गान की तरह विकसित हुई है।

आकादमी द्वारा पूर्व वर्षो में लोक में प्रचलित जनपदीय आख्यानों के संकलन का कार्य किया गया है। वित्त वर्ष में संकलित जनपदीय आख्यानों में से मालवी, निमाड़ी, बघेली एवं बुंदेली के आख्यानों को लोकाख्यान पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया है।

7 **भील देवलोक पुस्तक प्रकाशन** :– जनजातियों की उत्पत्ति संबंधी मिथकों के साथ देवलोक का कोई न कोई रूप से शक्ति जुड़ी है। भौतिक उर्जा पूर्ण स्थूल प्रकृति तथा सूक्ष्म प्रकृति की अभिप्रेरणाओं तक जनजातीय देवलोक का यह विस्तार धार्मिक – अध्यात्मिक जगत, सांस्कृतिक परम्परा और कलारूपों के विकास की यात्रा से जुड़ा है। पूर्व में कोरकू एवं गोण्ड जनजातीय देवलोक सर्वेक्षण के उपरान्त विनिबंध का प्रकाशन कार्य विगत वर्षो में किया गया है। इस वर्ष भील जनजाति देव लोक के विनिबंध का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रजी में किया गया है।

8 **आदिवर्त शिल्प संकलन** – आदिवर्त जनजातीय और लोक कला राज्य संग्रहालय–खजुराहों में जनजातीय संस्कृति, जीवन, कला परम्परा को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न दीर्घाओं के लिये वित्त वर्ष में विविध शिल्पों का संकलन कार्य किया जाकर संग्रहालय की कला दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। संकलित शिल्पों को समय – समय पर आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित भी किया जायेगा।

9 **नृत्य शिल्पों का दस्तावेजीकरण**:– विगत वर्षों से जनजातीयों द्वारा पारंपरिक रुप से विभिन्न अवसरों पर किये जाने वाले नृत्यों सृजित शिल्पों एवं गायन परम्परा के संरक्षण के उद्धेश्य से आधुनिक डिजीटल माध्यम में फिल्मांकन एवं ध्वन्यांकन का कार्य किया जा रहा है इस कम में इस वर्ष बैगा, भील, कोरकू, भारिया, गोंड और कोल जनजातीयों में स्त्रियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाये जाने वाले गीतों की रिकॉडिंग की गई ।

10 **संपदा समारोह** :– प्रदेश एवं अन्य राज्यों की जनजातीय नृत्य परंपरा पर एकाग्र संपदा समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 8 से 10 फरवरी 2013 तक मलगांव जिला खण्डवा में तीन दिवसीय संपदा समारोह का आयोजन किया गया । समारोह में प्रदेश की बैगा,गोंड, भारिया, कोरकू जनजातीयों के नृत्यों के अलावा गुजरात राज्यों के जनजातीय नृत्य दलों द्वारा शिरकत की गई। जनजातीय नृत्यों के साथ ही प्रदेश के मालवा बुंदेलखण्ड अंचलों के लोक नृत्यों के साथ ही गुजरात, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों के लोक नृत्य दलों की शिरकत की गई।

11 सृष्टि जनजातीय चित्रों का पुर्नप्रकाशन :– सृष्टि जनजातीय चित्रों का पुर्नप्रकाशन के अन्तर्गत वित्त वर्ष में लोकांचलों में प्रचलित बेटियों के पारम्परिक चित्रांकन पर केन्द्रित प्रदर्शनीय सृष्टि का संयोजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित "लोक रंग समारोह" के अवसर पर किया गया है।

12 **विविधा शिल्प प्रदर्शनी एवं कार्यशाला:–** गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित लोक रंग समारोह की अनुशंग गतिविधि के रुप में प्रति वर्ष किसी एक मायध्य पर केन्द्रित प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष "नाद" वैविध्य को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न आकार – प्रकार की घंटियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी एवं लकड़ी एवं मिट्टी में घंटियों के निर्माण की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

13 **प्रशिक्षण/परिष्कार शिविर** :– मध्यप्रदेश की सहरिया जनजातीय में दुल–दुल घोड़ी तथा लहंगी नृत्य की परंपरा है। सुदूर ग्रामीण आंचलों में प्रचलित इस जनजातीय नृत्य परम्परा के संरक्षण एवं राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करने के उद्धेश्य से प्रशिक्षण एवं परिष्कार शिविर का आयोजन किया गया है।

14 **आदिवर्त शिल्प कार्यशाला** :–खजुराहों में संचालित जनजातीय और लोक कला राज्य संग्रहालय, खजुराहों में मिट्टी शिल्प पर एकाग्र कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला को नाद को अभिव्यक्त करने वाली घंटियों पर एकाग्र किया गया। कार्यशाला मे सृजित घंटियों को समय–समय पर संग्रहालय की कला दीर्घाओं में प्रदर्शित किया जायेगा। सृजित घंटियों की प्रदर्शनी नाद का आयोजन गणतंत्र दिवस पर आयोजित लोकरंग समारोह के अवसर पर किया गया।

15 **भारिया देवलोक सर्वेक्षण** – जनजातीय देवलोक के सर्वेक्षण पर आधारित सर्वेक्षण उपरान्त विनिबंध के हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशन की श्रृंखला के अन्तर्गत पूर्व वर्षों से भारिया देवलोक के सर्वेक्षण का कार्य निरन्तरता में किया जा रहा है। इस वर्ष देवलोक का अवशेष सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर आगामी वर्ष में विनिबंध का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी में किया जायेगा।

16 **जनजातीय चित्र प्रदर्शनी** :– मध्यप्रदेश की बैगा जनजाति में गोदना की प्राचीन परम्परा है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित लोकरंग समारोह में इस वर्ष बैगा जनजाति में बनाये जाने वाले पारम्परिक गोदना चित्रांकन पर केन्द्रित प्रदर्शनी संयोजन किया गया।

17 **लोकरंग** :– गणतंत्र दिवस को समारोहित करने के उद्देश्य से लोकरंग समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष 26 से 30 जनवरी, 2013 तक रवीन्द्र भवन, भोपाल में लोकरंग समारोह का आयोजन किया गया । अनुसूचित जनजाति और अन्य ग्रामीण प्रदर्शनकारी एवं रुपंकर

कलाओं को इस समारोह में आमंत्रित किया जाता है। वित्त वर्ष में आयोजित समारोह में मध्यप्रदेश के जनजातीय और लोक प्रदर्शनकारी कलादलों के अलावा उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, गुजरात राज्यों के जनजातीय नृत्य रुपों ने शिरकत की। लोकरंग समारोह को कलाओं के विश्व समारोह के रुप में संयोजित किये जाने की घोषणा के कम में इस वर्ष अन्य देशों – नाईजीरिया, मैक्सिको, जर्मनी, यूकेन, टर्की और क्यूबा देशों के पारंपरिक नृत्य दलों द्वारा सिरकत की गई।

18 **राष्ट्रीय बाल्य नाट्य समारोह (बाल रंग मण्डल)** – अनुसूचित जनजातीय के बाल्य नाट्य विधा को कमबद्ध प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के उद्धेश्य से बालरंग मण्डल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बाल्यनाट्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का शुभ अवसर प्रदान किया जाना है।

19. सृजन संवाद (अनुसूचित जनजातीय रचनाकारों की कार्यशाला):– प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रचनाकार बाहुल्य मात्रा में हैं। इन रचनाकारों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के उद्धेश्य से साहित्य अकादमी सृजन संवाद कार्यशाला का आयोजन करती है। कार्यशाला में प्रदेश के युवा अनुसूचित जनजाति के लेखकों को वरिष्ठ साहित्यकारों के संनिध्य में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.36 (ब) स्वराज संस्थान

वित्तीय वर्ष 2012–13 स्वतंत्रता संग्राम में अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट योगदान को तथा इस समुदाय के बीच स्वाधीनता संग्राम से संबंधित चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से जनजातीय विद्रोही नाट्य समारोह, व्याख्यान, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, कार्यशाला, दस्तावेजीकरण, शोध, आदि गतिविधियों के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कुल आवंटित राशि रूपये 70.00 लाख के विरूद्ध रूपये 70.00 लाख का व्यय किया गया। विभिन्न गतिविधियों के तहत शतप्रतिशत पूर्ति की गई।

संस्थान द्वारा हितग्राही मूलक योजना संचालित नहीं की जाती। आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम के रणवांकुरों, जननायको एवं महापुरुषों पर केन्द्रित आयोजन प्रमुखता से किये जाते है। आयोजन का मुख्य उद्धेश्य आदिवासी समुदाय के रणवांकुरों, जननायकों एवं महापुरुषों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिये गये योगदान में आदिवासी समुदाय एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार करना है।

अध्याय–6

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का विकास

मध्यप्रदेश में देश की 131 अनुसूचित जनजातियों में से 43 जनजातियाँ निवासरत हैं। जिसमें से 03 जनजातियों–सहरिया, भारिया एवं बैगा को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भारत सरकार द्वारा दिया गया है। वर्ष 1992 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इन तीनों जनजातियों की कुल जनसंख्या 550608 है, जो प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 5.69 प्रतिशत है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिये 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित किये गये हैं जिसका क्षेत्र 15 जिलों में फैला हुआ है।

भारत सरकार द्वारा, कृषि में पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर, साक्षरता का न्यूनतम स्तर, अत्यन्त पिछड़े एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में निवास करना, स्थिर या घटती हुई जनसंख्या इत्यादि मापदण्डों को आधार मानकर मान्यता सुनिश्चित की जाती है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास की पृष्ठभूमि

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु विशेष प्रयास पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में आदिवासी उपयोजना के साथ प्रारंभ किये गये थे। प्रदेश में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया था। तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास कार्यक्रमों को स्वीकृत करने हेतु विशेष प्रशासनिक संरचना की गई, जिसे अभिकरण का नाम दिया गया। इस संरचना की विशेषता यह है कि प्रत्येक अभिकरण को फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराते हुये उक्त अभिकरणों के लिये समान उप विधियों का विधान रखा गया है। अभिकरणों के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार से प्राप्त आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजना राशि वित्तीय वर्ष में व्यय न होने की स्थिति में राशि व्ययगत न हो तथा आगामी वर्षो में विशेष पिछड़ी जनजातियों के हित में उसका उपयोग सुनिश्चित करना मुख्यतः परिवार मूलक विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु समुदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित एवं अधोसंरचना विकास योजनाओं पर व्यय की जाती है।

वर्ष 2012–13 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिये आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत राजस्व मद में रुपये 755.00 लाख की राशि एवं आय सृजित करने वाली योजनाओं में अनुदान की राशि योजनान्तर्गत रूपये 4350.00 लाख अभिकरणों तथा लोक

निर्माण विभाग को आवंटित की गयी है । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों के सफल कूपों में उद्वहन सिंचाई के लिये डीजल/विद्युत पम्प प्रदाय करने सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता दी गयी है तथा केन्द्र क्षेत्र योजनान्तर्गत (संरक्षक सह विकास योजना) मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, सिंचाई, आवास, आजीविका तथा संस्कृति के संरक्षण हेतु स्वीकृत योजनाएं संचालित की गयी हैं ।

अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

संविधान की पाँचवी अनुसूची में की गई व्यवस्था अनुसार प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई है। प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न विकास विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी का समावेश किया गया है। यद्यपि बजट में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार प्रावधान न किया जाकर आदिवासी उपयोजना के लिये किया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में किये गये संरक्षणात्मक उपायों एवं प्रशासनिक संरचना की विवेचना।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम–1996 केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत सत्ता और विकास में आदिवासियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा संविधान के संशोधन के अनुरूप ग्राम सभाओं, स्थानीय समुदाय एवं पंचायतों को व्यापक अधिकार सौंपे गये हैं। केन्द्रीय कानून के अनुसार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम एवं मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम, में संशोधन कर इन वर्गो को अधिकार देने हेतु क्रियान्वित है।

अनुसूचित जनजातियों के शोषण एवं गैर आदिवासियों के अत्याचार के विरूद्ध संरक्षणात्मक एवं आर्थिक उपाय किये गये हैं। प्रदेश के 09 जिलों यथा बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली एवं सिवनी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है। अतः आज प्रमुख आवश्यकता शोषण के विरूद्ध किये गये उपायों को कठोरता से लागू किया जाना, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, सत्ता एवं विकास कार्यो में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिये आदिवासियों में शिक्षा, प्रचार–प्रसार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी आय में वृद्धि कर न्यूनतम रहन–सहन के स्तर में उन्नति की जाना शासन की प्राथमिकता है। अनुसूचित/आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में संचालित विकास कार्यक्रमों एवं समस्याओं की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

पंचा[redacted] उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत राज्य शासन के कानूनों/नियमों का प्रभाव केवल प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र तक सीमित है। भारत सरकार द्वारा राज्य शासन के प्रस्ताव अनुसार सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जावे, ताकि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को उसका लाभ मिल सके।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व से काबिज आदिवासियों को तथा तीन पीढ़ियों से निवासरत अन्य परम्परागत वर्ग के वन निवासियों को वन भूमि पर अधिकार देने हेतु पूरे प्रदेश में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 139098 दावों पर वन निवासियों के वन अधिकार मान्य किये गये हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में शासन का उद्देश्य मात्र शिक्षण संस्थाओं को खोलना नहीं होना चाहिये बल्कि जो शासकीय शिक्षण संस्थायें संचालित है, उनमें अध्ययन एवं अध्यापन की उचित गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। राज्य शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयास के तहत प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिये दक्षता प्राप्त शिक्षकों की पदस्थापना की जावे। उत्कृष्ट शिक्षा के अंतर्गत 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले मेधावी छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से सभी जिलों के साथ ही विकासखण्ड मुख्यालयों पर भी उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों में विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ 500 रूपये छात्रों एवं 525 छात्राओं को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति दी जाती है। साथ ही 2000 रूपये की स्टेशनरी एवं कोचिंग सुविधा एवं खेलकूद सामग्री दी जाती है।

प्रतिबंधात्मक उपायों को कड़ाई से लागू करने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। अतः इनका पालन समय-सीमा में सुनिश्चित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक है। आदिवासी मुख्यतः जंगल एवं कृषि पर निर्भर हैं तथा उनका भूमि एवं जगलों से लगाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः राजस्व, आबकारी एवं वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार कर आदिवासियों के प्रति सदभावना जागृत की जाना होगी।

प्रशासकीय व्यवस्था

अनुसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत एकीकृत आदिवासी परियोजना वृहद् 26, मध्यम 05 (कुल 31 परियोजनाऐं) 30 माडा पाकेट एवं 06 लघु अंचल संचालित हैं। परियोजना/माडा/लघु अंचल स्तर पर विभिन्न विकास विभागों से समन्वय कर आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन/अनुश्रवण प्रभावी रूप से किया जाता है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं हेतु परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित् की गई है। परियोजना स्तर पर प्रतिमाह परियोजना क्रियान्वयन समिति एवं 06 माह में परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

विभाग द्वारा जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं जिला संयोजक तथा आदिवासी विकास खण्डों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यरत हैं। आदिवासी उपयोजना में 88 आदिवासी विकास खण्डों में विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन/गुणात्मक सुधार लाने हेतु छात्रावास, आश्रम, प्राथमिक, माध्यमिक एवं विशिष्ट संस्थायें संचालित की जा रही हैं।

विकास की दिशा

भारत सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता राशि दो किश्तों में निर्गमित की जाकर अंतिम (दूसरी) किश्त वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर के पूर्व निगर्मित की जाना चाहिये, जिससे इस मद अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो पर अनुमोदन व स्वीकृति यथा समय प्राप्त कर कार्य वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जा सके।

वर्ष 2010–11 में क्लस्टर आधारित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत चयनित क्लस्टर्स ग्रामों में जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, परिवार मूलक/रोजगार मूलक, आय सृजित कार्यक्रमों को शामिल कर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त हो रही राशि से अधोसंरचना के कार्य कर, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में सहायता मिल रही है।

मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान अनुच्छेद 275(1) केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तीन वर्षीय एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिये तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्र उपयोजना हेतु पृथक से बजट में मांग संख्या 41, 42 एवं मांग संख्या–52 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता तथा मांग संख्या–68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता निर्मित की गई है। आदिवासी उपयोजना हेतु राशि का निर्धारण कुल राज्य आयोजना में आदिवासी जनसंख्या के अनुपात में रखे जाने की व्यवस्था की गई है। आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि सीधे एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं/माडा पाकेट/लघु अंचल को आवंटित किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न विकास विभागों द्वारा जो योजना इन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है, उनसे अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जावे।

वर्ष 2010–11 में अनुसूचित क्षेत्रों/आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है, उसमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। परियोजना स्तर पर आयोजना, अनुश्रवण योजना का अनुमोदन/स्वीकृति रूपये 20.00 लाख तक राशि के अधिकार परियोजना सलाहकार मण्डल को प्रदत्त हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि योजनायें आदिवासियों एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अनुरूप हो, जिसका सीधा लाभ अनुसूचित जनजातियों को पहुंचे।

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरणों का पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण किया गया है। अभिकरणों में गवर्निंग बाडी का गठन किया जाकर अध्यक्ष, क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग से होगा तथा सदस्य क्षेत्र के आदिवासी विधायक, जनपद पंचायत/जिला पंचायतों के अध्यक्ष तथा संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति के 5 सदस्य होगें। अभिकरणों की गवर्निंग बाडी द्वारा क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति की आयोजना, अनुश्रवण एवं स्वीकृति/अनुमोदन के कार्य किये जाते है।

भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली राशि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र /आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल व अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक कम है। अतः भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) केन्द्रीय सहायता मद की राशि में वृद्धि कर अधिक राशि उपलब्ध कराया जाना चाहिये। साथ ही राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की ओर प्रेषित प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही कर

स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिये। जिसमें प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा सके।

अनुसूचित क्षेत्रों/आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में विभिन्न विकास विभागों द्वारा क्रियांन्वित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को पहुंचा है अथवा नहीं, यह ज्ञात करने के लिये सतत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव पर संक्षिप्त टीप

मध्यप्रदेश शासन आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2010–11 की वार्षिक आयोजना के अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना हेतु शिखर सीमा जनसंख्या के मान से निर्धारित तथा विभिन्न विकास विभागों को समय पर राशि उपलब्ध करायी गयी ताकि उनके द्वारा आदिवासियों के लिए विकास कार्य सम्पन्न किये जा सके। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नियमित समीक्षा वर्ष के दौरान की गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों में विकास एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नांकित सुझाव :–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं म.प्र. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं आई है।

2. प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए आधारभूत सुविधायें चिन्हित क्षेत्रों में ही उपलब्ध करायी जा रही है, जबकि विशेष पिछड़ी जनजाति के अन्तर्गत आने वाली सहरिया, बैगा एवं भारिया जाति के लोग चिन्हित क्षेत्रों के बाहर भी निवास करते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए चिन्हित क्षेत्रों के बाहर का सर्वेक्षण करने एवं वहां पर निवास कर रही विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी चिन्हित क्षेत्रों के समान सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार, राज्य शासन को अधिकृत करे तथा क्षेत्र एवं जनसंख्या के मान से आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राशि उलपब्ध करायें।

3. अनूसूचित क्षेत्र/आदिवासी उपयोजना में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यह प्रस्ताव है कि राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारी जो अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ हैं तथा आदिवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको वही सुविधायें उपलब्ध करायी जावे जो केन्द्र सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाती है। इससे अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य कर रहे

अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त होंगी तथा वे निश्चित रूप से अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य निष्पादित करेंगे।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय अमले के लिए आवास सुविधा, शैक्षणिक सुविधा एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की जा रही है। इन सुविधाओं के अभाव में अधिकारी/कर्मचारी को अपने मुख्यालय पर रहने में कठिनाई होती है। इसलिए भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत उक्त प्रयोजन हेतु पृथक से राशि आवंटित करे ताकि ये आवास सुविधा कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जावे, जिससे कर्मचारी अपने मुख्यालय पर अपनी सेवायें आदिवासियों के लिए उपलब्ध कराते रहें।

5. आगामी योजना में 25 लाख जनसंख्या वाले जिलों के लिये मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव के लिये आदिवासी बाहुल्य जिलों में 10 लाख की जनसंख्या को माना जाये। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसिमिया प्रभावित जिलों के लिये केन्द्र द्वारा पृथक योजना, आर्थिक मदद एवं रिसर्च एवं उपचार हेतु केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

अध्याय – आठ

परिशिष्ट

परिशिष्ट – एक

THE GAZETTE OF INDIA
Extraordinary
PartII- Section 3 Sub Section (i)
PUBLISHED BYAUTHORITY
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Legislative department)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th Feb.'03

G.S.R. 11(E) – the following order made by the President is published for general information C.O. 192:-

THE SCHEULEDAREAS ORDER 2003

In exercise of the powers conferred by sub paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the ScheduledAreas (States of Bihar, Gujrat, Madhya PradeshAnd Orissa) Order, 1977 in so farAs it relates to theAreas now comprised in the States of Chhattisgarh, JharkhandAnd Madhya PradeshAnd in consultation with the Governors of the States concerned is pleased to make the following Order namely:-

1(1) This order may be called the ScheduledAreas (States of Chhattisgarh, Jharkhand & Madhya Pradesh) Order , 2003.

(2) It shall come into forceAt once

2. TheAreas specified belowAre hereby redefined to be the ScheduledAreas within the States of Chhattisgarh, Jharkhand & Madhya Pradesh:-

MADHYA PRADESH

1. Jhabua district
2. Mandla district
3. Dindori district
4. Barwani district
5. Sardarpur, Dhar, Kukshi, Dharampuri, Gandhwani & Manawar tahsils in Dhar district
6. Bhagwanpura , Segaon Bhikangaon, Jhirniya, KargoneAnd Maheshwar tahsils in Khargone (West Nimar) district
7. Khalwa Tribal Development Block of Harsud tahsilAnd Khaknar Tribal Development Block of Khaknar tahsil in Khandwa (East Nimar) district
8. SailanaAnd Bajna tahsils in Ratlam district
9. Betul tahsil(excluding Betul Development Block)And BhainsdehiAnd Shahpur tahsils in Betul district
10. Lahnadone , GhansaurAnd Kural tahsils in Seoni district
11. Balhar tahsil in Balaghat district
12. Kesla Tribal Development Block of Itarsi Tahsil in Hoshangabad district
13. Pushparajgarh,Anuppur, Jaithari, Kotma , Jaitpur, SohagpurAnd Jaisinghnagar tahsils of Shahdol district
14. Pali Tribal Development Block in Pali Tahsil of Umaria district
15. Kusmi Tribal Development Block in Kusmi tahsil of Sidhi district
16. Karahal Tribal Development Block in Karahal tahsil of Sheopur district

17. Ta[redacted]And Jamai tahsils, Patwari circle nos. 10 to 12And 16 to 19 villages, Siregaon KhurdAnd KirwariAnd Patwari circle No. 09 villages MainawariAnd Gaulie Parasia of Patwari circle No. 13 in parasia tahsil village Bamhani of patwari circle No. 25 in Chhindwara tahsil, Harai Tribal Development BlockAnd patwari circle Nos. 28 to 36, 41,43,44And 45 B inAmarwara tahsil.

Bichhua tahsilAnd patwari circle Nos. 05,08,09,10,11And 14 in Saunsar tahsil, patwari circle Nos. 01 to 11And 13 to 26And patwari circle No. 12 (excluding village Bhuli), village Nandpur of patwari circle No. 27 villages NilkanthAnd Dhawdikhapa of patwari circle No. 28 in Pandurna tahsil of Chhindwara district.

3. Any reference in the preceding paragraph toA territorial division by whatever name indicated shall be constructedAsA reference to the territorial division of that nameAs existingAt the commencement of this order .

A.P.J.ABDUL KALAM,
President
[F.No.19(5) 22002-L.1]
SUBASH C.JAIN SEC.

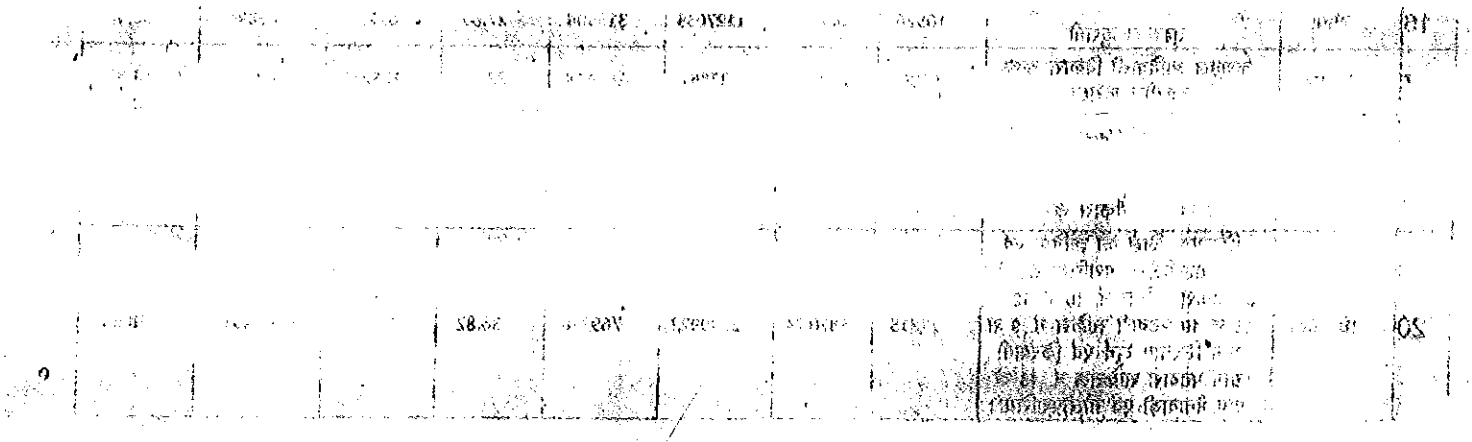

मध्यप्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी जानकारी-2011 की जनगणनानुसार

क्र.	जिला	घोषित अनु.क्षेत्र	जिले का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	अनु.क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जिले की कुल जनसंख्या	जिले में अनु. जनजाति जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	अनु.क्षेत्र की कुल जनसंख्या अनुमानित	अनु.क्षेत्र में अनु. जनजाति की जनसंख्या अनुमानित	अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या अनु. क्षेत्र की अनु.जन जाति जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	8	4	6	6	7	8	9	10	11
1	झाबुआ	संपूर्ण झाबुआ जिला	6778	6778	1025048	891818	87.00	1025048	891818	87.00
2	अलीराजपुर	संपूर्ण जिला	-	-	728999	648638	88.98	788999	648638	82.21
3	मण्डला	संपूर्ण मण्डला जिला	5800	5800	1054905	610528	57.88	1054905	610528	57.88
4	डिण्डोरी	संपूर्ण जिला	7470	7470	704524	455789	64.69	704524	455778	64.69
5	बड़वानी	संपूर्ण जिला	5422	5422	1385881	962145	69.42	1385881	962145	69.42
6	धार	सरदारपुर, धार, कुक्षी और मनावर तहसील धरमपुरी, गंधवानी, तहसील	8153	7157.11	2185793	1222814	55.94	1959353	1140138	58.19
7	खरगौन	भगवानपुरा, सेगांव, झिरन्या, भीकनगांव, खरगौन, महेश्वर तहसील	8083	4288.86	1873046	730169	38.98	1272993	689629	54.17
8	खण्डवा	हरसूद तहसील का खालवा आदिवासी विकास खण्ड	10776	1493.84	1310061	459122	35.05	222512	153904	69.17
9	रतलाम	सैलाना तहसील	4861	1217.01	1455069	409865	28.17	215249	186806	86.79
10	बैतूल	बैतूल तहसील (बैतूल विकास खण्ड बैतूल को छोड़कर) भैसदेही एवं 10 शाहपुर तहसील	10043	4195.59	1575362	667018	42.34	1112158	566863	50.97
11	सिवनी	लखनादौन, धन्सौर, कुरई तहसील	8758	3659.04	1379131	519856	37.69	675797	353245	52.27
12	बालाघाट	बैहर तहसील	9229	2677.1	1701698	383026	22.51	284352	158566	55.76
13	होशंगाबाद	केसला आदिवासी विकासखण्ड इटारसी तहसील	6707	666.1	1241350	197300	15.89	123325	51081	41.42
14	शहडोल	पुष्पराजगढ़, जैतहरी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर एवं जयसिंह नगर तहसील	9952	8112.18	1066063	476008	44.65	842716	387935	46.03
15	उमरिया	पाली आदिवासी विकास खण्ड पाली	4076	854.38	644758	300687	46.64	107659	63542	59.02
16	सीधी	कुसमी आदिवासी विकास खण्ड तहसील कुसमी	10526	1437.6	1127033	313304	27.80	81259	49894	61.40
17	श्योपुर	कराहल आदिवासी विकास खण्ड तहसील कराहल	6606	2303.7	687861	161448	23.47	108261	69142	63.87
18	अनूपपुर	संपूर्ण जिला	-	-	749237	358543	47.85	749237	35853	4.79
19	बुरहानपुर	खकनार तहसील का खकनार आदिवासी विकास खण्ड	-	-	369343	230095	62.30	133269	85922	64.47
20	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा जिले की तामिया एवं जमाई तहसीलें– परासिया तहसील के पटवारी सर्किल नं. 10 से 12 एवं 18 से 19 पटवारी सर्किल नं. 9 से ग्राम सिरेगांव खुर्द एवं किरवानी ग्राम पटवारी सर्किल नं. 13 के ग्राम मैनावाड़ी एवं गोलीपरासिया।	11815	5870.24	2090922	769778	36.82	114176	89431	78.33

क्र0	जिला	घोषित अनु0क्षेत्र	जिले का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	अनु0क्षेत्र (वर्ग कि0मी0)	जिले की कुल जनसंख्या	जिले में अनु0 जनजाति जनसंख्या	अनु0 जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	अनु0क्षेत्र की कुल जनसंख्या अनुमानित	अनु0क्षेत्र में अनु0 जनजाति की जनसंख्या अनुमानित	अनु0 क्षेत्र की कुल जनसंख्या अनु0 क्षेत्र की अनु0जन जाति जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		छिंदवाड़ा तहसील का पटवारी सक्रिल नं. 25 में ग्राम बग्हनी।								
		अमरवाड़ा तहसील के हर्रई आदिवासी विकासखण्ड एवं पटवारी सक्रिल नं. 28 से 38 एवं 41, 43, 44 तथा 45 बी।								
		बिछुआ तहसील तथा सौसर तहसील के पटवारी सक्रिल नं. 02, 05, 08, 09, 10, 11 एवं 14 तथा पटवारी सक्रिट नं. 01 के ग्राम रागूढाना, सिलोरा एवं जोबनी।								
		पर्डुरना तहसील के पटवारी सक्रिल नं. 12 के ग्राम भूली को छोड़कर, पटवारी सक्रिल नं. 27 के ग्राम नंदपुर, पटवारी सक्रिल नं. 28 के ग्राम नीलकण्ठ एवं धावड़ीखापा								
योग			135055	69402.8	24356084	10767951	44.21	12961673	7650858	59.03

टीप – कालम 3 में अनुसूचित क्षेत्र का विवरण 28 फरवरी 2003 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर दर्शाया गया है।

प्रशासनिक संरचना
आदिमजाति तथा अनुसचित जाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

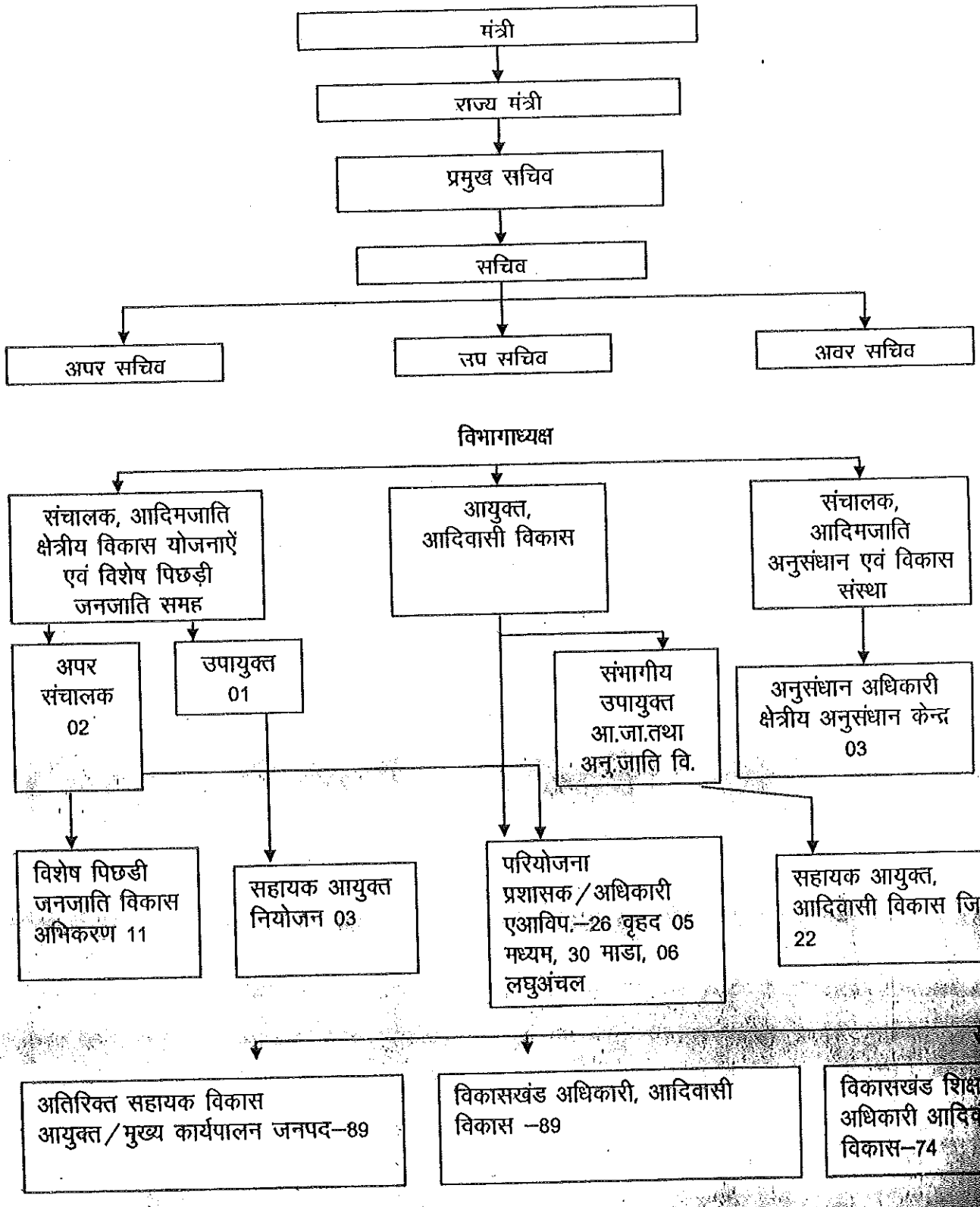

परिशिष्ट – तीन

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत संचालित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा पाकेट एवं लघु

अंचल की जानकारी

क्रमांक	जिला	परियोजना	माडा	लघुअंचल
1	2	3	4	5
1	झाबुआ	1 झाबुआ		–
2	अलीराजपुर	2 अलीराजपुर	–	–
3	धार	3 धार	1 बदनावर	–
		4 कुक्षी	–	–
4	खरगौन	5 खरगौन	–	–
		6 महेश्वर	–	–
5	बडवानी	7 बडवानी	–	–
		8 सेंधवा	–	–
6	खण्डवा	9 खण्डवा	2 अंधावाडी	1 पामाखेडी
7	बुरहानपुर		3 पीपलकोटा	
8	डिण्डोरी	10 डिण्डोरी	–	–
9	मण्डला	11 मण्डला	–	–
		12 निवास		
10	बालाघाट	13 बैहर	–	–
11	सिवनी	14 लखनादौन	4 सिवनी	–
		15 कुरई(मध्यम)		
12	छिन्दवाड़ा	16 तामिया	5 लहगुडवा	–
		17 सौंसर		
13	जबलपुर	18 कुण्डम	6 बरगीपाटन	2 हिनौतिया
				3 प्रतापपुर
14	कटनी	–	7 सिहोरा–1	4 मोहारी
			8 मुडवारा–2	
15	सीधी	19 कुसमी	–	–
16	सिंगरौली	20 देवसर		
17	अनूपपुर	21 पुष्पराजगढ़	9 ब्यौहारी	–
18	शहडोल	22 जयसिंहनगर		
		23 शहडोल		
19	उमरिया	24 बांधवगढ़	–	–
20	बैतूल	25 बैतूल	10 प्रभातपट्टन	–
		26 भैंसदेही		
21	रतलाम	27 सैलाना	–	–
22	देवास	28 बागली(मध्यम)	–	–
23	श्योपुर	29 कराहल(मध्यम)	–	–
24	होशंगाबाद	30 केसला(मध्यम)	–	–

क्रमांक	जिला	परियोजना	माडा	लघुअंचल
1	2	3	4	5
25	हरदा	31 हरदा(मध्यम)	—	—
26	शिवपुरी	—	11 शिवपुरी 12 पोहरी	5 कोटला
27	सतना	—	13 रघुराजनगर 14 नागोद 15 मैहर 16 अमरपाटन	— — — —
28	रीवा	—	17 मऊगंज	—
29	सीहोर	—	18 इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी	—
30	रायसेन	—	19 सिलवानी, बरेली 20 गौहरगंज	—
31	नरसिंहपुर	—	21 नरसिंहपुर	—
32	इन्दौर	—	22 महू	—
33	दमोह	—	23 जबेरा 24 तेंदूखेड़ा 25 हटा	— — —
34	सागर	—	26 देवरीकला	—
35	गुना	—	27 गुना 28 चाचौडा 29 परसोलिया	—
36	पन्ना	—	30 पवई	—
37	छतरपुर	—	—	6 किशनगढ़
योग		31 परियोजना	30 माडा	6 लघुअंचल

अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधायें
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक/एफ.बी.–11/3/83/नि–2/चार भोपाल दिनांक 26.1.86

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः– अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधाओं एवं क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करने बावत्।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक समसंख्या दिनांक 11.01.84 द्वारा विभिन्न विशेष सुविधायें प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। राज्य शासन द्वारा उक्त ज्ञापन के अधीन देय अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते एवं गृह भत्ते का भुगतान सुचारू रूप से किये जाने की दृष्टि से सभी पहलुओं पर पूर्ण विचार करने के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को निम्नानुसार पुनरीक्षित दरों पर विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता दिया जाये –

अ– आवास गृह भत्ता

(i) क्षेत्र वर्ग–1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए (उसमें समाविष्ट विकासखण्डों सहित) मूल वेतन का 10;

(ii) क्षेत्र वर्ग–2 के विकासखण्डों के लिए मूल वेतन का 7 प्रतिशत

(iii) क्षेत्र वर्ग–3 के विकासखण्डों के लिए मूल वेतन का 5 प्रतिशत

नोट– *आवास गृह भत्ता तभी देय होगा जबकि संबंधित शासकीय कर्मचारी को शासन की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध न कराई गई हो।*

(iv) यदि संबंधित शासकीय कर्मचारी को शासन की ओर से आवास गृह आवंटित किया गया हो तो उससे आवास गृह के लिए निम्नानुसार किराया वसूल किया जायेगा–

अ. वर्ग 1 तथा 2 के क्षेत्रों के लिए : कुछ नहीं।

ब. वर्ग 3 के लिए : निर्धारित दर से ढाई प्रतिशत कम

(v) यदि पति पत्नि एक ही स्थान पर पदस्थ हों तो आवास गृह भत्ता उनमें से केवल एक को ही दिया जायेगा।

विशेष भत्ता

अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्न दरों पर विशेष भत्ता दिया जाये–

अ. क्षेत्र वर्ग–1 के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए मूल वेतन का 15 प्रतिशत

ब. क्षेत्र वर्ग–2 के विकासखण्डों के लिए मूल वेतन का 10 प्रतिशत

स. क्षेत्र वर्ग–3 के विकासखण्डों के लिए मूल वेतन का 5 प्रतिशत

आवास गृह भत्ते/विशेष भत्ते के लिए उच्चतर सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

नोट– मूल वेतन से आशय मूलभूत नियम 9(21)ए(1) के अंतर्गत देय वेतन से है।

2. अबुझमाड़ विकासखण्ड क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी/5/800/1 (3वै को) 76 दिनांक 7 जनवरी 77 में उल्लिखित सीमा एवं प्रतिबंधों के अधीन क्षतिपूर्ति भत्ता देय होगा। प्रतिबंध यह होगा कि अबुझमाड़ विकासखण्ड के लिए देय क्षतिपूर्ति भत्ते तथा इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्तों की राशि कुल मिलाकर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के मूल वेतन से अधिक न हो।

नोट– इन आदेशों के अंतर्गत दिये जाने वाले विशेष भत्ते में बस्तर जिले में देय विशेष भत्ते की राशि शामिल होगी किन्तु पांडे वेतनमान के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–343/255–1(3) वेआको–74 दिनांक 3 मई 1974 के अंतर्गत देय बस्तर विशेष भत्ते की राशि से यदि अधिक होती है तो वहां विद्यमान दरों से बस्तर विशेष भत्ता मिलता रहेगा एवं उन मामलों में इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्ता देय नहीं होगा।

3. इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्ता पुनरीक्षित (चौधरी) वेतनमानों पर आधारित मूल वेतन पर देय होगा ऐसे शासकीय सेवकों के मामले पर जो पुनरीक्षित (चौधरी) वेतनमानों के अलावा अन्य वेतनमानों में प्राप्त करते हैं मूल वेतन से आशय है मूलभूत नियम 9(21)ए(1)के अंतर्गत देय वेतन से होगा।

4. इन आदेशों के अंतर्गत देय विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो अपने गृह नगर/ग्राम से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पदस्थ हो, परन्तु आवासगृह भत्ता सभी कर्मचारियों को देय होगा भले ही वे अपने गृह नगर/ग्राम के 8 किलोमीटर के अन्दर भी पदस्थ हो।

नोट– गृह नगर/ग्राम वही माना जायेगा जो कर्मचारी द्वारा दिनांक 11.01.84 से पूर्व घोषित किया गया हो। साथ ही गृह नगर/ग्राम से आशय न केवल घोषित गृह नगर/ग्राम से है वरन् ऐसे स्थान से भी है जहां कर्मचारी ने अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अचल सम्पत्ति (भूमि अथवा भवन) अर्जित कर ली हो।

5. यदि किसी क्षेत्र विशेष या परियोजना विशेष अथवा विभाग विशेष में किसी अन्य प्रकार का भत्ता मिलता हो तो वह इन आदेशों के अनुसार देय भत्तों में शामिल माना जायेगा। अपवाद केवल यह होगा कि यदि अन्य ऐसे भत्ते इन आदेशों के तहत देय भतों से अधिक हो तो कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे अन्य भत्तों को वहन करें और इन आदेशों के अधीन देय विशेष भत्ते तथा आवास गृह भत्ते न लें।

6. इन आदेशों के अधीन देय विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता केवल शासकीय कर्मचारियों को देय होगा। यदि कोई स्वायत्तशासी निकाय/स्थानीय संस्था यह भत्ता अपने कर्मचारियों को देना चाहे तो वे अपने स्वयं के साधनों के आधार पर निर्णय लेंगे। राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई राशि उन संस्थाओं / निकायों को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, परन्तु यदि कोई शासकीय कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसे इन आदेशों के अंतर्गत विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता पात्रतानुसार देय होगा।

7. इन आदेशों के अंतर्गत पुनरीक्षित दरों से देय विशेष भत्ता/आवासगृह भत्ता दिनांक 1 जनवरी 1986 से भुगतान किया जायेगा। दिनांक 31.3.86 तक वर्तमान प्रणाली के अनुसार तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से ही इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जायेगा। चालू वर्ष 1985–86 में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में मांग संख्या 33 शीर्ष 288–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 01–निर्देशन और प्रशासन–006 आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर का उन्नयन तथा पुनर्गठन–अन्य प्रभार के अंतर्गत रूपये 8.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान का आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा समानुपातिक (PRORATA) आधार पर संबंधित विभागों को उनके कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

8. इन आदेशों के अंतर्गत 1.4.86 से पुनरीक्षित दरों से देय विशेष भत्ता/आवास भत्ता वेतन के साथ ही आहरित किया जावेगा और बजट में इसी मांग संख्या एवं बजट लेखा शीर्ष/उप शीर्ष में विकलित किया जायेगा। जहां संबंधित कर्मचारी का वेतन आहरण विकलित किया जाता है। वर्ष 1986–87 से इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय का प्रावधान सामान्य व्यय के रूप में संबंधित विभाग की मांग संख्या/लेखे के शीर्ष के अधीन लेखे की इकाई 'वेतन (SALARIES) के अंतर्गत एक पृथक गौण शीर्ष (DETAILED UNIT OFAPPROPRIATION) अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को देय भत्ते में किया जायेगा और तद्नुसार व्यय की लेखों में अंकित किया जायेगा।

9. दिनांक 31.12.85 तक देय विशेष भत्ते तथा आवास गृह भत्ते की अवशेष राशि का भुगतान किस ढंग से किया जायेगा इस बारे में आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

10. इन आदेशों के अंतर्गत 01.01.1986 से देय विशेष भत्तों/आवासगृह भत्तों के लिए विकाखण्डों का वर्गीकरण वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.01.84 के अनुसार ही रहेगा, किन्तु दिनांक 01.4.86 से विकासखण्डों का श्रेणीवार वर्गीकरण संशोधित किया जा सकेगा साथ ही विकासखण्डों के पुनः वर्गीकरण के प्रभावशील होने के साथ–साथ CONTINGENCY, WORK CHARGED SERVICE के कर्मचारियों को भी अन्य नियमित वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों की भांति ही विशेष भत्ता तथा आवास गृह भत्ता देय होगा।

11. शैक्षणिक सुविधायें अतिरिक्त अर्जित अवकाश तथा अवकाश यात्रा रियायत इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 11.01.84 के अनुसार यथावत् जारी रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ताक्षर
सही/–
(जे.एल. अजमानी)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 25.01.86

पृ.क्रमांक/एफ.बी.–11.3.83 लि–2–चार
प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
   सचिव लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
   नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश भोपाल
   लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
   अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. सचिवालय भोपाल की ओर समस्त वित्तीय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. महालेखाकार (प्रथम) (द्वितीय) म.प्र.ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. सचिव विधानसभा सचिवालय म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. रजिस्ट्रार म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ताक्षर
सही/–
(जी.के.मुकर्जी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक/एफ.आर.17–01/96/चार–ब–9 भोपाल, दिनांक 11.3.96

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषयः– अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को सुविधाओं एवं क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत करने बावत्।

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.11/3/83/नि–2/चार, दिनांक 25.1.86 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते के आदेश प्रसारित किये गये थे, उक्त आदेश के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ता प्रतिशत के आधार पर चौधरी वेतनमान के 31.12.85 की स्थिति पर देय है, केन्द्रीय वेतनमानों के परिप्रेक्ष्य में उक्त दरों के पुनरीक्षण की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने दिनांक 01.4.96 से अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते की दरें निम्नानुसार सुनिश्चित दर पर पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है–

अनु.क्षेत्र भत्ते की दरें

वेतन श्रेणी	क्षेत्र वर्ग 1	क्षेत्र वर्ग 2	क्षेत्र वर्ग 3
800 वेतन तक	60	40	20
801–1200	90	60	30
1201–1530	120	80	40
1531–1920	150	100	50
1921–2320	180	120	60
2321–3000	225	150	75
3001 से ऊपर	300	200	100

2. इन आदेशों के अंतर्गत देय निश्चित अनुसूचित क्षेत्र भत्ता परिशिष्ट 'अ' अनुसार वर्गीकरण विकासखण्डों में देय होगा।
3. उपरोक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी को पूर्व की तुलना में कम राशि प्राप्त होती है तो उसे पूर्व में प्राप्त हो रही राशि के बराबर राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5. विकासखण्डों के परिशिष्ट 'अ' अनुसार वर्गीकरण के फलस्वरूप जो विकासखण्ड इन आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गये हैं, उन विकासखण्डों को एक पृथक श्रेणी के रूप में माना जाकर वहां पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान दर से देय भत्ते की सीमा पर सीमित करते हुए यह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

अनु. क्षेत्र में उपलब्ध अन्य सुविधाए पूर्ववत रहेगीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर
सही/–
(एस.पी.त्रिवेदी)
उपसचिव
म.प्र.शासन
वित्त विभाग

क्रं. एफ.आर. 17–01/96/चार/ब–9 भोपाल दिनांक 11.3.96

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, म.प्र. भोपाल
   सचिव लोकसेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर
   नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, म.प्र. भोपाल
   अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. सचिवालय भोपाल
   समस्त वित्तिय अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय म.प्र. ग्वालियर
   महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय म.प्र. ग्वालियर
   महालेखाकार म.प्र. भोपाल

3. सचिव विधानसभा सचिवालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर
सही/–
(एस.पी.त्रिवेदी)
उपसचिव
म.प्र.शासन
वित्त विभाग

परिशिष्ट –पांच

अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति स्थानान्तरण की नीति
मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक–एफ–सी–3–41–83–3–1 भोपाल दिनांक 11 जनवरी 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :– अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण की नयी नीति।

संलग्नक–'ग' में उल्लेखित विभागों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति तथा स्थानान्तर के संबंध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये है :–

(1) अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियां–जिन पदों में नियुक्तिया जिला स्तर अथवा संभाग स्तर पर की जाती है उन पदों में नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों से संबंधित जिले या संभाग के सामान्य क्षेत्र में तभी पदस्थ किया जाय जबकि, जिले/संभाग के अनुसूचित (अर्थात उपयोजना) क्षेत्र में कोई भी पद रिक्त न हो। अनुसूचित क्षेत्र के बाहर अर्थात सामान्य क्षेत्र में नियुक्ति करने के लिये नियुक्तिकर्ता अधिकारी को नियुक्ति आदेश में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि जिस पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति की जा रही है वैसा कोई भी पद, उनके कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त नही है।

ऐसे राजपत्रित पदो के संबंध में भी संभाग स्तर से ऊपर विभागाध्यक्षों द्वारा नियुक्ति की जाती है। (जैसे कि क्षेत्रीय स्तर या राज्य स्तर पर) उर्पयुक्त नीति का अनुसरण किया जायेगा, अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में कही भी पद रिक्त होते हुये भी नये उम्मीदवार की पदस्थापना राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के बाहर अर्थात सामान्य क्षेत्र में नही की जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र के बाहर की पदस्थापना के प्रत्येक आदेश में इस आशय का प्रमाण पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अभिलिखित करना होगा कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा कोई पद रिक्त नही है जिस पर नियुक्ति की जा रही है।

राजपत्रित पदो पर नियुक्तियां :– राजपत्रित पदो पर नियुक्तियां सामान्यतया शासन स्तर पर ही की जाती है। नियुक्त किये जाने वाले राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित दो वर्गो में बांटा जाए :–

(अ) ऐसे पद जिनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला है,

(आ) ऐसे पद जिनका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला न होकर उसके एक भाग जैसे कि विकास खण्ड या तहसील आदिवासी परियोजना क्षेत्र अथवा अनुविभाग तक सीमित है।

ऊपर (अ) वर्णित राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां करते समय प्रत्येक प्रशासकीय विभाग के लिये यह बन्धन कारक होगा कि सर्वप्रथम अनुसूचित क्षेत्र में उपलब्ध सारे पद भरे जाये। अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी रिक्त न होने की स्थिति में पहले संलग्नक 'ख' में उल्लेखित प्रमुख आदिवासी जिलों में नये उम्मीदवारों को पदस्थ किया जाए और इन जिलों में भी कोई पद रिक्त न होने की स्थिति में शेष जिलों की रिक्तियां भरी जाये।

ऊपर (आ) में वर्णित राजपत्रित पदो के मामलों में संबंधित प्रशासकीय विभाग को सफल उम्मीदवारों की पदस्थापना प्रथमतः संलग्नक 'ख' में उल्लेखित प्रमुख आदिवासी जिलों में करनी होगी और उनमें कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिति में ही शेष जिलों में पदस्थापना की जा सकेगी। अनुसूचित क्षेत्र के बाहर तथा संलग्नक 'ख' में उल्लेखित प्रमुख 15 आदिवासी जिलों के बाहर पदस्थापनायें करने की स्थिति में प्रत्येक नियुक्ति आदेश में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना होगा कि अनुसूचित क्षेत्र तथा उक्त प्रमुख आदिवासी जिलों में कोई भी पद रिक्त नही हैं।

(2). अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी को उस क्षेत्र के बाहर किसी भी कार्यालय अथवा संस्था में समायोजित (जजंबीद्ध नही किया जायेगा। ऐसा संयोजन शासन की नीति का एक गंभीर उल्लंघन माना जाये और इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्व उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(3). उपर्युक्त नीति का अनुसरण तदर्थ नियुक्तियों के मामलों में भी किया जाये।

(4). चूंकि प्रथम नियुक्ति के अवसर पर सभी राजपत्रित अधिकारियों को अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ करना सम्भव नही होगा, अतः ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें प्रथम नियुक्ति में अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ न किया जा सके उनके अगले स्थानान्तर के समय अनुसूचित क्षेत्र में ही पदस्थ किया जाये। ऐसे प्रत्येक अधिकारी को जिसे प्रथम नियुक्ति के समय उपयोजना क्षेत्र में पदस्थ न किया गया हो, उसे उसकी सेवा के प्रथम पांच वर्षो के अन्दर निश्चित रूप से अनुसूचित क्षेत्र में एक बार पदस्थ किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करने की अवधि जब तक दो वर्ष पूरी न हो जाय तब तक किसी अधिकारी को वहाँ से बाहर अर्थात सामान्य क्षेत्र में स्थानान्तरित न किया जाए।

<u>2. पदोन्नतियों के संबंध में नीति –</u>

(1) प्रत्येक विभाग के भरती नियमों में इस आशय का प्रावधान किया जाये कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्रथम पदोन्नति तब तक नही मिल सकेगी जब तक कि उसने अनुसूचित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो। दूसरे शब्दों पदोन्नति की पात्रता (eligibility) के लिये अनुसूचित क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा पूर्ण करना एक आवश्यक शर्त रहेगी।

नोट – अनुसूचित क्षेत्र में प्रशिक्षण /परिवीक्षा काल को अनुसूचित क्षेत्र में की गयी सेवा की गणना में लिया जाय।

(2) अनुसूचित क्षेत्र में संबंधित पद कही भी रिक्त नही होने की स्थिति में या पद ऐसा होने की स्थिति में जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला हो संलग्नक 'ख' में उल्लेखित प्रमुख आदिवासी जिलों में पदोन्नति कर पदस्थ किया जाये।

अनुसूचित क्षेत्र के बाहर या प्रमुख आदिवासी जिलों के बाहर उसी दशा में पदोन्नति के समय पदस्थापना की जाये जबकि अनुसूचित क्षेत्र में या प्रमुख आदिवासी जिलों में ऐसा कोई पद रिक्त या उपलब्ध न हो। पदोन्नति आदेश में इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र अंकित किया जाए।

(3) तदर्थ पदोन्नति के मामले में भी उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाए। जिन पदों के संबंध में इन निर्देशों का पालन करना संभव न हो उनके बारे में आदिमजाति तथा अनु.जाति कल्याण विभाग से लिखित में छूट (exemption) प्राप्त की जाए।

(4) उपयोजना क्षेत्र में पदस्थापना आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर जो कर्मचारी /अधिकारी संबंधित स्थान में अपनी डयूटी में हाजिर न हो उसके मामले में (अ) यदि प्रथम बार नियुक्त किया जा रहा हो तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाए और (ब) यदि वह पहले से ही शासन की सेवा में हो तो आदेश प्रसारण की तिथि के 15 दिन में पश्चात उसकी पदस्थापना के पुराने स्थान पर उसके वेतन का भुगतान बंद कर दिया जाए। ऐसा कर्मचारी अपने पूर्व पद से स्वयमेव मुक्त माना जाए और उसके पूराने स्थान पर उसकी उपर्युक्त अवधि के बाद उपस्थिति अनधिकृत मानी जाए।

<u>3. पदस्थापना स्थानांतरण –</u>

(1) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को जिसने अनु. क्षेत्र में लगातार 5 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किये जाने का इन्छुक हो, सामान्य स्थानांतरो के समय अनु.क्षेत्र के बाहर अर्थात सामान्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने में प्राथमिकता दी जाए।

(2) (अ) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अनु. क्षेत्र में उसके द्वारा 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पूर्व स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यदि किसी नियुक्तिकर्ता अधिकारी/विभाग के मत में ऐसा करना आवश्यक हो तो वह ऐसे कर्मचारी को अनु. क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के लिए संबंधित सम्भागीय आयुक्त की पुर्वानुमति प्राप्त करें। आयुक्त की सहमति के बिना किया गया स्थानांतर शासन की सामान्य नीति का उल्लंघन माना जाए और इस प्रकार के आदेश प्रसारित करने वाले अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतर भत्ता न दिया जाए।

(आ) अनु.क्षेत्र से स्थानांतरित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी (immediate superior officer) द्वारा तब तक पदाविमुक्त (relieve) न किया जाए जब तक उसका एब्जीदार उपस्थित न हो जाए।

(3) किसी भी अराजपत्रित को उसी विकासखंड में सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक अवधि तक न रखा जाये। किसी भी राजपत्रित अधिकारी को उसी जिले में सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक अवधि तक न रखा जाये।

(4) यदि नियुक्तियां ऐसे पदों पर की जा रही हों जिनके संबंध में इन निर्देशों का पालन नहीं हो सकता जैसे कि राज्य स्तरीय किसी अनुसंधान संस्थान में विशेषज्ञों के पदों पर नियुक्ति, तो ऐसे पदों के लिये संबंधित प्रशासकीय विभाग को आदिम जाति एवं अनु. जाति विभाग से लिखित में छूट (Exemption) प्राप्त करना आवश्यक होगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिये कि विभिन्न स्तर के अधिकारियों के द्वारा तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपर्युक्त समस्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, प्रत्येक 6 माह की अवधि में इनके संबंध में समीक्षा की जायेगी। संभागीय उपायुक्त के स्तर पर तथा मुख्य सचिव स्तर पर यह समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के लिये आवश्यक जानकारी संभाग स्तरीय समीक्षा हेतु संबंधित क्षेत्र के अपर आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा आयुक्त को तथा राज्य स्तरीय समीक्षा हेतु सचिव, आदिम जाति एवं अनु. जाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्य सचिव को तैयार कर प्रस्तुत की जायेगी। संभागीय आयुक्त समीक्षा के उपरांत अपना प्रतिवेदन मुख्य सचिव को भेजेंगें जिसकी प्रतिलिपि सचिव, आदिम जाति , अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण को भी भेजी जायेगी। आयुक्त स्तर पर सभी संभागीय अधिकारी और मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागीय सचिव समीक्षा समिति की बैठक में बुलाए जायेगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ताक्षर
सही/–
(वी.जी.निगम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0/एफ.सी.13–41/ 83/ 3/ 1 भोपाल दिनांक 11.1.84

प्रतिलिपिः–

1 निबंधक उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर, सचिव लोकसेवा आयोग, म.प्र. इंदौर लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल।

2 राज्यपाल के सचिव/ सैनिक सचिव, विधान सभा सचिवालय, म0प्र0भोपाल।

3 मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण/ समस्त राज्य मंत्रीगण/ समस्त उप–मंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4 सचिव/ विशेष सचिव/ उपसचिव (समस्त) साप्रवि. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

के. एन. श्रीवास्तव
उपसचिव
म0प्र0 शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्षेत्र वर्ग–1

क्रमांक	जिला	विकासखंड
1	बस्तर	सभी विकासखंड–32
2	झाबुआ	सभी विकासखंड–12
3	सरगुजा'	सभी विकासखंड–24
4	मंडला	मंडला विकासखंड–15 को छोड़कर जिले के शेष सभी विकासखंड
5	रायगढ़'	1. बगीचा–2 2. मनोरा–1
6	सीधी	कुसमी–1
	86	

क्षेत्र वर्ग 2

क्र0	जिला	विकासखंड
1	धार	1. नालछा 2. बाकानेर (उमरबन)
2	खरगौन	3. डही 4. पाटी 5. झिरनिया 6. भगवानपुरा
3	बैतूल	7. भीमपुर 8. भैंसदही
4	छिंदवाड़ा	9. हर्रई 10. बिछिआ 11. तामिया
5	सिवनी	12. घनसौर (कहानीखस)
6	बालाघाट	13. परसवाड़ा 14. बिरसा
7	शहडोल	15. पुष्पराजगढ़
8	रायगढ़'	16. दुलदुला 17. लैलूंगा 18. तमनार
9	बिलासपुर'	19. पोण्डी उपरेरा 20. करतला 21. मरवाही
10	रायपुर'	22. मैनपूर
11	मुरैना	23. कराहल
12	रतलाम	24. बाजना
13	राजनांदगांव'	25. मानपूर

क्षेत्र वर्ग 3

क्रमांक	जिला	विकासखंड
1	शहडोल	1. बुढार
		2. पाली–1
		3. पाली–2
		4. जैतहरी
		5. सोहागपुर
		6. कोतमा
		7. अनूपपुर
		8. जयसिंहनगर
2	बालाघाट	9. बैहर
3	सिवनी	10. छपारा
		11. धनौरा
		12. लखनादौन
		13. कुरई
4	छिन्दवाडा	14. जामई
		15. अमरवाडा
		16. सौंसर
5	बैतूल	17. चिचोली
		18. घोडाडोगरी
		19. शाहपुर
		20. आठनेर
6	रतलाम	21. सैलाना
7	होशंगाबाद	22. केसला
8	खरगौन	23. महेश्वर
		24. सेधवा
		25. निवाली
		26. सेगांव
		27. पानसेमल
		28. भीकनगांव
		29. खरगौन
		30. गोगांवा
		31. ठिकरी
		32. राजपुर
9	धार	33. बड़वानी
		34. निसरपुर
		35. गंधवानी
		36. धरमपुरी
		37. मनावर
		38. बांध
		39. कुक्षी
		40. धार

		41. सरदारपुर
		42. तिरला
10	रायगढ़'	43. जशपुरनगर
		44. कुनकुरी
		45. कांस
		46. तपकरा
		47. पत्थलगांव
		48. घरघोडा
		49. खरसिया
		50. धरमजयगढ
11	बिलासपुर'	51. गोरेला–1
		52. गोरेला–2
		53. पाली
		54. कोरबा
		55. कटघोरा
12	रायपुर'	56. छुरा
		57. गरियाबंद
		58. सिहावा(नगरी)
13	राजनांदगांव'	59. चौकी
		60. मोहला
14	दुर्ग'	61. डोंडी
15	खंडवा	62. खालवा
		63. खकनार
16	मंडला	64. मंडला

रुनोट– प्रोत्साहन केवल इन विकासखंडों के अनु. क्षेत्र में पदस्थ को देय होगें। उन्हे नहीं जिनके मुख्यालय अनु. क्षेत्र के बाहर हो। इन विकासखंडों का अधिकांश भाग अनु. क्षेत्र में होने के कारण इन्हें सूची में सम्मिलित किया गया है।

'.वर्तमान में ये जिले छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है।

संलग्नक–ख

प्रमुख आदिवासी जिले

क्रमांक	जिले का नाम	कुल जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत
1	झाबुआ	83.46
2	बस्तर'	67.79
3	मंडला	60.36
4	सरगुजा'	54.81
5	धार	52.06
6	रायगढ'	48.51
7	शहडोल	47.45
8	खरगौन	43.25
9	सिवनी	36.35
10	बैतूल	36.19
11	छिंदवाडा	33.37
12	सीधी	31.27
13	खंडवा	25.65
14	राजनांदगांव'	25.26
15	बिलासपुर'	23.39

'. वर्तमान में ये जिले छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित हैं।

विभागों की सूची जिनके संबंध में नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापना आदि की नीति लागू होगी —

क्रमांक	विभाग का नाम
1.	कृषि विभाग
2.	पशु चिकित्सा विभाग
3.	डेयरी विभाग
4.	मत्स्योंद्योग विभाग
5.	आयाकट विभाग
6.	सहकारिता विभाग
7.	लोक निर्माण विभाग
8.	लघु सिंचाई विभाग
9.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
10.	उर्जा (म.प्र.वि.मं.सहित)
11.	आवास एवं पर्यावरण विभाग
12.	स्थानीय शासन
13.	आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
14.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
15.	समाज कल्याण विभाग,
16.	स्कूल शिक्षा विभाग
17.	उच्च शिक्षा विभाग
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
19.	श्रम एवं जनशक्ति नियोजन
20.	खेल एवं युवक कल्याण विभाग
21.	वन विभाग
22.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
23.	खनिज साधन
24.	राजस्व विभाग
25.	भू–अभिलेख
26.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
27.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग
28.	सामान्य प्रशासन विभाग
29.	गृह विभाग
30.	परिवहन विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 31–1/2009/5/पच्चीस :: राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ 31–6/2004/5/पच्चीस, दिनांक 30 नवम्बर 2004 द्वारा गठित आदिम जाति मंत्रणा परिषद् को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा–परिषद् नियम, 1957 के नियम क्रमांक–3 के उपनियम–(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आदिम जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करते हुये मंत्रणा परिषद् का पुर्नगठन करता है :–

(1)	माननीय मुख्यमंत्री जी		अध्यक्ष
(2)	माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण		उपाध्यक्ष
(3)	माननीय राज्यमंत्री जी, आदिम जाति कल्याण		सदस्य
(4)	माननीय श्री कुवंर सिंह टेकाम	विधायक, जिला सीधी	सदस्य
(5)	माननीय श्री जयसिंह मरावी	विधायक, जिला शहडोल	सदस्य
(6)	माननीय श्री सुदामा सिंह	विधायक, जिला अनूपपुर	सदस्य
(7)	माननीय श्री ज्ञान सिंह	विधायक, जिला उमरिया	सदस्य
(8)	माननीय सुश्री मीना सिंह	विधायक, जिला उमरिया	सदस्य
(9)	माननीय श्री रामप्यारे कुलस्ते	विधायक, जिला मण्डला	सदस्य
(10)	माननीय श्रीमती गीता रामजीलाल उईके	विधायक, जिला बैतूल	सदस्य
(11)	माननीय श्री भगत सिंह नेताम	विधायक, जिला बालाघाट	सदस्य
(12)	माननीय श्रीमती शशि ठाकुर	विधायक, जिला सिवनी	सदस्य
(13)	माननीय श्री प्रेमनारायण ठाकुर	विधायक, जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
(14)	माननीय श्रीमती नन्दिनी मरावी	विधायक, सिहोरा जिला जबलपुर	सदस्य
(15)	माननीय श्री चंपालाल देवड़ा	विधायक, बागली जिला देवास	सदस्य
(16)	माननीय श्री नागर सिंह चौहान	विधायक, जिला झाबुआ	सदस्य
(17)	माननीय श्री अनार भाई बास्कले	विधायक, पंधाना जिला खण्डवा	सदस्य
(18)	माननीय श्री धूलसिंह डाबर	विधायक, जिला खरगौन	सदस्य

(19)	माननीय श्री प्रेम सिंह पटेल	विधायक, जिला बड़वानी	सदस्य
(20)	माननीय अध्यक्ष, म.प्र.अनु. जनजाति आयोग		सदस्य

2/ उपरोक्त नवगठित आदिम जाति मंत्रणा–परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान विधानसभा कालावधि तक रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–/18.02.2009
(संजुक्ता मुद्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनु. जाति कल्याण
विभाग

परिशिष्ट–सात

आदिवासी उपयोजना–परियोजनावार विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2011–12

क्र	आई.टी.डी.पी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)
1	झाबुआ	720.37	503.20	3602	2518	226.42	65.87	27	2
2	आलीराजपुर	628.00	628.00	3358	3358	171.84	73.05	45	16
3	धार	349.71	205.80	1749	1029	70.00	33.50	10	6
4	कुक्षी	640.35	310.60	3202	1603	153.55	78.90	27	7
5	खरगोन	495.96	258.77	2480	1294	156.95	156.95	33	33
6	महेश्वर	66.92	37.00	335	185	19.66	19.66	4	4
7	बड़वानी	394.43	254.98	1696	1224	127.95	63.68	12	6
8	सेंधवा	387.58	183.27	1987	927	125.17	73.52	9	3
9	खन्डवा	291.82	232.00	1461	1603	105.00	102.20	16	16
10	बागली	166.37	124.60	832	622	45.31	25.71	10	8
11	सैलाना	287.33	104.40	1434	522	28.83	28.83	0	0
12	मंडला	519.32	179.48	2596	1167	169.88	24.33	26	0
13	निवास	381.13	187.20	1906	1238	119.50	101.51	25	21
14	बैहर	238.18	117.17	1161	679	76.00	33.32	28	9
15	लखनादौन	334.48	289.60	1672	1450	76.52	65.87	4	0
16	कुरई	89.80	54.83	449	271	20.57	10.28	13	7
17	तामिया	477.50	149.20	2387	503	163.92	39.10	33	3
18	सौंसर	139.80	48.88	720	228	43.50	34.50	8	8
19	कुंडम	183.73	99.08	1661	1237	45.66	30.00	7	4
20	शहडोल	567.20	502.20	2890	2715	175.83	175.83	34	34
21	जयसिंहनगर	129.25	129.25	671	671	34.90	34.90	7	5
22	पुष्पराजगढ़	202.24	202.24	1010	1091	50.00	50.00	10	10
23	बांधवगढ	213.07	167.40	1066	917	58.04	58.04	6	6
24	डिन्डोरी	374.84	162.62	1874	979	124.84	124.84	9	9
25	देवसर	300.87	161.94	1740	895	90.75	43.75	14	4
26	कुसमी	250.68	184.80	1253	1049	70.29	29.20	9	9

क्र	आई.टी.डी.पी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)
27	बैतूल	352.59	135.60	1763	678	100.46	40.81	35	16
28	भैंसदेही	259.63	117.40	1298	587	87.00	17.40	18	0
29	केसला	90.83	0.00	454	125	27.30	19.00	8	4
30	हरदा	108.32	84.21	542	462	31.03	13.87	14	5
31	कराहल	214.25	214.25	1069	1069	53.94	53.94	9	8

आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी वर्ष 2012–13

क्र	आईटीडीपी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)
	आई.टी.डी.पी.								
1	झाबुआ	742.96	512.40	3715	2562	129.92	110.73	27	22
2	आलीराजपुर	739083	737.56	3699	3687	21.17	18.28	2	0
3	धार	363.38	263.80	1816	1319	60.45	108.32	4	8
4	कुक्षी	631.14	563.96	3155	2819	204.14	202.74	28	28
5	खरगोन	512.12	485.60	2560	2428	88.91	88.91	16	16
6	महेश्वर	76.03	53.00	380	265	11.27	11.27	2	2
7	बड़वानी	445.87	445.87	2229	2229	32.09	32.09	4	4
8	सेंधवा	424.10	424.00	2120	2120	45.46	45.46	2	2
9	खन्डवा	375.02	375.00	1875	1875	5.65	5.60	0	0
10	बागली	171.00	171.00	855	855	30.64	27.64	7	6
11	सैलाना	322.84	238.26	1614	1191	25.16	25.16	5	5
12	मंडला	536.46	536.46	2682	2682	92.96	133.02	15	12
13	निवास	405.22	405.22	2026	2026	56.73	56.73	10	10
14	बैहर	409.29	428.51	1462	2143	49.61	67.71	9	9
15	लखनादौन	279.672	279.67	1398	1398	53.92	53.92	10	10
16	कुरई	117.40	220.08	587	11	1.26	2.52	0	0
17	तामिया	447.09	447.09	2236	2236	76.72	61.60	13	4
18	सौंसर	169.46	94.43	847	551	18.78	18.78	3	3

क्र	आईटीडीपी	राजस्व मद				पूंजीगत मद			
		आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही)	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (कार्य)	भौतिक उपलब्धि (कार्य)
19	कुंडम	275.00	222.40	1375	1112	69.17	54.88	17	10
20	शहडोल	409.37	349.62	2151	1853	198.22	54.88	55	55
21	जयसिंहनगर	139.58	135.20	698	676	42.17	279.26	7	5
22	पुष्पराजगढ़	221.49	221.49	1107	1107	15.00	15.00	3	3
23	बांधवगढ	285.38	32.00	1427	160	33.73	28.95	3	2
24	डिन्डोरी	409.29	818.58	2046	4092	30.96	61.92	19	19
25	देवसर	353.92	164.55	1901	1013	25.72	15.00	6	4
26	कुसमी	264.06	164.40	923	822	39.70	39.70	1	5
27	बैतूल	360.53	226.53	1803	1133	66.77	51.34	27	24
28	भैंसदेही	288.64	288.64	1443	1443	50.01	45.00	10	8
29	केसला	123.97	120.40	619	502	21.60	18.90	0	4
30	हरदा	118.01	88.16	590	441	13.24	13.24	3	3
31	कराहल	245.81	245.81	1229	1572	13.79	13.79	3	3

परियोजनावार आर्टिकल 275(1) के तहत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की जानकारी

क	परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय राशि	भौतिक प्रगति कार्य संख्या
1	झाबुआ				
		2011–12	668.48	524.50	39
		2012–13	819.76	368.05	10
2	अलीराजपुर				
		2011–12	555.68	377.80	6
		2012–13	673.63	0	0
3	धार				
		2011–12	279.40	157.50	13
		2012–13	316	134.82	0
4	कुक्षी				
		2011–12	590.68	460.35	28
		2012–13	752.37	207.21	3
5	खरगौन				
		2011–12	414.00	336.50	12
		2012–13	503.70	414.36	9
6	महेश्वर				
		2011–12	53.94	47.38	4
		2012–13	57.55	36.46	3

क	परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय राशि	भौतिक प्रगति कार्य संख्या
7	बड़वानी				
		2011–12	347.15	300.66	26
		2012–13	447.70	221.91	14
8	सेंधवा				
		2011–12	373.99	278.84	25
		2012–13	462.40	111.17	3
9	खण्डवा				
		2011–12	326.75	203.30	11
		2012–13	334.20	243.00	0
10	बागली				
		2011–12	117.60	85.25	07
		2012–13	151.28	33.60	0
11	सैलाना				
		2011–12	247.98	40.50	07
		2012–13	376.30	240.34	40
12	मंडला				
		2011–12	437.01	320.04	07
		2012–13	459.95	30.85	31
13	निवास				
		2011–12	1245.47	1087.22	16
		2012–13	330.58	14.24	0
14	बैहर				
		2011–12	530.07	255.11	05
		2012–13	224.00	0	0
15	लखनादौन				
		2011–12	796.75	522.94	03
		2012–13	304.02	162.93	27
16	कुरई				
		2011–12	55.38	47.61	03
		2012–13	62.58	0	0
17	तामिया				
		2011–12	348.45	73.84	07
		2012–13	442.29	237.51	7
18	सौंसर				
		2011–12	108.46	86.07	08
		2012–13	139.74	99.83	10
19	कुण्डम				
		2011–12	462.26	122.82	03
		2012–13	167.78	41.50	14
20	शहडोल				
		2011–12	437.30	367.43	49
		2012–13	558.90	247.66	28
21	जयसिंहनगर				
		2011–12	79.78	68.31	16
		2012–13	105.42	83.46	13
22	पुष्पराजगढ				
		2011–12	147.69	147.69	32

क	परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय राशि	भौतिक प्रगति कार्य संख्या
		2012–13	186.80	157.68	52
23	बांधवगढ				
		2011–12	264.37	166.60	08
		2012–13	160.00	46.60	0
24	डिंडोरी				
		2011–12	288.06	434.89	19
		2012–13	321.08	106.54	9
25	देवसर				
		2011–12	169.97	134.65	17
		2012–13	281.60	117.92	14
26	कुसमी				
		2011–12	162.33	142.94	16
		2012–13	201.12	26.97	4
27	बैतुल				
		2011–12	276.14	269.55	55
		2012–13	333.75	95.02	21
28	भैंसदेही				
		2011–12	212.17	139.03	80
		2012–13	269.37	95.70	41
29	केसला				
		2011–12	87.45	70.00	06
		2012–13	93.26	57.60	0
30	हरदा				
		2011–12	81.33	41.29	08
		2012–13	107.11	95.95	10
31	खाहल				
		2011–12	74.24	74.24	07
		2012–13	90.61	34.50	10

परिशिष्ट– आठ

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिंग अनुपात एवं साक्षरता दर जनगणना 2001 के अनुसार

क्र.	जिला	लिंग अनुपात			साक्षरता				
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	पुरूष	महिला	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनूपपुर				शहडोल शामिल				
2	अशोकनगर				गुना शामिल				
3	बालाघाट	1050	1053	1019	53.6	66.9	41.1	52.2	67.4
4	बड़वानी	982	986	885	28.4	37	19.7	27.5	54.1
5	बैतूल	994	997	903	46	58.1	34	45.4	64.2
6	भिण्ड	877	893	870	53.5	67.6	37.2	43.9	57.7
7	भोपाल	901	925	892	59	66.7	50.3	29.6	69
8	बुरहानपुर								
9	छतरपुर	919	922	873	29.1	39	18.1	27.9	47.6
10	छिन्दवाड़ा	989	992	952	48	61.2	36.1	47.3	65.8
11	दमोह	950	950	943	41.4	54.4	27.6	40.7	60.1
12	दतिया	910	928	824	40.4	50.3	29.6	37.3	55.4
13	देवास	955	958	923	32.8	45.5	19.5	31.2	47.4
14	धार	981	984	925	36.7	49	24.2	36	48.5
15	डिण्डौरी	1011	1010	1055	49.3	64.8	34	49	70
16	पूर्व निमाड़	959	961	901	36.2	49.5	22.2	35.4	54.9
17	गुना	925	925	916	31.6	44.2	17.7	30.7	48.6
18	ग्वालियर	912	920	889	36.1	46.3	24.8	24.8	64.8
19	हरदा	943	945	886	38.4	51.3	24.7	37.5	60.7
20	होशंगाबाद	932	938	881	47.4	59.5	34.2	44.5	71.3
21	इंदौर	918	945	863	38.4	48.9	26.9	31.4	52.5
22	जबलपुर	958	976	892	51.8	65.1	37.9	47.7	66.9
23	झाबुआ	993	996	906	30.6	41.7	19.4	29.4	65.9
24	अलीराजपुर	झाबुआ में शामिल							
25	कटनी	981	983	953	40.6	55.9	25	39.9	50.1
26	मण्डला	1028	1030	946	50.7	66.1	35.7	50.1	76.6
27	मंदसौर	945	943	965	47.1	60.6	32.8	47.3	45.3

28	मुरैना	894	908	784	43.3	56.7	28.1	40.1	69.1
29	नरसिंहपुर	955	957	925	64.4	75	53.2	64.1	67.6
30	नीमच	933	934	928	33	46.5	18.5	32.3	37.6
31	पन्ना	943	945	892	43.2	54.9	30.7	43.4	38.5
32	रायसेन	932	937	864	54.7	65.1	43.4	54.6	56
33	राजगढ़	928	933	904	46.7	61.2	30.9	43.6	62.7
34	रतलाम	975	980	855	41.9	55.7	27.7	41.3	55.5
35	रीवा	924	927	891	35.5	47.6	22.3	35.1	40.5
36	सागर	942	945	895	38.7	50.9	25.7	37.5	60.4
37	सतना	949	950	932	37.1	48.9	24.6	36.6	42.9
38	सीहोर	943	949	870	43.1	55.2	30.2	41.7	63
39	सिवनी	1016	1018	959	53.4	67	40.1	52.9	76.3
40	शहडोल	993	997	952	44.6	58.1	31	44	50.4
41	शाजापुर	918	923	879	60.3	73.1	46.2	59.4	67.8
42	श्योपुर	945	949	842	21.1	32	9.4	20.4	37.1
43	शिवपुरी	945	946	921	33.9	47.2	19.7	33.7	38.4
44	सीधी	950	955	863	36.6	50.7	21.6	36.3	43.5
45	सिंगरौली	सीधी में शामिल							
46	टीकमगढ़	947	945	964	35.2	45.4	24.2	35.1	36.1
47	उज्जैन	920	933	883	55.5	66.4	43.5	55.8	54.5
48	उमरिया	972	972	968	44.8	58.7	30.4	44.6	47.1
49	विदिशा	916	921	841	30.1	39.7	19.4	28.7	52.3
50	पश्चिम निमाड़	976	977	926	42.5	52.9	31.8	42	53.6
	मध्यप्रदेश	975	979	912	41.2	53.5	28.4	40	57.2

शाफिमुभो—52—संआजाक्षेवियोभो—5-5-14-50.